

© राजमल बोरा

प्रथम संस्करण, जून १९७१ ई.

प्रकाशक : नमिता प्रकाशन

ब्लॉक नं. ६, आनन्दनगर, टाउन हॉल,
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

मूल्य : ७ रु. ५० पैसे

मुद्रक : ज. रा. बर्दापुरकर

व्यवस्थापक, जयहिंद प्रिंटिंग प्रेस,
सन्मित्र कॉलनी, औरंगाबाद

सुहृद्वर भाईसाहब
डॉ. म. ह. राजूरकर
को सादर निवेदित

10/10/10


10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



अनुक्रम

१. मनोविकारों का मूल्यांकन	३
२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता	३१
३. अभिरुचि और समीक्षा	७१
४. सिद्धान्त और व्यवहार	८९
५. भाषा और शैली	१११
६. नैतिक मान्यताएँ	१३१
७. और अन्त में	१४९



१. मनोविकारों का मूल्यांकन

1. 10/10/10

2. 10/10/10

3. 10/10/10

4. 10/10/10

5. 10/10/10

6. 10/10/10

7. 10/10/10

8. 10/10/10

9. 10/10/10

10. 10/10/10

11. 10/10/10

12. 10/10/10

13. 10/10/10

14. 10/10/10

15. 10/10/10

16. 10/10/10

17. 10/10/10

18. 10/10/10

19. 10/10/10

20. 10/10/10

10/10/10

10/10/10



१. मनोविकारों का मूल्यांकन

चिन्तामणि (भाग एक) में, आरंभ में दस निबन्ध ऐसे हैं जिनको उसी पुस्तक के अन्य निबन्धों से अलग किया जा सकता है। इन निबन्धों का सम्बन्ध मनोविकारों से है। प्रथम निबन्ध का शीर्षक 'भाव या मनोविकार' है और बाद के नौ निबन्ध क्रमशः उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध हैं। आचार्य शूक्ल के इन निबन्धों को उनके अन्य निबन्धों से अलग किया जा सकता है। इन का सम्बन्ध विषय की दृष्टि से मनोविज्ञान से है। इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक निबन्ध कहा जाता रहा है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ये निबन्ध मनो-वैज्ञानिक हैं? और यदि इनको मनोवैज्ञानिक निबन्ध मान लिया जाता है तो मनोविज्ञान विषय में आचार्य शूक्ल ने जो कार्य किया है, उस कार्य का मूल्यांकन (विषय वस्तु के आधार पर) होना चाहिए और यदि इन्हे मनो-

वैज्ञानिक निबन्ध नहीं माना जाता तो फिर इन्हें किस प्रकार क निबन्ध माना जाय? इस बात का निर्णय होना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि ये निबन्ध विषय प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान? विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान के साथ साथ इन निबन्धों में व्यक्त विचारों का विश्लेषण होना चाहिए। इन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इन निबन्धों का विवेचन एवं विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके ये निबन्ध उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में उपयोगी होने के नाते—साथ ही साथ—उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सारे विवेचन एवं विश्लेषण में चिन्तामणी (भाग एक) के आरम्भ के दस निबन्धों को ही आधार माना गया है।

विषय-प्रधान

निबन्ध गद्य की कमीटी है और इस नाते निबन्ध विचार प्रधान होते हैं और ये विचार शीर्षक में दिए हुए विषय के अनुसार होने चाहिए। मनोविकारों से सम्बन्धित ये सारे निबन्ध पढ़ते समय एवं पढ़ने के बाद पाठक पर (विषय पर विचार करनेवाले पर) यह प्रभाव छोड़ जावे है कि निबन्ध विषय के अनुसार लिखे गए हैं। लगता है आचार्य शुक्ल ने विषय के साथ पूरा न्याय किया है। यह प्रभाव पाठक पर उस समय तक धर्तमान रहता है जब तक कि विषय से हटकर पाठक उन विचारों का (विषय में सम्बन्धित विचारों का) विश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता। विषय मनोविकारों में सम्बन्धित है अतः इन्हें (इन निबन्धों को) मनोवैज्ञानिक-निबन्ध कहा गया है। यदि इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक (मनोविज्ञान विषय का विशेषज्ञ) पढ़ेगा तो वह इन निबन्धों को 'विषय-प्रधान' न कहकर 'व्यक्ति-प्रधान' कहना ही उचित समझेगा। यहाँ पर इन निबन्धों का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक के नाते से करना संभव नहीं। विषय-प्रधान निबन्धों पर विचार करते समय ध्यान साधारण पाठक का रहा है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन निबन्धों में आचार्य शुक्ल की प्रतिभा व्यक्त हुई है। प्रतिभा इसलिए कहा जा रहा है कि विषय के साथ व्यक्ति सम्बद्ध है। मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ते समय पाठक का ध्यान विषय पर रहता है। फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक की पुस्तक पढ़े (प्रतिभाशाली मनो-वैज्ञानिक) तब भी पढ़ते समय यह अनुभव किया जा सकता है कि लेखक में पर्यवेक्षण शक्ति है। पर्यवेक्षण के अनुसार तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और तथ्यों के उपरान्त, साथ साथ उनका विश्लेषण है। अपने विषय पर निष्कर्ष देने से

पूर्व फ्रायड भरपूर सामग्री (विषय से सम्बद्ध) देता है। फ्रायड आरम्भ में अपने निष्कर्ष नहीं लिख देता। फ्रायड ही क्यों कोई भी विशेषज्ञ अपने विषय का वैज्ञानिक विवेचन करते समय निष्कर्षों को तत्काल और आरम्भ में ही एव बड़े विश्वास के साथ नहीं लिखता। क्या आचार्य शुक्ल इन निबन्धों में एक मनोवैज्ञानिक के रूप में निबन्ध लिख रहे हैं? उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल के लेखन में अपूर्व विश्वास है और उनका यह विश्वास उनके व्यक्तित्व को सबल बनता है। इस अपूर्व विश्वास के साथ लिखते हुए भी आचार्य शुक्ल विषय का विवेचन वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। अपने विश्वासों को तर्क का आधार प्रस्तुत करने के कारण ही उनके ये निबन्ध विषय-प्रधान प्रतीत होते हैं।

निबन्ध विषय प्रधान इस नाते बन पड़े है कि विषय का विवेचन, वर्गीकरण एव विश्लेषण वैज्ञानिक है; उदाहरण एव तत्सम्बन्धी धारणाएँ तदनुकूल हैं। आरम्भ से अन्त तक शुक्लजी यह अनुभव नहीं होने देने कि निबन्ध विषय की लीक से हट रहा है।

अब विषय की ओर आएं। भाव या मनोविकारों से सम्बन्धित ये निबन्ध हैं। उत्साह से लेकर काय तक सभी विषय मनोविकारों से सम्बन्धित ही हैं। आचार्य शुक्ल 'मनोविकार' शब्द का प्रयोग भाव के वजन पर ही करते हैं। केवल शीर्षक में ही नहीं अपितु अपने निबन्ध में भी वे लिखते हैं "नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उत्तरे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न-भिन्न योग सघटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं।" (पृ १) आचार्य शुक्ल ने मनोविज्ञान की बीच में आने नहीं दिया है। मनोविकारों का (भावों का) विश्लेषण करते समय मनु का विश्लेषण किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता। फ्रायड का कहना है— "मनोविश्लेषण के दो सिद्धान्त ऐसे हैं जो सारी दुनिया को नाराज करते हैं, एक तो बौद्धिक पूर्वाग्रहों (Prejudice) अर्थात् बने हुए सस्कारों को चोट पहुँचाता है और दूसरा नैतिक तथा सौंदर्य सम्बन्धी सस्कारों या पूर्वाग्रहों को। इन पूर्वाग्रहों को मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त चीज हैं और मनुष्य के विकास की मजिलों के कीमती और आवश्यक अवशेष हैं। उनको भावनाओं के बल से कायम रखा जाता है और उनसे बड़ा कड़ा मुकाबला है" क्या आचार्य शुक्ल मनोविकारों का विश्लेषण करने में इन पूर्वाग्रहों से बचे हुए हैं? ऐसा प्रतीत नहीं

१. मनोविश्लेषण-फ्रायड-(अनुवादक . देवेन्द्रकुमार वेदालंकार)-पृ. १५.

होता। इसलिए इह विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक निबन्ध नहीं कहा जा सकता। मनोविकारों से सम्बन्धित इन निबन्धों के लेखन में दृष्टि व्यक्ति पर नरु समाज पर रही है। अतः इन निबन्धों को मनोवैज्ञानिक निबन्ध न कहकर 'समाज-मनोविज्ञान' (Social-Psychology) के निबन्ध कहना अधिक उपयुक्त होगा। समाज-मनोविज्ञान विशेष रूप से व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति-समूह और समूह-समूह के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है।^१ आचार्य शुक्ल के ये निबन्ध विशेष रूप से व्यक्ति-व्यक्ति एवं व्यक्ति-समूह का अध्ययन है। यहाँ भी यह अध्ययन एक निश्चित समाज का अध्ययन है। भारतीय संस्कृति (विशेष रूप से तुलसीदास-रामायण की संस्कृति) के मूल्यों का सामाजिक विश्लेषण (व्यक्ति मन के सदर्भ में) इन निबन्धों में हुआ है। ऐसी स्थिति में समाज-मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखते हुए भी ये निबन्ध विशेष सांस्कृतिक परिवेश से युक्त समाज का विश्लेषण करनेवाले हैं। यदि हम उक्त सांस्कृतिक परिवेश एवं सामाजिक विश्वासों एवं मूल्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो ये निबन्ध वैज्ञानिक प्रतीत होंगे। एक निश्चित मूल्यों से युक्त समाज का समाज-मनोवैज्ञानिक अध्ययन इन निबन्धों में मिलता है।

उत्साह से लेकर क्रोध तक शीर्षक (निबन्धों के शीर्षक) के अनुसार शुक्लजी ने प्रत्येक मनोविकार की परिभाषा तो दी ही है किन्तु बीच-बीच में एक मनोविकार से दूसरे मनोविकार का अन्तर बतलाने के लिए भी सूक्ष्माति-सूक्ष्म अर्थ को स्पष्ट किया है। जहाँ तक परिभाषाओं का प्रश्न है, वहाँ वे विषय के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं। मनोविकारों की परिभाषाओं के साथ साथ मनोविकारों की स्थितियों (विकल्पों) का वर्गीकरण भी शुक्लजी करते हैं। उनका यह वर्गीकरण वैज्ञानिक है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

परिभाषाएँ :

- १) इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती।
(प्रयत्न) पृ. ३.
- २) साहसपूर्ण आनन्द की उमग का नाम उत्साह है।
(उत्साह) पृ. ६.

१. "Social psychology is interested in three basic inter-
actional relationships : person-to-person, person-to-group
and group-to-group."

Hand book of Social Psychology-by-Kimball Young.Pg. 1

- ३) जिस आनन्द से कम की उत्तजना होती है और जो आनन्द कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसी का नाम उत्साह है। (उत्साह) पृ. १४.
- ४) बुद्धि-द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार का नाम ही प्रयत्न है। (प्रयत्न) पृ. १४.
- ५) कर्म में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कर्मण्य है। (कर्मण्य) पृ. १५.
- ६) श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। (श्रद्धा) पृ. १७.
- ७) श्रद्धा न्याय-बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा हो ही नहीं सकता। (श्रद्धा) पृ. ३०.
- ८) श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्यभाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा-भाजन के सामीप्य-लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। (भक्ति) पृ. ३२
- ९) भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ (परिवार वा शारीरिक सुख आदि) से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन। (आत्मनिवेदन) पृ. ३३.
- १०) दूसरों के, विशेषतः अपने परिचितों के, थोड़े क्लेश या शोक पर जो वेग-रहित दुःख होता है, उसे सहानुभूति कहते हैं। (सहानुभूति) पृ. ५२.
- ११) दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारण होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है-उनकी स्वच्छन्दता के विघात का जो अनुभव होता है-उसे लज्जा कहते हैं। (लज्जा) पृ. ५६
- १२) अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते हैं। (ग्लानि) पृ. ५८.

- १३) आशका अनिश्चयारमक वृत्ति है । (आशका) पृ. ६०.
- १४) लज्जा का एक हलका रूप सकोच है जो किसी काम को करने के पहले ही होता है । (सकोच) पृ. ३५.
- १५) किसी प्रकार का सुख या आनन्द देनेवाली वस्तु के संबंध में मन को ऐसी स्थिती को जिसमें उम वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सांनिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं । (लोभ) पृ. ६२.
- १६) अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने आता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं । यद्यपि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, पर साधारण बोल-चाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे 'लोभ' और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे 'प्रेम' कहते हैं । (प्रेम) पृ. ८६.
- १७) अशुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करनेवाला जो दुःख होता है उसे घृणा कहते हैं । (घृणा) पृ. ९७.
- १८) दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुःख होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं ... ईर्ष्या एक सकर भाव है जिसकी सम्प्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग से होती है । (ईर्ष्या) पृ. १०७.
- १९) किसी आती हुई आपदा की भावना या दुःख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उमी को भय कहते हैं । (भय) पृ. १२४.
- २०) दुःख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी समावना मात्र के अनुभव से जो आवेग-रून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं । (आशंका) पृ. १२६.
- २१) क्रोध दुःख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से होता है । (क्रोध) पृ. १३१.
- २२) वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है । जिससे हमें दुःख पहुँचा है उसपर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में

बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है । (बैर)
पृ. १३८.

- २३) क्रोध का एक हलका रूप है चिड़चिड़ाहट जिसकी व्यञ्जना प्रायः शब्दों तक ही रहती है । (चिड़चिड़ाहट) पृ. १३९.
- २४) किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना, अमर्ष कहलाता है । (अमर्ष)
पृ. १३९ - आदि आदि ।

इन परिभाषाओं में 'मनोविकार' को सामान्य मानकर अर्थवत्ता प्रदान की गई है । प्रयत्न, उत्साह, कर्षण्य, श्रद्धा, भक्ति, आत्मनिवेदन, सहानुभूति, लज्जा, ग्लानि, सकोच, लोभ, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, चिड़चिड़ाहट और अमर्ष शब्दों के अर्थ इन परिभाषाओं के कारण स्पष्ट हो गए हैं । परिभाषाओं के साथ साथ इन 'मनोविकारों' की तुलना की गई है; परस्पर सम्बन्धित एवं विपरीत मनोविकारों को स्पष्ट किया गया है । कुछ उदाहरण :

तुलनाएँ :-

- १) यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है । प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है । प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है । (प्रेम और श्रद्धा) पृ. १९
- २) श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति होती है । (श्रद्धा और दया) पृ. ३१
- ३) दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है । क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानी की चेष्टा की जाती है । करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसको भलाई का उद्योग किया जाता है । (करुणा और क्रोध) पृ. ४४
- ४) लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख । (लोभ और प्रेम) पृ. ६९
- ५) क्रोध का विषय पीडा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे क्रोधी उसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है । घृणा का विषय इन्द्रिय या मन के व्यापार में सकोच मात्र उत्पन्न करनेवाला होता है इससे मनुष्य को उतना उग्र उद्वेग नहीं होता और वह घृणा के

विषय की हानि करने में तुरन्त बिना कुछ विचार किए प्रवृत्त नहीं होता। (क्रोध और घृणा) पृ. ९७-९८

- ६) ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्वर्था वस्तुगत (ईर्ष्या और स्वर्था) पृ. १०८.
- ७) वैर और द्वेष में अन्तर यह है कि वैर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार में होता है, पर द्वेष अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की आशा में नहीं किया जाता। (वैर और द्वेष) पृ. १०९
- ८) क्रोध दुःख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए। (क्रोध और भय) पृ. १२४
- ९) दुःखात्मक भावों में आशा की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशाकी। (आशाका और आशा) पृ. १२६ आदि आदि।

मनोविकारों की परिभाषाएँ परस्पर सम्बद्ध तुलनाएँ आदि लिखन में विषय का विवेचन शास्त्रीय है। यहाँ सुक्लजी से सहमन होता ही पड़ता है। उन्होंने मनोविरों के विभिन्न विकल्प दिए हैं; उनकी अलग अलग दशाएँ बतलाई हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया है। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

विकल्प का उदाहरण : जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कण्ठापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाने हैं। (उत्साह के भेद) पृ. ३.

अलग अलग दशाओं या स्थितियों का उदाहरण : स्थितिभेद से प्रिय या अच्छी लगनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है ... (१) प्राप्ति या साभिध्य की इच्छा (२) दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या साभिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है ... (१) इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो (२) इतने संपर्क की

इच्छा जितनी सब कोई या बहुतसे लोग एक साथ रख सकते हो। (लोग की स्थितियाँ) पृ ७१

वर्गीकरण का उदाहरण : स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है। (१) प्रतिभा-सम्बन्धिनी, (२) शील-सम्बन्धिनी और (३) साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी। (श्रद्धा का वर्गीकरण) पृ २२. आदि आदि।

मनोविकारों के विकल्प, उनकी स्थितियाँ या दशाएँ, उनके विभिन्न रूप एवं उनको वर्गीकृत करते समय मनोविकार की किसी स्थिति को छोड़ दिया गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस सारे विवेचन में विषय के विस्तार को व्यापक स्तर प्रदान किया गया है। इस विवेचन में आचार्य शुक्ल का प्रखर ज्ञान व्यक्त हुआ है। मनोविज्ञान या समाज-मनोविज्ञान का जानकार भी इनका विरोध नहीं कर सकेगा। यह इसलिए कि मनोविकार को सामान्य मानकर उनका वैज्ञानिक विवेचन विषयानुसार प्रस्तुत किया गया है। अपने कथन के उपयुक्त शुक्लजी ने उदाहरण भी दिए हैं।

मनोविकार और साहित्य

आचार्य शुक्ल भावक्षेत्र को पवित्र मानते हैं। उनका कविता की शक्ति में अपूर्व विश्वास है। भावक्षेत्र अर्थात् मनोविकारों का क्षेत्र (शुक्लजी के ही शब्दों में) पवित्र है और इस क्षेत्र को पवित्रता बनाए रखने के लिए कविता की आवश्यकता है। आचार्य शुक्ल आलोचक हैं और आलोचक की सवेदना विकसित होती है। इस नाते से शुक्लजी ने अपनी विकसित सवेदना का परिचय दिया भी है। इन निबन्धों में उन्होंने अपनी रसानुभूति का बौद्धिक विश्लेषण किया है। इस बौद्धिक विश्लेषण में उनकी दृष्टि मूलतः कविता पर रही है। एक मनोवैज्ञानिक (Psychologist) इन मनोविकारों का अध्ययन प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि 'मनोविकारों' को कैसे पहचाना जा सकता है? वह यह भी देखेगा कि इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? इनको पहचान कर ही वह 'मन' का विश्लेषण कर सकेगा। मानसिक समस्याओं को पहचानने के लिए एव उनका निदान प्रस्तुत करने के लिए मनोवैज्ञानिक इन मनोविकारों का अध्ययन करेगा। आचार्य शुक्ल का उद्देश्य इस प्रकार का है ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसी तरह समाजशास्त्री की तरह वे मनोविकारों का अध्ययन नहीं करते। यह स्पष्ट है कि उनका यह अध्ययन एव तदनुसार लेखन काव्यशास्त्र के आचार्य होने के नाते है। कर्मयोग, ज्ञानयोग के सदृश वे भावयोग को मानते हैं और भावयोग की साधना काव्य-साधना

है। इस विश्वास पर उ होन अपन सिद्धांतों का प्रणयन किया है। इस प्रणयन में मनोविकारों का स्वतंत्र रूप से बौद्धिक विवेचन इन निबन्धों में किया गया है। अतः दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों में एक मनोवैज्ञानिक के नाते या समाजशास्त्री के नाते नहीं, काव्यशास्त्र के आचार्य के नाते माने जाते हैं। प्रमुख रूप से उनकी दृष्टि साहित्य पर रही है। इस बात का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि इन निबन्धों में मनोविकारों को स्पष्ट करने के लिए कविता से अनेक उदाहरण दिए गए हैं। एक मनोवैज्ञानिक अपने उदाहरण सामाजिक रूप से ग्रस्त रोगियों से देगा। एक समाजशास्त्री अपने उदाहरण सामाजिक इतिहास से देगा या सामाजिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए अपने निष्कर्षों को लिखेगा। आचार्य शुक्ल के उदाहरण कविता से (साहित्य से) सम्बन्ध रखने के नाते यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके ये निबन्ध (मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध) साहित्य से सम्बन्धित हैं और रसानुभूति की बौद्धिक व्याख्या प्रस्तुत करनेवाले हैं। विषय की दृष्टि से ये निबन्ध मनोविज्ञान के नहीं काव्यशास्त्र के माने जाने चाहिए।

व्यक्ति-प्रधान

जैसे कि पहले ही कहा गया है आचार्य शुक्ल के ये निबन्ध विषय बोध के उपरान्त यदि गहराई से देखे तो व्यक्ति-प्रधान प्रतीत होंगे। आचार्य शुक्ल ने निवेदन में लिखा है, 'इस पुस्तक में मेरी अन्तर्यात्रा में पड़नेवाले कुछ प्रवेश हैं। यात्रा के लिये निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं सामिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा-बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि-बोध पर हृदय भी अपने लिये कुछ-न-कुछ पाता रहा है' (पृ. १, निवेदन) अपनी बात कहने के उपरान्त शुक्लजी यह निर्णय पाठकों पर छोड़ देने हैं कि इन्हें विषय-प्रधान माना जाय या व्यक्ति-प्रधान। पाठकों पर निर्णय छोड़ने से पूर्व उनके निवेदन के स्वर को देखा जाय तो वह स्वर 'व्यक्ति-प्रधान' का स्वर प्रतीत होता है। 'मेरी अन्तर्यात्रा' शब्द में 'व्यक्ति' का बोध है, विषय का बोध नहीं। बुद्धि ही या हृदय शुक्लजी ने दोनों को 'मेरी' ही माना है और इस 'मेरी' शब्द ने उनके ही शब्दों में निबन्धों को व्यक्ति-प्रधान बना दिया है। बुद्धि भी मेरी है और हृदय भी मेरा है ध्यान देन योग्य कवन यह है कि

यात्रा के लिए निकली बुद्धि ही है। हृदय उसके पीछे-पीछे है। यात्रा का श्रम बुद्धि का श्रम है और हृदय ने तो श्रमका परिहार किया है। आचार्य शुक्ल का यह निवेदन स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अपने निबन्धों को वे बुद्धि-प्रधान रखना चाहते हैं। यात्रा के लिए बुद्धि निकली है और श्रम भी बुद्धि का है। किन्तु इस बुद्धि को उन्होने मेरी कहा इसीलिये निबन्ध (बुद्धि प्रधान होते हुए भी) व्यक्ति-प्रधान हो गए हैं।

ज्ञान का उपयोग बुद्धि है। इस उपयोग में ज्ञान के उपयोग में अर्थात् बुद्धि में) श्रम होता है। इस पथ पर चलना (यात्रा करना) और रुचि के साथ चलना धैर्य का काम है। बुद्धि को व्यक्तित्व का अंग बनाना और उस पर दृढ़ बने रहना वास्तव में विचारों को तर्क का आधार प्रस्तुत करना है एवं विषय को अपना बनाकर कहना है। आचार्य शुक्ल इन निबन्धों को विषय-प्रधान (विकल्प के रूप में) कहते समय इस बात का अनुभव करते हैं कि निबन्धों में बुद्धि का प्रधान्य है और बुद्धि विषयानुसार यात्रा पथ पर चलती रही है। आचार्य शुक्ल की इस प्रखर बुद्धिमत्ता को विद्वानों ने स्वीकार किया है। आज भी उनका व्यक्तित्व यदि सब को प्रभावित करता है तो वह उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही। यह सब होने पर भी हम बौद्धिक विवेचन में (सहज ही में लक्षित न होने पर भी) व्यक्ति-प्रधान का स्वर मुखरित हुआ है।

ज्ञान या बुद्धि (बुद्धि में ज्ञान का उपयोग होता है, इस ताते) जब विश्वास का रूप ग्रहण कर ले तब फिर वह ज्ञान व्यक्ति-प्रधान हो जाता है। शुक्लजी के लेखन में, कथन में, परिभाषा देने में, वर्गीकरण करने में या अपने कथन को विवेचना में अपूर्व विश्वास दिखलाई देता है। उनके इस विश्वास के कारण ही उनका खण्डन करने में भय का अनुभव होता है। शुक्लजी की महत्ता इमी में है कि उन्होंने अपने विश्वासों को बौद्धिक आधार प्रदान किया है। इसीलिये शुक्लजी का विरोध या खण्डन बौद्धिक आधार पर ही संभव है। शुक्लजी के विचारों में शुक्लजी का विश्वास झलकता है और इस विश्वास के कारण ही उनके विषय-प्रधान निबन्ध, व्यक्ति-प्रधान हो जाते हैं।

आचार्य शुक्लजी के व्यक्ति-रूप का (व्यक्तित्व का) विश्लेषण करने के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली का अध्ययन करना होगा। इस सम्बन्ध में किम्बाल यग का कहना है कि "विश्वास प्रणाली निश्चित ही सामाजिक दृष्टि से व्युत्पन्न प्रणाली है, जो प्रतीकात्मक आदान-प्रदान के आधार पर व्यक्त होती रहती है। अतः वह सापेक्ष सामाजिक अनुभव (Shared experience)

है और उस अनुभव का संदर्भ से कटकर सामाजिक -दृष्टिकोण से-संज्ञोहो अर्थ नहीं। वह विश्वास-प्रणाली बहुत हद तक सम्प्रेषण के आधार पर उत्पन्न होती है और उसी आधार पर स्थिर भी रहती है और उसका भाषा एवं उसके अर्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध बना हुआ होता है। " " किम्बल मंग के इस कथन के आलोक में आचार्य शुक्ल की विश्वास-प्रणाली का अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि यह अध्ययन प्रस्तुत करना कठीन है, फिर भी नीचे इस दिशा में प्रयास किया गया है-। इससे सब का सहमत होना संभव नहीं।

मनोविकारो की व्याख्या एवं विवेचन करते समय आचार्य शुक्ल ने उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों का विश्लेषण करते समय शुक्लजी अपने आश्रमों को एवं विश्वासों को व्यक्त कर देते हैं। इस स्थिति में पहुँचकर वे निर्णय देने लगते हैं। अच्छे-बुरे, नैतिक-अनैतिक, मंगल-अमंगल आदि के सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करते जाते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री अपने विषय का विवेचन करते हुए इस प्रकार के निर्णय नहीं देगा। मनो-विकारो के सम्बन्ध में दिए गए निर्णयों के कुछ और उदाहरण :-

१) एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रवर्तक ने उनके दर्शन तक से पाप लगाया है। भावक्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षेत्र है। उसे इस प्रकार गन्दा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। पृ. ५.

२) शील, कला और साधन-सम्पत्ति-वृद्धा के इन तीन विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे? इसका बेधडक यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण

१ " A belief system is definitely a social product which arises out of the matrix of symbolic interaction Hence it is a shared experience and has no meaning outside a social context. It arises and is maintained largely through communication and it has a very definite relationship of language and meaning "

- Hand book of Social Psychology - By - Kimball Young
Page 187

के लिए शील का ही सब से पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका मन्बन्ध मनुष्य-मात्र की सामान्य स्थिति-रक्षा से है । पृ. २७.

३) लोक-व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान, धर्म-चिन्तक, शासन-कार्य पर नियुक्त अधिकारी, देश-रक्षा में प्राण देने को तैयार और इत्यादि औरों से अधिक आदर और सम्मान के पात्र होते हैं । इनके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित न करना अपराध है । अन्य वर्ग के लोग लोकधर्मानुसार इन्हे बड़ा मानने को विवश हैं । पर इन्हे दूसरों को छोटा प्रकट करने या मनाने तक का अधिकार नहीं है । जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खोया । पृ. ११३. आदि आदि ।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । ये उदाहरण आचार्य शुक्ल के व्यक्तिरूप का उद्घाटन करते हैं । आचार्य शुक्ल ने स्थान-स्थान पर लोक-धर्म का उल्लेख किया है और मनोविकारों की व्यवस्था लोकधर्मानुसार होनी चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है । शील-शक्ति सौंदर्य की त्रिवेणी में शुक्लजी का अपूर्व विश्वास है । इस अपूर्व विश्वास का आधार पुरुषोत्तम रामचन्द्र हैं । गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम का शील, राम की शक्ति एवं राम का सौंदर्य इन सब का साक्षात्कार प्रस्तुत किया है एवं इसी के अनुसार लोकधर्म की स्थापना की है । लोकधर्म आचार्य शुक्ल का अपना शब्द है और जिसकी व्याख्या तुलसीदास के मानस के आधार पर संभव है । मनोविकारों से सम्बन्धित उदाहरणों को प्रस्तुत करते समय विवेक के आधार पर—अच्छे बुरे का निर्णय—(लोकधर्मानुसार)—अपना मत शुक्लजी व्यक्त करते जाते हैं । अपने इस मत में (विचारधारा में) वे पक्के हैं । उनका यह लोकधर्म भारतीय साँचे में ढला हुआ है । आचार्य नददुलारे बाजपेयी ने उनकी इस महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है—
“ उन्हो ने (आचार्य शुक्ल ने) रस और अलंकार-शास्त्र को नवीन मनो-वैज्ञानिक दीप्ति दी और उन्हें ऊँची मानसिक भूमि पर ला बिठाया । इस प्रकार रस और अलंकार हिन्दी समीक्षा से बहिष्कृत होने से बचे । दूसरे शब्दों में शुक्लजी ने समीक्षा के भारतीय साँचे को बना रहने दिया । यही नहीं, उन्हो ने इस साँचे के लिए यह दावा भी किया कि भविष्य को साहित्य-समीक्षा का निर्माण इसी के आधार पर होना चाहिए ।” आचार्य बाजपेयीजीने

१. हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी—नन्ददुलारे

बाजपेयी—(प्रकाशन तिथि १९५८ ई) पृ. ५५.

एक प्रकार से शुक्ल को ठीक पहचाना है मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध से रस-अलंकारशास्त्र (भारतीय काव्यशास्त्र) को मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की गई है। रस सिद्धान्त को इसी आधार पर नया प्राण दिया गया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सिद्धान्त, सिद्धान्त के अनुसार मतवाद एवं तदनुकूल धर्म और उस धर्म के अनुसार मनोविकारों की व्यवस्था शुक्लजी बतलाते चलते हैं। यह सब उनकी विश्वास प्रणाली है जो विशिष्ट संस्कृति के मूल्यबोध से सम्बन्धित है।

आचार्य शुक्ल की वृद्धि की यात्रा अपने स्थान पर ठीक है। उनका सहज विरोध समभव नहीं। किन्तु इस वृद्धि के साथ-साथ हृदय रमता हुआ जब अपनी यात्रा के श्रम का परिहार करने लगता है, उस समय उनका आवेग उमड़ता है। उनके आवेगपूर्ण स्थल, उनके व्यक्तित्व को उनकी नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

१) जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आज भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणयसौरभ पूर्ण मंजरियों से लदे हुए हैं; जो यह भी नहीं साकते कि किसासों के झोबड़े के भीतर क्या हो रहा है? वे यदि दस बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदानी का परता बत्ताकर देस-प्रेम का दावा करे तो उनसे पूछना चाहिए, कि 'भाइयो बिना परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके मुख-दुख के तुम कभी साथी न हुए उन्हें तुम मुखी देखा च'हते हो, यह समझने नहीं बनता उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे; पड़े-पड़े या खड़े-खड़े तुम बिलायती बोली से अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न प्रसीटो। 'प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब-किताब करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम करनेवाले नहीं ... जिसे ब्रज की भूमिमें प्रेम होगा, वह हम प्रकार कहेगा (नैनन सो रसखान - कुजन ऊपर वारों) रसखान का सवैया पृ ७७

२) किसी अवघ के तअल्लुकेदार के लिए बढाई का यह स्वाँग दिखाना आवश्यक नहीं कि वह जब मन में आए तब कामदार टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ गरीबोंको पिटवाता चले। किसी

देहाती थानेदार के लिए यह जरूरी नहीं कि वह सिर पर लाल पगड़ी रख गँवारो को गाली देकर हर समय अपना बड़ाई का अनुभव करता और कराता रहे। पृ. ११५ आदि आदि।

ऐसे और भी स्थल है। मनोविकारो के विकल्प एव उनकी विभिन्न दशाओं को स्पष्ट करते समय जो उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में शुक्लजी का मन रमता है। कभी वे मुग्ध होते हैं और कभी वे विरोध करते हैं। उनका विरोध खुलकर व्यक्त हुआ है और इस विरोध में उनकी नैतिक मान्यताओं को वाणी भिली है।

विचारधारा

आचार्य शुक्ल की विचारधारा में धर्म (शुक्लजी के शब्दों में लोकधर्म) व्यक्त हुआ है। उनका यह धर्म समाज की स्थिति-रक्षा के लिए है। समाज का मंगल उनका लक्ष्य है। स्थूल रूप से उनके इस धर्म (लोकधर्म) में पारम्परिक भारतीय विचारधारा साहित्यिक (काव्यशास्त्रीय) बाना लिए सामने आई है। धर्म की दृष्टि से (विचारधारा से युक्त) कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

- १) शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता है जो धर्म-क्षेत्र में शक्ति-भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का सगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। पृ. ५.
- २) जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला क्षात्रधर्म है। क्षात्रधर्म के इस व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्रधर्म एकान्तिक नहीं है। उनका सम्बन्ध लोकरक्षा से है। पृ. ४३.
- ३) राजधर्म, आचार्यधर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टकाधर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में कर देने से उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मणधर्म और क्षात्रधर्म का लोप हो गया, केवल वणिग्धर्म रह गया। पृ. ७४.

४) इस सार्वभौम वशिवृत्ति से उतना अनर्थ कभी न होना यदि धात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण महयोग ही गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रहने के लिए धात्र-धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्रमघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। पृ. १३०. . . . आदि आदि।

जहाँ तक मनोविकारो का बौद्धिक विश्लेषण किया गया है, वह विषय का बोध वैज्ञानिक रीति से करवाता है। किन्तु ये सारा बौद्धिक विश्लेषण व्यावहारिक रूप में पारम्परिक भारतीय मान्यताओं (विशेष रूप में तुलसीदास की विचारधारानुरूप) के समर्थन के हेतु है। उनके लोकधर्म के सम्बन्ध में वाजपेयीजी लिखते हैं: "इस लोक-धर्म की दो विशाल बाहुएँ हैं। सन् की रक्षा और असत् का दहन। साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश। गीता में श्रीकृष्ण ने अपने आवतार का प्रयोजन बताया है। शुक्लजी इन दोनों पक्षों के पूरे हिमायती हैं। - मानवजीवन का मीन्द्रयं इन उभय पक्षों के पूर्ण परिपालन में ही है; किन्तु साथ ही हमें यह भी भूलना चाहिए कि रामचरितमानस के लोक-धर्म की नींव एकमात्र कर्तव्य-निष्ठा पर ही अवलंबित है। इसमें अधिकारों और कर्तव्यों का दोहरा पक्ष नहीं है... व्यक्ति की दृष्टि से यह पूर्ण त्यागमय धर्म है। दार्शनिक शब्दावली में इसे ही अनासक्त कर्म-योग कहते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि यह पाश्चात्य व्यावहारिक दर्शन नहीं है जिसमें कुछ लेकर कुछ देना पड़ता है, यह है भारतीय कर्म-योग जिसमें व्यक्ति के लिए पूर्ण स्वार्थ-त्याग (सब कुछ देना) और सर्वस्व समर्पण ही धर्म कहलाता है।" वाजपेयीजी ने शुक्लजी की विचारधारा के स्वरूप की ठीक मीमांसा की है। वाजपेयीजी एक और उनके (आचार्य शुक्ल के) लोकधर्म को स्पष्ट करते हैं तो दूसरी ओर उस विचारधारा की कमजोरी पर भी प्रकाश डालते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि शुक्ल जी का विरोध करते समय उनकी विश्वास-प्रणाली का विरोध करना पड़ता है। वाजपेयीजी शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली की मूल भित्ति को काटते हैं। एक बार यदि इस भित्ति को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर बौद्धिक रूप से शुक्ल का विरोध संभव नहीं। शुक्लजी का विरोध करनेवाले शुक्लजी की शक्ति को पहचानते हैं। डॉ. नगेन्द्र, डॉ. शिवदानसिंह चौहान एवं डॉ. देवराज या वाजपेयीजी सभी शुक्लजी से सहमत न होते हुए भी उनकी शक्ति को पहचानते हैं। शुक्लजी का विरोध उनकी विचारधारा (उनके दृढ़ विश्वासों से सम्बद्ध)

१ - हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी-नददुलारे वाजपेयी-पृ. ७२-७३।

। वाजपेयीजीने उनकी (शुक्लजी) विचारधारा का ए लिखा है ।

“स्वार्थ या आसक्ति का त्याग प्रवृत्ति के मूल में भी है और निवृत्ति के मूल में भी । दोनों का आधार एक ही है किन्तु शुक्लजी ने आधार के इस ऐक्य की ओर ध्यान न देकर निवृत्ति और प्रवृत्ति, ज्ञान और कर्म, व्यक्तिगत साधना और लोकधर्म दोनों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया है । अवश्य ही शुक्लजी का यह दार्शनिक विपर्यय भारतीय अध्यात्मशास्त्र के लिए अन्यायपूर्ण हो गया है ।”^१

“सारा मध्यकालीन भक्ति-काव्य शुक्लजी द्वारा दो कटघरों में बंद कर दिया गया है । उन्हें हम संक्षेप में व्यक्तिगत साधना और लोकधर्म के कटघरे कह सकते हैं (ये उन्हीं के शब्दों हैं) आश्चर्य है कि इस प्रकार का वर्गीकरण शुक्लजी ने किया है जब कि वास्तव में दोनों ही एक दूसरे से बहुत अशी तक अनुप्रेरित हैं और दार्शनिक विचारणा में भी एक दूसरे के समकक्ष हैं । इसका नतीजा यह हुआ है कि शुक्लजी का वैष्णव साहित्य का अध्ययन परंपराप्राप्त मान्यताओं के अनुकूल नहीं हुआ ।”^२

“शुक्लजीने राम-राज्य (सत्) और कलियुग (असत्) कहकर उन्हें विरोधी शिबिरो में स्थान दे दिया है । कोई भी आधुनिक समाजशास्त्री अथवा इतिहास का अध्येता इतनी आसानी से इस सारी सामग्री को किनारे नहीं लगा सकता, जिस आसानी से शुक्लजी ने उसे चलता कर दिया है । इन सब निदर्शनों से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ वह यह है कि शुक्लजी का विवेचन न तो प्राचीन दार्शनिक पद्धति का अनुसरण

दी साहित्य . बीसवीं शताब्दी-नंददुलारे वाजपेयी पृ. ७३

ही पृ ७४

करता है और न वे उस प्रकार के साम्प्रतिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्रवृत्त हुए हैं जो आज की अलोचन का आवश्यक अंग है।”³

इस तरह से आचार्य शुक्ल के अन्य विद्वानों का भी अदन किया गया है। आचार्य शुक्ल की विचारधारा स्थूल और आदर्शवादी है। मनीषिज्ञा और समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग उनकी विचारधारा में हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपनी स्थूल मान्यताओं को उन्होंने बौद्धिक आधार प्रदान किया। यही उनकी सब से बड़ी विशेषता है।

आचार्य शुक्ल और जयशंकर प्रसाद

जयशंकर प्रसाद की कामायनी में मनोविकारों (चिन्ता, आशा श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, आदि) का विश्लेषण है। अतः मनोविकारों के अध्ययन में आचार्य शुक्ल के साथ विषय के आधार पर जयशंकर प्रसाद की तुलना की जा सकती है। कामायनी के मर्गों के नामकरण प्रायः मानसिक वृत्तियों के आधार पर ही किए गए हैं। एक प्रकार से कवि ने मानव जीवन की प्रवृत्तियों का (मनोविकारों के आधार पर) क्रम दिखाने का प्रयास किया है। इस क्रम में विज्ञान का प्रथम स्थान दिया गया है और आनंद को अन्तिम। इस अर्थ और इति के बीच कथा के आधार पर (मनु, मन के प्रतीक रूप में) मानव प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण को (मन के विश्लेषण को) मनो-वैज्ञानिक कहा गया है। कामायनी की समीक्षा यहाँ नहीं करनी है। कहना यह है कि ‘ मनोविश्लेषण ’ में (मनु पात्र के विश्लेषण में) प्रसाद की सफलता मिली है। श्रद्धा को आदर्श का रूप देने के कारण और विशेष रूप से कामायनी के अंत में उमी के द्वारा (श्रद्धा के द्वारा), मनु की समस्याओं का निदान (इस नाते मानवीय समस्याओं का निदान, आनंदवाद के आधार पर) प्रस्तुत करने के कारण श्रद्धा मानवी होने हुए भी देखी जा गई है और मनोविश्लेषण की दृष्टि से उसका चरित्र स्वाभाविक नहीं रह पाया है। मनु कमजोर होने पर भी कामायनी का सशक्त पात्र है और मानव प्रकृति की (मनोविश्लेषण के आधार पर) पहचान कराने में समर्थ है। आचार्य शुक्ल जहाँ तक मनोविकारों का विषयारूप विवेचन करते हैं; विषय का बौद्धिक

रूप प्रदान करते हैं। अपन मतवाद या मिद्धांत को (पूर्ण स्वार्थ त्याग और सर्वस्व समर्पण, लोकधर्म आदि को) जब तक वे बीच में आने नहीं देते तब तक उनका मनोविकारो का विश्लेषण वैज्ञानिक है और ग्राह्य है। इसी तरह कामायनी में मनु (मनुके कमजोर पात्र होने पर भी) मनोविश्लेषण की दृष्टि से मानव प्रकृति के अधिक निकट होने के नाते ग्राह्य है। कामायनी की सफलता इसी में है कि मनु की समस्या (मानव-प्रकृति की समस्या) को मनो-विश्लेषण के आधार पर-मनोविकार के सदर्भ में-चरित्र मूलक ढंग से प्रस्तुत कर दी गई। कामायनी की असफलता, समस्या के निदान की असफलता है या मिद्धांतो की असफलता है। कवि के रूप प्रसाद सफल है। दार्शनिक के रूप में विवाद है। कामायनी का पूर्वार्ध कवि प्रसाद (लज्जा सर्ग तक) का व्यक्त रूप है और उत्तरार्ध विचारक या दार्शनिक प्रसाद का। कवि रूप में कवि सफल है और विचारक या दार्शनिक रूप में असफल। डॉ. इन्द्रनाथ यदान ने कामायनी से कामायनी की पहचान करते हुए कामायनी को एक असफल कृति घोषित किया है। (आलोचना ४४, अक्टूबर-दिसम्बर १९६८ ई.)। असाधारण असफलता को वे साधारण सफलता से बेहतर कहते हैं। विषय को ओर आते हुए और विशेष रूप से मनोविकारो के सम्बन्ध में दोनों के (जयशंकर प्रसाद और आचार्य शुक्ल के) दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि जयशंकरप्रसाद ने मनोविश्लेषण (मनु का) करते समय, मनोविकारों का सहज रूप-मानव-प्रकृति के अनुसार-काव्यमय पद्धति से उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते समय अपूर्व सफलता प्राप्त की। गजानन माधव मुक्तिबोध को भी इस सफलता पर आपत्ति नहीं है।^१ आचार्य शुक्ल की सफलता इसके विपरीत मनोविकारो को (उनकी मान्यताओं एव उनके व्यक्तिरूप से हटकर) बौद्धिक आधार देने के नाते मिली है। जयशंकरप्रसाद और आचार्य शुक्ल का क्रम अपना अपना है। जयशंकरप्रसाद में मनोविकारो का (व्यक्ति समस्या के रूप में) व्यक्ति के नाते प्रधानता प्राप्त हुई है। इस पर काव्य एव निबन्धों का (साहित्य रूपों का) अन्तर सुस्पष्ट है। क्रम की दृष्टि से विचार करें तो व्यक्ति रूप में,

१. ' सच तो यह है कि प्रसादजी की विश्लेषणात्मक सूक्ष्म दृष्टि जो काव्य उपस्थित करती है, वह काव्य निःसन्देह, हमें अभिभूत कर देता है। प्रसादजी शक्तिशाली कवि है, यह निःसन्देह है।'
 - कामायनी : एक पुनर्विचार-गजानन माधव मुक्तिबोध-पृष्ठ १८६
 (अन्ततःसे)

चिन्ता को प्रथम स्थान दिया गया है और आनन्द को अन्तिम इसी तरह सामाजिक रूप में उत्साह को प्रथम स्थान मिलना चाहिए और क्रोध को अन्तिम । आचार्य शुक्ल ने निबन्धों में जो क्रम रखा है उगका विशेष सामाजिक धरातल पर किया जा सकता है । (१) उत्साह, (२) श्रद्धा-भक्ति (३) करुणा, (४) लज्जा और ग्लानि, (५) लोभ और प्रीति, (६) घृणा (७) ईर्ष्या, (८) भय और (९) क्रोध, ध्यान में यदि हम क्रम को पहचानने का प्रयास करें तो जात होगा कि समाज का स्थिति-रखा के लिए जिन मनोविकारों को प्रधानता मिलनी चाहिए उनको शुक्लजी ने पहले स्थान दिया है । उत्साह (कर्मण्य बनने के लिये), श्रद्धा-भक्ति (कर्मण्य के प्रति श्रद्धा-भक्ति होना समाज के मंगल के लिए वाञ्छनीय होने के नाते), करुणा (दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक होने के नाते एवं शान्त और सात्विकता का आदि सस्थापक यही मनोविकार होने के नाते), लज्जा और ग्लानि (बुराई से बचनेवाले मनोविकार, सात्विक वृत्तिमालों के लिए ग्लानि और राजसी वृत्तिवालों के लिए लज्जा), लोभ और प्रीति (इनके विस्तृत शासन के भीतर आनन्दरत्मक और दुःखरत्मक दोनों प्रकार के मनो-विकार आ जाते हैं - मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने भृगुार को सम्राज कहा है इस नाते) इनके आगे जो मनोविकार है उनकी स्थिति भिन्न है । घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध ये सभी मनोविकार वाछनीय तो नहीं हैं किन्तु इनमें मुक्ति सम्भव नहीं । अतः इनसे निवृत्त होना है । घृणा (शिक्षाद्वारा प्राप्त आदरों के प्रतिकूल अस्विकार विषयों को जानपथ से दूर रखने के लिये), ईर्ष्या (सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न विष होने के नाते), भय (भुङ्गातक होने के लिए, क्षात्रघम के सहारे निर्भय होने के नाते) और अन्त में क्रोध (वांस्ति भंग करनेवाला मनोविकार होने के नाते) आए हैं । इस क्रम के आन्धर पर एक चित्र बनाया जा सकता है । वह इस प्रकार है :-

मनोविकारों का चित्र

प्रवृत्ति (आनन्दरत्मक)	प्रवृत्ति-निवृत्ति	निवृत्ति
उत्साह	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div style="text-align: center;"> लो भ और प्री ति </div> <div style="font-size: 3em; margin-left: 10px;">}</div> </div>	घृणा
श्रद्धा-भक्ति		ईर्ष्या
करुणा		भय
लज्जा और ग्लानि		क्रोध

लोभ या प्रेम को सब से बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम यह निबन्ध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यञ्जना हँसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यञ्जक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं तथा हँसपुलक और उछल-कूद भी। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनन्द-आत्मक और दुःखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से श्रृंगार के दो पक्ष कर दिए हैं। सयोगपक्ष और वियोगपक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियाँ और चेष्टाएँ उत्पन्न करे और न रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का—सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं—जैसे क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या वैर का रूप धारण करता है और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का—पर यह विशेषता और किमी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगो ने श्रृंगार को रसराज कहा है।” (पृ ९६)

यह चित्र आचार्य शुक्ल के क्रम के अनुसार है। इस क्रम में मनोविकारों को सामाजिक सदर्भ में देखा गया है। यह स्पष्ट है। साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो गई कि रसराज क्यों श्रृंगार ही को कहा गया। अद्भुत और हास्य दोनों नहीं आ पाए हैं। सच तो यह है कि अद्भुत और हास्य (रस मिद्धान्त के लिए आवश्यक हैं) मनोविकारों को भी स्थान मिलना चाहिए था। इन पर भी स्वतंत्र निबन्ध लिखे जा सकते थे। संभवतः इन का सम्बन्ध विलक्षणता आश्चर्य, जिज्ञासा, कुतूहल वैचित्र्य आदि से होने के कारण और विशेष रूप से बाह्य आलम्बन पर निर्भर रहने के कारण ये मनोविकार आवश्यक न माने गए हो। जिन मनोविकारों का विश्लेषण किया गया है वे सामाजिक सदर्भ में मन की व्यवस्था (प्रवृत्ति-निवृत्ति) बतलाते हैं।

आचार्य शुक्ल और बर्ट्रेंड रसेल

आचार्य शुक्ल समाज की स्थिति-रक्षा चाहते हैं। व्यक्ति को उन्होंने समाज के सदर्भ में देखा है। अतः उनके सामाजिक विचारों को परखा जा सकता है। जैसे आचार्य शुक्ल समाज का हित चाहते हैं, वैसे ही विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक एवं विचारक बर्ट्रेंड रसेल भी समाज का हित चाहते हैं। विश्व-शांति के लिए बर्ट्रेंड रसेल के प्रयत्न ख्यात हैं। अतः समाज के मंगल की

कामना के हेतु मनोविकारों के सम्बन्ध में दोनो व किन्तु ही दुःखना कारणे हुए, उनके समाज दशन (दानो क) का स्पष्ट चित्रण आ सकता है। रसेल, लोकमत का भय, उत्साह, स्नेह आदि निबन्ध रसेल ने भी मनोविकारों पर लिखे है। वे निबन्ध ऐसे हैं जो सुकलजी द्वारा भी लिखे गए हैं। रसेल ने अपनी पुस्तक में दो खण्ड किए हैं। खण्ड १ में दुःख के कारण से सम्बन्धित (लोग दुःखी क्यों रहते हैं, निर्दलित-मत-पुस्त, प्रतियोगिता, ऊँची-उन्नी-प्रजा, थकान, ईर्ष्या, पाप की भावना, उत्पीड़न-उन्माद, लोकमत का भय) निबन्ध लिखे गए हैं और खण्ड २ में सुख के कारणों से सम्बन्धित (स्वा-सुख-आप्ती-संभव है, उत्साह, स्नेह, परिवार, काम, निर्वैयक्तिक भावना, पश्चिम और सुखी मानव) निबन्ध हैं। सुख की साधना में मनोविकारों का परिकल्पना आवश्यक है। रसेल का यह पुस्तक आचार्य सुख के समान (मनोविकारों में सम्बन्धित होने पर भी) बौद्धिक एवं पांडित्यपूर्ण नहीं है। रसेल इस पुस्तक का लियेदन में बुद्धि की यात्रा का उल्लेख नहीं करते। रसेल लिखते हैं— "यह पुस्तक विद्वानों के लिए नहीं लिखी गई है और न ही उन लोगों के लिए जो किसी व्यावहारिक समस्या को मात्र वादविवाद का शिष्य समझते हैं। उनमें कोई संभार दर्शन और विद्वता भी नहीं मिलेगी। मैंने केवल ऐसे सुभाषणों का प्रयत्न किया है जिन्हें मेरे विचार से सामान्य तर्क से प्रेरणा मिलती है। मैंने इस पुस्तक में जो युक्तियाँ बताई हैं उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि वे मेरे अपने अनुभव और निराक्षण की कसौटी पर खरा उतर चुकी हैं। और जब भी मैंने उन पर अमल किया है, मेरे जीवन में सुख की वृद्धि हुई है। इसलिए मुझे आशा है कि जो लोग दुःख में आतंश का अनुभव किए बिना दुःख झेलते रहते हैं उनमें से कुछ इस पुस्तक की सहायता से अपने दुःख के कारणों को समझ सकेंगे और इस दशा से निकलनेका रास्ता भी उन्हें मिल सकेगा। मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग जो दुःखी हैं, धुनिर्दिष्ट प्रयत्न के द्वारा सुख की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और इसी विश्वास से प्रेरित होकर मैंने यह पुस्तक लिखी है।" पुस्तक लिखने के उद्देश्यों में अन्तर है। रसेल की पुस्तक में उपदेश नहीं, सुझाव है। आचार्य सुख का दमकता निश्चय (अपने आयुओं के साथ) रसेल की पुस्तक में नहीं है। ईर्ष्या पर दोनो ही के निबन्धों से नीचे उदाहरण दिए जा रहे हैं:—

१. सुख की साधना—बर्ट्रण्ड रसेल—, अनुवादक स्वामी बदीउज्जमा)
अनुसूच से।

बर्ट्रेंड रसेल के अनुसार

“ वास्तव में ईर्ष्या एक प्रकार का दुर्गुण है जो कुछ नैतिक भी है और कुछ बौद्धिक भी। वस्तुओं को अपने-आप में न देखना और सदा ही उन्हें उनकी सापेक्षता में देखना इसकी विशेषता है निस्संदेह ईर्ष्या का प्रति-योगिता से गहरा संबंध है आधुनिक संसार में सामाजिक स्तर की अस्थिरता और लोकतंत्र तथा समाजवाद के समानतामूलक मिथ्यातों ने ईर्ष्या के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। इस समय तो यह अनिष्ट है परंतु यह ऐसा अनिष्ट है जिसे अधिक न्यायसंगत समाज व्यवस्था तक पहुँचने के लिए सहन करना आवश्यक है।”^१

आचार्य शुक्ल के अनुसार

‘ ईर्ष्या एक संकर भाव है जिनकी सम्प्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग से होती है ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है . न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईंटें जोड़ता है। समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हम से छोटे हो। जिस जाति में इस छोटाई-बड़ाई का अभिमान जगह-जगह जमकर दृढ़ हो जाता है, उसके भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती है, और सब-शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है। यदि समाज में उन कार्यों की जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी जीवन-निर्वाह करते हैं परस्पर छोटाई-बड़ाई का ढिंढोरा न पीटा जाय, बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो बहुत-सा असतोष दूर हो जाय, राजनीतिक स्वत्व की आकांक्षा से स्त्रियों की पुरुषों की हृद में न जाना पड़े, सब पढ़े-लिखे आदमियों को नौकरियों ही के पीछे न दौड़ना पड़े । (पृ. १०७, ११०, ११३ और ११४।)

दोनों विद्वानों के इन कथनों की तुलना की जा सकती है। ईर्ष्या के दुर्गुणों से दोनों ही परिचित हैं और उसकी नैतिक एवं बौद्धिक स्थिति को दोनों ही जानते हैं। अन्तर समाज के प्रति पाए जानेवाले दृष्टिकोण का है। रसेल के पूरे निबन्ध में ईर्ष्या को व्यक्ति के सदर्भ में, दुःख का कारण मानकर उसका विवेचन किया गया है। रसेल ईर्ष्या का विकास होने के कारणों से परिचित

१. सुख की साधना-बर्ट्रेंड रसेल- (अनुवादक : खाजा बबीउज्जमा)

-पृ. ७०-७१-७२।

है किन्तु इस परिचय को यथार्थ रूप में स्वीकार करने हुए उनका कहना यह है कि लोकतंत्र और समाजनामूलक सिद्धांतों के कारण ईश्या का श्रेष्ठ विस्तार हो गया। यह अनिष्ट होने पर भी समाज की भलाई के लिए, स्थायमक व्यवस्था के लिए तथा व्यक्ति के सुख में वृद्धि करने के लिए इसे घटाना आवश्यक है। आचार्य शुक्ल इसके विपरीत सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि छोटाई-बड़ाई का दिशा न पीटकर, उनकी (समाज में पाए जानेवाले विभिन्न वर्गों की) विभिन्नता स्वीकार कर देने से ईश्या में कमी होगी। असतोष की मात्रा घटेंगी। स्थियों का पुरुषो हो इत में जाना शुक्लजी को स्वीकार नहीं है। सामाजिक दृष्टि में आचार्य शुक्ल के विचार पुराने प्रतीत होते हैं जब कि रमेल के विचारों में आधुनिकता है। यह होने पर भी आचार्य शुक्ल ने अपने पुराने विचारों को जा बौद्धिक आधार दिया है—व्यवस्था के प्रति यदि उनके विचार स्वीकार कर लिए जाते हैं—यह उनके सामाजिक अध्ययन को व्यक्त करनेवाला है। भारतीय समाज—व्यवस्था का (आचार्य शुक्ल के अपने समय में वर्तमान) बौद्धिक विश्लेषण, पूरे मनोरंजन एवं अपूर्व विश्वास के साथ शायद ही किसी लेखक ने किया होगा। आचार्य शुक्ल के इन निबन्धों में भारतीय मनोभूमि सामाजिक परिप्रेषण में दमक उठी है।

सबल व्यक्तित्व

आचार्य शुक्ल के विचारों में परिचित होने पर अब उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है। उनका व्यक्तित्व सबल है, इसमें किसी का सन्देह नहीं हो सकता। शुक्लजी के व्यक्तित्व की मज से बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं। अपने विचारों की दृढ़ता के माझ कहना जानते हैं और उन विचारों के लिए उनके पास पुष्ट बौद्धिक प्रमाण है। शुक्लजी का खण्डन करना ही तो उनके विचारों का खण्डन करना होगा। शुक्लजी का खण्डन बौद्धिक धरातल पर संभव नहीं। यदि आप उनके एक वाक्य को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा वाक्य उसी वाक्य की शृंखला में होने के नाते स्वीकार करना होगा। काटना ही तो पहले वाक्य को काट दिया जाय, तब तो खण्डन हो सकता है। बीच में से काटना संभव नहीं। अपने निबन्धों में उन्होंने अपनी गभीर मुद्रा को सदैव बनाए रखा है। परिहास और व्यंग्य भी करते चलते हैं किन्तु उन स्थलों पर भी उनकी गभीरता झलकती रहती है। परिहास, भावुकता एवं व्यंग्य के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं

लोभियो । तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय निग्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगर्हणीय है । तुम धन्य हो ! तुम्हे धिक्कार है ! ! ” (पृ ८५) - परिहास

“ रसखान तो किमी की ‘ लकुटी अरु कामरिया ’ पर तीनों पुरो का राजसिंहासन तक त्यागने को तैयार थे पर देश प्रेम की दुहाई देनेवालों में से कितने अपने किसी थके-मादे भाई के फटे-पुराने कपड़ों और धूलभरे पैरो पर रीझकर, या कम से कम खीझकर, बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देगे ? मोटे आदमियों तुम जरा-सा दुबले हो जाते- अपने अदेशे से ही सही- तो न जाने कितनी ठठरियो पर मांस चढ़ जाता । ” (पृ ७७)-भावुकता

“ पर आजकल इस प्रकार का (देश का) परिचय बाबुओं के लिए लज्जा का विषय हो रहा है -- ... मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची स्तूप देखने गया -- -- वसन्त का समय था । महुए चारों ओर टपक रहे थे । मेरे मुंह से निकला-महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है । ” इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, “ यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिये, लोम देहाती समझेगे । ” मैं चुप हो गया ; समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लगता है । ” (पृ. ७८-७९) - व्यंग्य

इस प्रकार के और भी उदाहरण मिल सकते हैं । ऐसे स्थलो पर भी उनकी बौद्धिक प्रभा विद्यमान रहती है । शुक्लजी का आनन्द जानानन्द है । भावयोग की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया है । मनोविकारों में उनका व्यक्तित्व जिन मनोविकारों में अधिक रमा है (उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें लगा है) उनसे सम्बन्धित निबन्धों में उन्होंने अधिक उदाहरण दिए हैं । उनकी बुद्धि की यात्रा में हृदय जहाँ-जहाँ रमा है या उनके बुद्धि के श्रम का परिहार जहाँ-जहाँ हुआ है, वे स्थल उनके व्यक्तित्व के निकट के स्थल हैं । ‘श्रद्धा-भक्ति’ एवं ‘लोभ और प्रीति’ दोनों निबन्ध सब से बड़े हैं ।) ‘श्रद्धा-भक्ति’ २७ पृष्ठों का है और ‘लोभ और प्रीति’ २८ पृष्ठों का है), उदाहरणों की संख्या इन दोनों निबन्धों में ही अधिक है । इन वृत्तियों में शुक्लजी का मन अधिक रमा है । इन निबन्धों में उनका हृदय खुलकर बाहर आया है । ‘ईर्ष्या’ निबन्ध-उदाहरणों से रहित होने पर भी-

व्यग्यपूर्ण होते हुए भी बद्धि प्रधान है । य, कहु मऊत ँ कि 'कौम औ प्रीति, श्रद्धा-भक्ति,' 'कठणा,' 'उत्साह' एवं 'लज्जा और शक्ति' निबन्धों । शुक्ल जी व्यक्ति-प्रधान हो गए हैं (अपेक्षाकृत) और 'धृष्ट,' 'दृष्टी,' 'भय और 'कोध' में विषय प्रधान (अपेक्षाकृत) ।

उपसंहार

अब अन्त में विषय का समाहार करने हुए यह कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के मनोविकारों से सम्बन्धित लिखे गए ये विषय मनोविज्ञान या समाज-मनोविज्ञान से सम्बन्धित निबन्ध नहीं हैं । इनमें मनोविक्षेपण (मनोवैज्ञानिक अर्थ में) नहीं किया गया है । उन तुलना में कामाजनी में (मनु के चरित्र में) मनोविक्षेपण हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है । वस्तुतः ये निबन्ध व्यक्ति-व्यक्ति, एवं व्यक्ति-समूह के सम्बन्ध को समाज-मनोविज्ञान (Social Psychology) के रूप में प्रस्तुत करनेवाले निबन्ध हैं । यहाँ भी यह समाज विशेष सांस्कृतिक मूल्यों से युक्त है । अतः जिस विशेष समाज (तुलसी मानस की विचारधारारूप) के आदर्श को लेकर ये निबन्ध लिखे गए हैं, उसका विक्षेपण वैज्ञानिक, नैतिक एवं बौद्धिक (नैदानिक दृष्टि से) है । अपनी स्थूल सामाजिक मान्यताओं की मनोविकारों का विक्षेपण करते हुए तथा अपने पाण्डित्य का पूरा-पूरा उपयोग करते हुए आचार्य शुक्ल ने विषय को गंभीर स्वरूप दिया है । रसानुभूति के उद्घाटन में मनोविकारों की निबन्धि को स्पष्ट किया गया है । रससिद्धान्त का इन निबन्धों ने मनोवैज्ञानिक दीप्ति दी है । हिन्दी के मौलिक आचार्यों में शुक्लजी का स्थान असी अगहू कायम है । शुक्लजी को आउट ऑफ़ डेट माननेवाले भी ये जानते हैं कि हिन्दी में गंभीर चिन्तन उन्हीं से गुरु हुआ है । उनके विचार आउट ऑफ़ डेट हो सकते हैं किन्तु मौलिकता और प्रतिभा आउट ऑफ़ डेट नहीं होती । उनके चिन्तन में मौलिकता है और इस चिन्तन की मौलिकता के कारण हिन्दी का उन पर सदैव गर्व रहेगा ।

२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

102

Handwritten text on the right margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



२. कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

‘ कविता क्या है ? ’ आचार्य रामचन्द्र शकल द्वारा लिखा गया एक स्वतंत्र निबंध है। निबंध का शीर्षक एकदम स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि गुक्लजी इस निबंध में - ‘कविता क्या है ?’ यदि उनमें पूछा जाय तो वे उसका उत्तर सीधे, जिम रूप में देना चाहेंगे, वही उत्तर इस निबंध में है। लगभग ४६ पृष्ठों (चिंतामणि, भाग १, १९६२ वाला संस्कारण) में यह निबंध लिखा गया है, इस पर भी कविता की स्पष्ट परिभाषा उन्होंने दो है, इस संबंध में प्रश्न उपस्थित किया गया है। डॉ. बच्चनसिंह ने लिखा है। “ स्वभावतः प्रश्न उठता है कि शुकलजी ने काव्य को परिभाषित क्यों नहीं किया ? किसी भी पुरानी परिभाषा को स्वीकार करने के बाद उन्हें एक सीमा में बंध जाना पड़ता और नये अर्थोपन की छूट नहीं मिल पाती। दूसरी बात यह कि स्वयं काव्य क्या है, इसे विवेचित करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था

कि काव्य का लक्ष्य क्या है ? ये काव्य की प्रकृति का विश्लेषण न करके काव्य के प्रयोजन का विवेचन करते हैं। उनकी प्रार्थना में लक्ष्य स्पष्टता, गंभीरता, विश्लेषण-क्षमता दिखाई देती है, उसमें भ्रांतिपूर्णता भी है पर उसे अधिकतर आलोचना नहीं कह सकते।¹ डॉ. शुकलजी का इस कथन में लक्ष्य की बात है और इस कथन को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने मान्यताओं का आलोचना पद्धति की बुनियादी सामग्री बनाने के लिए अपना निबन्ध लिखा है और इसी मद में कविता संबंधी शुकल की मान्यताओं का विवेचन किया है। सच तो यह है कि शुकलजी ने 'कविता क्या है ?' प्रश्न का उत्तर दिया है। उनका यह उत्तर विस्तृत है। दो चार पंक्तियों में कविता को परिभाषित कर देना और कविता के प्रतिमान कविता के भीतर खोजना उन्होंने उचित नहीं समझा। 'कविता क्या है ?' का उत्तर दाने विस्तृत रूप में दिया गया है कि कविता संबंधी पारंपारिक एवं प्रचलित मान्यताओं पर उन्होंने लुककर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोई उन विचारों से सहमत हो या न हो, उनके विचार उनके अपने हैं। और एकदम स्पष्ट है। यही शुकलजी की कविता संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस निबंध में उनकी मौलिक उद्भावनाएँ भी हैं। उनकी ये मौलिक उद्भावनाएँ अब तक पढ़वान ली गई हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। नीचे कविता संबंधी शुकलजी की मान्यताओं का विवेचन प्रस्तुत करते हुए, उनकी (इस निबंध में) मौलिक उद्भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सारा विवेचन शुकलजी के एक मात्र निबंध 'कविता क्या है ?' के आधार पर किया जा रहा है।

२

आचार्य शुकल ने 'कविता क्या है ?' निबंध की उपशीर्षकों में विभाजित किया है उनके ये उपशीर्षक निम्न रूप में मिलते हैं।

- १) सभ्यता के आचरण और कविता।
- २) कविता और सृष्टि-प्रसार।
- ३) मार्मिक तथ्य।
- ४) काव्य और व्यवहार।
- ५) समुप्यता की उरुच-भूमि।
- ६) भावना या कल्पना।
- ७) मनोरंजन।

१. कल्पना, फरवरी १९७१, पृ. ४.

- ८) सौंदर्य ।
 ९) चमत्कारवाद ।
 १०) कविता की भाषा ।
 ११) अलंकार ।
 १२) कविता पर अत्याचार । और
 १३) कविता की आवश्यकता ।

इन शीर्षकों में एक क्रम है । आदि से अन्त तक शुक्लजी को इस बात का ध्यान रहा है कि वे — 'कविता क्या है' ? का उत्तर लिख रहे हैं । विषय की लीक पर चलने हुए गभीर विषय को छोटे-छोटे उपशीर्षक बनाकर कविता के सदर्भ में ही आचार्य शुक्ल ने यह सारा विवेचन किया है ।

३

निबन्धकार की एक बड़ी विशेषता यह होनी चाहिए कि जिस विषय पर भी निबन्ध लिखा जाय, उस विषय का समग्र बोध उसके मस्तिष्क में स्पष्ट हो और प्रथम पंक्ति के लिखने से लेकर अन्तिम पंक्ति तक एकरूपता — विचारों में, तदनुसार विश्लेषण में एकरूपता — बनी रह सके । शुक्लजी के इस निबन्ध में (अन्य निबन्धों में भी हैं) यह विशेषता पाई जाती है । वैसे तो निबन्ध का प्रथम अनुच्छेद निबन्ध में सब से महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद है । "मनुष्य अपने भावों .. . उसे कविता कहते हैं ।" आचार्य शुक्ल की यह महत्त्वपूर्ण स्थापना है । सच्चाई यह है कि 'कविता क्या है' ? का उत्तर इन पंक्तियों में दे दिया गया है । यदि शुक्लजी इतना कहकर रुक जाते तब भी काम चल जाता । इस अनुच्छेद के बाद में लिखा गया सारा निबन्ध इसी अनुच्छेद की पुष्ट करने के लिए ही है । प्रथमतः उनके इस प्रथम अनुच्छेद का विश्लेषण किया जाय और अनन्तर उनके बाद के विवेचन पर विचार किया जा सकता है ।

४

अपने प्रथम वाक्य में शुक्लजी ने 'जीना' की परिभाषा दी है । इसी तरह दूसरे वाक्य में 'जगत' का परिभाषा दी है । इसके बाद 'बुद्ध-हृदय' एवं 'मुक्त-हृदय' को समझाया गया है । इसे समझने के लिए इस तरह लिखा जा सकता है :-

जीना :- मनुष्य प्रायः भावों, विचारों और व्यापारों को लिये दिये दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों साथ को कही मिलता

और कड़ी लटाता हुआ अ (नक्षत्र) सलता है और इसी को जीना कहता है । (पृ. १४१)

जगत - जिम अनन्त-रूपारमण है । (इत लयायाम् । अना जिसे ऊपर परिभाषित किया है) जलजा शब्दा में । अयना नाम है जगत । (पृ. १४१)

बद्ध-हृदय - जय तर कोई श्रापनी पुरन भाव की भावना को गण किम् इस धीन से नावा कपी जय व्यापारों की जयने कोमशत, हानि-लाभ, गुण-दुख आदि से सम्बन्ध करके देखाया जाता है तब तक उसका हृदय एक पदार्थ से बद्ध रहता है । (पृ. १४१) (इस वाक्य में 'इम श्रेय' का अर्थ जगत में है, जिसे ऊपर परिभाषित किया गया है ।)

मुक्त-हृदय - इन रूपों और व्यापारों (जगत) के सामर्थ्य जब कला बद्ध अपनी गूणत् सत्ता की धारणा में परकर - इसमें आगकी बिलकुल मूलकर-विशद्व जन्मूंग मान पड़ जाता है, तब वह मुक्त-हृदय ही जाता है । (पृ. १४१)

इसके बाद आचार्य सुकल ने 'ज्ञानदशा' और 'रसदशा' को समझाया है । वह इस प्रकार है :-

ज्ञानदशा - आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाता है । (पृ. १४१)

रसदशा - हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है । (पृ. १४१)

ज्ञानदशा को सुकलजी ने रसदशा के समकक्ष माना है । इन भारी भूमिका के बाद कविता को परिभाषित किया है । परिभाषा इस प्रकार है :-

“ हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य का वाणो जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं । ” (पृ. १४१)

यह कहने के बाद (कविता को परिभाषित करने के बाद) विद्वान्म के साथ सुकलजी अपनी मान्यता को भी अभिव्यक्त कर देते हैं । लिखा है :-

“ इस साधना को (कविता की साधना को) हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं । ” (पृ. १४१)

५

आचार्य सुकल ने निबंध के इस प्रथम अनुच्छेद में ही 'जीना', 'जगत', 'बद्ध-हृदय', 'मुक्त-हृदय', 'ज्ञानदशा', 'रसदशा' आदि शब्दों का विशेष

अर्थ में प्रयोग किया है और कविता को हृदय की मुक्ति का साधन माना है। कविता मनुष्य की वाणी है अवश्य पर वही वाणी जो हृदय की मुक्ति का साधन है, वही कविता है। (वाणी के साथ 'शब्द-विधान' शब्द जुड़ा हुआ है, यह अवलोकनीय है।) आचार्य शुक्ल की कविता के सन्बन्ध में यह स्थापना अपने आप में पूर्ण है और निबन्ध के अन्त तक वे अपनी इस स्थापना पर दृढ़ हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि शुक्लजी की यह स्थापना मौलिक है, उनकी अपनी है। इसे हम उनकी उद्भावना कह सकते हैं। शुक्लजी से मतभेद रखने वालों को उनकी इस स्थापना से मतभेद रखना चाहिए और यही पर इस स्थापना का खडन करना चाहिए। यदि हम एक बार उनकी इस स्थापना को स्वीकार कर लेते हैं तो आगे उन्का खडन करना बहुत कठिन है। इस प्रथम अनुच्छेद के बाद आगे लिखा हुआ सारा निबन्ध इस स्थापना को दृढ़ करने के लिए है। अपने इसी प्रथम अनुच्छेद के अन्तिम वाक्य में वे कहते हैं। 'इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं।' यहाँ जिस साधना की बात कही गई है, वह कविता की साधना है। कविता की साधना हृदय की मुक्ति के लिए है। हृदय की मुक्ति लक्ष्य है, यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।

आचार्य शुक्ल ने इस अनुच्छेद के बाद में कविता को परिभाषित नहीं किया। किया है, तो यही किया है और यहाँ भी लक्ष्य रूप में किया है। इसे वे भावयोग कहते हैं (कविता की साधना को) और ज्ञानयोग और कर्मयोग के समकक्ष मानते हैं। भावयोग, कर्मयोग एवं ज्ञानयोग ये शब्द प्राचीन प्रतीत होते हैं, गीता से मवधित जान पड़ते हैं। आचार्य शुक्ल इन शब्दों का प्रयोग कविता की साधना को समझाने के लिए करते हैं।

कविता की साधना = भावयोग = कर्मयोग = ज्ञानयोग।

६

'कविता क्या है?' निबन्ध के इस प्रथम अनुच्छेद के सन्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि १९०९ ई. में जब यह निबन्ध प्रथमतः लिखा गया उस समय यह प्रथम अनुच्छेद निबन्ध में नहीं था। सरस्वती में शुक्लजी का यह निबन्ध इमी शीर्षक से (कविता क्या है ?) १९०९ ई. में प्रकाशित हुआ। इसके बाद ३० वर्षों के मनन-चिन्तन के उपरांत-शीर्षक वही रखते हुए-इसी को, बृहत् रूप देकर चिन्तामणि भाग १ में, १९३९ ई. में प्रकाशित

किया गया इन दोनों को (१९०० एवं १९२९ ई. का कविबर्षों की) यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उससे आचार्य सूर्य की विचार प्रज्ञा का ही नहीं उनके बौद्धिक विकास का भी ज्ञान होता है । १९०९ ई. में लिखे गए इस निबंध का प्रथम अनुच्छेद इस प्रकार है । -

“ कविता के जनन-भाव की रक्षा होती है । मूर्ख के पदार्थ और व्यापार-विशेष को कविता एक तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार-विशेष नैराश्रित मानव के समाने मानव के होते हैं । उनकी उत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से भाव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती । कविता की प्रेरणा से मनोवेगों (जिनको मनोवेगों का नाम अलंकारशास्त्र में रसा रखा गया है ।) के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं । नाशपूर्ण यह कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है । यदि क्रोध, वदना, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अन्तःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता । कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वसित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है, हम मूर्ख के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं; कोई अनचित या निपटुर काम हमें असह्य होने लगता है । हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक हाकर सम्पन्न सत्कार में व्याप्त हो गया है ।”

चिन्तामणि प्रथम भाग में प्रकाशित निबन्ध में यह अनुच्छेद यही है । १९०९ ई. में प्रकाशित इस निबन्ध में भी ' कविता क्या है ? ' मुख्य शीर्षक के अतिरिक्त अन्य उपशीर्षक भी हैं । ये उपशीर्षक निम्न रूप में हैं :-

- १) काव्य में प्रवृत्ति ।
- २) मनोरंजन और स्वभाव-मशोधन ।
- ३) कविता की आवश्यकता ।
- ४) मूर्ख और मूर्खता ।
- ५) कविता का भाषा ।
- ६) श्रुतिसुखरता । और
- ७) अलंकार ।

१. सरस्वती-हीरक जयती, विशोधाक, (१९००-१९५९ ई.)
पृ. ४८९-४९०

इन शीर्षकों का और बाद में सशोधित निबन्ध में दिए गए शीर्षकों दोनों को मिलाकर तुलनात्मक दृष्टि से नीचे विचार किया जा रहा है। इससे पूर्व कहना यह है कि १९०९ ई. में प्रकाशित निबन्ध में दिया गया प्रथम अनुच्छेद (ऊपर उद्धृत) १९३९ ई. में शुक्लजी ने हटा ही दिया। वह उन्हें उचित नहीं लगा। इस समय उन्होंने नया अनुच्छेद लिख डाला और यह प्रथम अनुच्छेद निबन्ध में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रभाव बाद के पूरे निबन्ध में है और इसी अनुच्छेद की व्याख्या विभिन्न परिस्थियों में शुक्लजी करते चलते हैं।

७

बाद के अनुच्छेदों को समझने के लिए उपशीर्षकों के क्रम से विवेचन किया जा रहा है। इसमें भी १९०९ ई. में प्रकाशित उपशीर्षकों का क्रम पहले रखा जा रहा है और बाद में १९३९ ई. के (चिन्तामणि प्रथम भाग के) क्रम का विवेचन किया जायगा। इस विवेचन में दोनों को तुलना एवं उद्भावनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है।

८

१. कार्य में प्रवृत्ति : सशोधित निबन्ध में यह शीर्षक नहीं है। ध्यान से देखनेपर पता चलता है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत दिए गए उदाहरणों के समान हमारे उदाहरण सशोधित निबन्ध में हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से शुक्लजी यह कहते जान पड़ते हैं कि अर्थग्रहण और विषयग्रहण में अंतर क्या है? यों कहना चाहिए कि 'काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, विषयग्रहण अपेक्षित होता है।' यह विधान बाद में बना है। इस विधान की भूमिका (आरम्भिक विचार) इस शीर्षक के अन्तर्गत है। शुक्लजी ने यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

“ यदि किसी से कहा जाय कि अमुक देश तुम्हारा इतना स्वयं प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसीसे तुम्हारे यहाँ अकाल दारिद्र्य बना रहता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाय, पेट की ज्वाला से जरे (जले) हुए प्राणियों के अस्थिपंजर सामने पेश किए जाएँ और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बँठी हुई माता का आर्तस्वर सुनाया जाय तो वह मनुष्य क्रोध और करुणा से विह्वल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो सकल्प अवश्य करेगा। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य

दिखाना कवि का कर्तव्य है। मानव हृदय पर ऐसी घे के किन्
 पर अभिकार हो सकता है, अथु बनाने की आवश्यकता नहीं।^१

यह सोचने की बात है कि कार्य में प्रवृत्ति वर्तमान के कारण होती है,
 ऐसा शुकलजी मानते हैं। उनका यह मन १९०९ ई. में था और १९३९ ई.
 में भी इसमें कोई अन्तर नहीं आया किन्तु १९३९ ई. में उन्होंने अपने को
 संशोधित एवं तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया। इस समय 'उद्दीर्घ एक तरह
 का विवेचन—'मन्यता के आचरण और कविता' शीर्षक के लक्ष्यमें किया।
 विशेष रूप से उदाहरणों का छोड़कर निदानता या व्याख्याना पर विचार
 करें तो विमलक्षित अन्तर दिखलाई देगा।

१९०९ ई

१९३९ ई.

'कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति
 बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल
 से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त
 होते हैं। केवल इस बात की जानकारी
 ही हम किसी काम के करो या न
 करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते
 कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभ-
 दायक या हानिकारक। जब उसकी या
 उसके परिणाम की कोई ऐसी बात
 हमारे सामने उपस्थित हो जाती है
 जो हमें आह्लाद, क्रोध और करुणा
 आदि से विचलित कर देती है तभी
 हम उस काम को करने के लिए
 प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम
 करने के लिए उत्तेजित नहीं करती।
 काम करने के लिए मन ही हमको
 उत्साहित करता है। अतः कार्य में
 प्रवृत्ति के लिए मन में बेग का आना
 आवश्यक है।'^२

भावों के विषय

भाषों के विषयों और उनके
 द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता
 आने पर भी उनका मान्यत्व मूल
 विषयों और मूल व्यापारों में भीतर
 भीतर बना है और बग़ाबर बना रहेगा।
 (पृ- १४३)

कवि कर्म

पर यह प्रच्छन्न रूप (मन्यता
 के आचरण के कारण या भावों के
 मूल विषयों को आवृत्त कर देने के
 कारण) वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता
 इसी से इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन
 कवि-कर्म का एक मुख्य अंग है।
 ज्यों ज्यों मान्यता बढ़ती जायगी त्यों
 त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता
 जायगा। (पृ १४४)

१. सरस्वती—हीरक जयंती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९०.

२. वही पृ. १२०.

काव्य का ढाँचा :

सारांश यह कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर न होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखनेवाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढाँचा खड़ा न हो सकेगा। (पृ. १४५)

अर्थग्रहण और बिंबग्रहण :

काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंबग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंबग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का हो सकता है। (पृ. १४५.)

हम देखते हैं कि १९०९ ई. वाला अंश १९३९ ई. वाले अंश की तरह प्रौढ नहीं है। दोनों अंशों में विचारधारा में अन्तर इसलिए नहीं कि 'कार्य में प्रवृत्ति' कविता के कारण होती है, इस प्रवृत्ति के लिए मन में वेग आना जरूरी है, ऐसा शुक्लजी का पहले विश्वास हो गया था। १९०९ ई. में उन्होंने अपने इम कथन का विश्वास एवं भावुकता के साथ कहा है। १९३९ ई. में परिवर्तन यह हुआ कि 'मन के वेग' के लिए 'भाव' शब्द का प्रयोग हुआ। भाव के साथ साथ फिर भावों के विषय को स्पष्ट किया गया और विषयों में भी मूल विषय को खोज हुई। पता चला कि सभ्यता के आवरण के कारण भावों के विषय प्रच्छन्न हो गए। प्रच्छन्न रूपों को हटाकर मूल विषय तक पहुँचना कविता का काम है या ये गुण कविता से होना चाहिए। इसीलिए भावों के विषय के बाद में 'कवि कर्म' को शुक्लजी स्पष्ट करते हैं। इसी तरह 'काव्य का ढाँचा' बतलाते हैं और तब अन्त में अपनी महत्त्वपूर्ण स्थापना करते हैं 'काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता; बिंबग्रहण मात्र अपेक्षित होता है।' वास्तव में काव्य में बिंबग्रहण को कहते समय शुक्लजी 'भावों के मूल विषय' (सभ्यता के आवरण से मुक्त) को ही सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। बिंबग्रहण से भावों का

मूल विषय ही समझ में आता है। अर्थात् मनोरंजन से ही मनुष्यता का बीज होता है।

९

२. मनोरंजन और स्वभाव-संशोधन : १९३० ई. में इस शीर्षक से से शुकलजी ने 'स्वभाव-संशोधन' नामक पुस्तक लिखी। १९३५ ई. (चिन्तामणि भाग १) वाले संस्करण में केवल 'मनोरंजन' शीर्षक का उल्लेख किया गया है। १९०९ ई. में लिखे इस शीर्षक के प्रथम संस्करण का उल्लेख नहीं हुआ है। यह उचित ही हुआ। इस अर्थ में प्रकाशित होने पर उल्लेख नहीं है। स्वभाव-संशोधन इस शीर्षक के अन्तर्गत ही प्रकाशित हो रहा है -

“कविता ही हम दुकानदार बनना, भी प्रकृति मौलिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य का प्रीति के प्राप्ति, कविता ही उसका ध्यान अरों की आनन्द-रचना की जन्म आनन्दिक करने और उनकी प्रति करने की उच्छा उत्पन्न करने, कविता ही उसे उचित अवसर पर प्रीति, दया, भक्ति आनन्द-रचना प्रकृतियों, इसी प्रकार हम राजकर्मचारी का सामर्थ्य कविता ही उसके कर्तव्य का प्रतिबिम्ब स्वीकार रखेंगे और उनकी उत्पत्ति और भयक तथा का आभास दिखलावेंगे; तथा देवी कविता अथवा मनुष्य द्वारा पहुँचाई हुई पीडा और क्लेश के सुख से मनुष्य अर्थ को दिखलाकर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी।”

इस अनुच्छेद के बाद लिखा हुआ अनुच्छेद सशोधित रूप में चिन्तामणि भाग १, में प्रकाशित है। तुलना के लिए दोनों ही अंश नीचे दिए जा रहे हैं -

१९०९ ई.

१९६९ ई.

प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अन्तिम उद्देश मनोरंजन है। पर मेरी समझ में मनोरंजन उद्देश नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ

प्रायः सुनते में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। पर जैसा कि हम पहले कल ध्यान में कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के आदिश पदों का प्रत्यक्षीकरण करके अपने साथ

१. सरस्वती-हीरक-जयती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९०-४९१

और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है। इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यही कह कर कि 'परोपकार करो' 'सदैव सच बोलो', 'चोरी करना महापाप है', हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जायगा, और चोरी करना छोड़ देगा। क्यों कि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता, दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित हुआ न देखकर वह उनकी कुछ परवाह नहीं करता। पर कविता अपने मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती, उसके हृदय आदि अत्यन्त कोमल स्थानों को स्पर्श करती है, और सृष्टि में उक्त कर्मों के स्थान और सञ्चय की सूचना देकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है...

.. .. मन को हमारे आचार्यों ने ग्यारहवीं इन्द्रिय माना है। उसका रंजन करना और उसे सुख पहुँचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाय तो कविता भी केवल विलास की

मनुष्य हृदय का सामंजस्य-स्थापन है। इतने गभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हलका उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन-पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जानेवाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरान्त कुछ और भी होता है और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिमसे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इसे इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी-कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कह कर कि 'परोपकार करो', 'दूसरों पर दया करो', 'चोरी-करना महापाप है', हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी अपकारी, कोई क्रूर दयावान, या कोई चोर साधु हो जायगा। क्यों कि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे व्यापारों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव-जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। (पृ १६२)

सामग्री हुई। परन्तु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य तुलसीदास का रामचरितमानस या सूरदास का सूरसागर बिलास भी सामग्री है? यदि इन ग्रंथों से मनोरजन होगा तो चरित्र-संशोधन भी अवश्य ही होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी भाषा के अनेक कवियों ने शृंगार रस की उन्मादकारी उक्तियों से माहित्य को घनता भर दिया है कि कविता भी बिलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है।^१

ऊपर दिए गए दोनों ही अंश विस्तृत हो गए किन्तु शुरुआत के व्यक्तित्व को समझने के लिए इन्हें लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ। अब इनका विश्लेषण तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

जैसे कि पहले ही कह दिया है कि शुकलजी ने १९८२ ई. में 'स्वभाव-संशोधन' शब्द शीर्षक से हटा दिया और केवल 'मनोरजन' रख रखा है। स्वभाव-संशोधन से सम्बन्धित प्रथम अनुच्छेद (जिसका शुरुआत ऊपर उद्धृत किया गया है) और अन्तिम अनुच्छेद शुकलजी ने हटा ही दिया। 'स्वभाव-संशोधन' वाले भाग में कविता के प्रति शुकलजी भावकृता का गुट है, ऐसा शुकलजी ने अनुभव किया ही। इसी से वह भाग हटा दिया।

मनोरजन के सम्बन्ध में लिखते समय 'कविता के उद्देश्य' की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में १९०९ ई. में लिखे हुए भाग में मद्रास आशुषता और कविता के प्रति आस्था की भावना शुकलजी ने दिखलाई देनी है। इस समय के लेखन में दृढता और आत्मविश्वास की कमी है। उस समय शुकलजी जो ठूक बात करते प्रतीत नहीं होते। इसी तरह अपने विश्वासों की दार्शनिक आधार भी प्रदान नहीं कर सके। इस कथन को पुष्ट करने के लिए हमें उन वाक्यों पर विचार करना पड़ेगा, जो दोनों ही स्थानों पर हैं किन्तु कुछ धेर-धेर

१. सरस्वती-हीरक-जमती, विशेषांक (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९० और ४९१।

के साथ है। यह हेर-फेर ही बदलते व्यक्तित्व को पहचानने का प्रमाण है। कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं और फिर उन पर विचार प्रस्तुत किए जाएंगे।

'प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अन्तिम उद्देश्य मनोरंजन है। पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है।' (१९०९-ई.) 'प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य-स्थापन है, (१९३९ ई.)

प्रथम अंश में 'लोग कहा करते हैं' है और दूसरे में 'सुनने में आता है' है। इसी तरह प्रथम अंश में 'मेरी समझ में' है जब कि दूसरे अंश में 'मेरी समझ में' कट गया है। इस के स्थान पर 'जैसे कि हम पहले कह आए हैं' है। शुक्लजी पहले वाले अंश में कुछ विनीत प्रतीत होते हैं जब कि बादवाले अंश में दृढ़ता और आत्मविश्वास-अलंकता है। पहले वाले अंश में अपने विचारों को मम्मूख रखते हुए भी औरों के विचारों का तीव्र खण्डन नहीं करते जब कि बादवाले अंशों में उन्होंने तीव्र खण्डन किया है। पहले वाले अंश में विचारों का बिखराव है, उसमें सविलिष्टता नहीं है। यही नहीं सिद्धान्त निरूपण भी बादवाले अंश में है। जैसे ऊपर के इन दोनों अंशों में कविता का अन्तिम उद्देश्य, की बात (दोनों अंशों में) है। पहले अंश में -- कविता का अन्तिम उद्देश्य मनोरंजन कहा गया है (लोग कहा करते हैं) इसका खण्डन शुक्लजी तीव्र रूप में न कर केवल यह कह देते हैं कि 'मेरी समझ में मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है'। यह कथन अपने को विनीत रूप में प्रस्तुत करनेवाला है। अगले वाक्य में शुक्लजी यह स्वीकार कर लेते हैं कि कविता से मनोरंजन होता है पर साथ ही नम्र भाव से यह भी कहते हैं कि इसके सिवा कुछ और भी होता है। इसके विपरीत वाद वाले अंश में शुक्लजी विश्वास के साथ कहते हैं और डटकर कहते हैं। यहाँ पहले तो उन्होंने अन्तिम उद्देश्य के स्थान पर केवल उद्देश्य रखा, यह कहते हुए रखा कि सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। इसका खण्डन करने के लिए इस समय में शुक्लजी के पास कविता के उद्देश्य का उत्तर मौजूद है। (यह उत्तर पहले वाले अंश में नहीं है।) उत्तर है-- 'कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य-स्थापन है।' अपनी बात को दोहराने के स्वर में (जैसे कि हम पहले कह

आए हैं।) कहत के बाद बड़ी शक्ति के साथ कविता का उद्देश्य मनोरंजन माननेवालों के लिए कहते हैं— 'इन्होंने मनोरंजन के स्वार्थ पर शुक्ल मनोरंजन का हलका उद्देश्य मानने शुरू कर जो कविता का उद्देश्य-प्राप्त का विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जानेवाले व्यक्ति हैं: मरणात् ।' साहित्य तथ्यों की कल्पना शुक्लजी की बाद की बातना है। १९०९ ई. वाले निबंध में 'साहित्य' उद्देश्याधिक नहीं है। कविता के साहित्य में साहित्य तथा शुक्लजी की अपनी मौलिक उद्भावना है (इस साहित्य में अपने निष्ठा का रहा है।) इस उद्भावना में कविता के अन्तिम लक्ष्य की योजना शुरुआती ने निश्चित की है। मनोरंजन अन्तिम लक्ष्य नहीं है। कोई यदि ऐसा माने कि है तो वह रास्ते में रह जानेवाला व्यक्ति ही माना जाएगा, ऐसी व्याख्या की दृष्टि मान्यता है।

इस मनोरंजनवाले अंश में एक बात और लिख दें जोर यह यह कि १९०९ ई. वाले इस अंश में किसी कविता का उदाहरण नहीं दिया गया, जब कि १९३९ ई. वाले इस अंश में शर्मा और विश्वर के लुक्के और मंगल वाले कवित्त दिए गए हैं। वहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि इन उदाहरणों द्वारा शुक्लजी कविता का (मनोरंजन को उद्देश्य मान लेने के कारण) लक्ष्य स्पष्ट होने से बचाना चाहते हैं।

सैद्धान्तिक रूप से यही पर मनोरंजन को एक नया शब्द रमानेवाली शक्ति (कविता की) के रूप में स्वीकार किया गया और इसी मद में ही शुक्लजी ने पंडितराज जगन्नाथ का उल्लेख किया। निश्चय ही शुक्लजी इसे लक्ष्य नहीं मानते। पंडितराज जगन्नाथ का उल्लेख उन्होंने सलत लक्ष्य निश्चित किया है, यह कहकर किया है। शुक्लजी लिखते हैं— 'कविता की इसी रमानेवाली शक्ति (मनोरंजन) को देखकर जगन्नाथ पंडितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा योरपीय समीक्षकों ने 'आनंद' को काव्य का चरम लक्ष्य ठहाराया। इस प्रकार मार्ग को ही अन्तिम अंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़झाला हुआ।' (पृ. १६३.) निश्चित ही इन पक्तियों में शुक्लजी स्पष्ट हैं और दो टूक बात कहते हैं। कोई माने या न माने, वे मानते हैं कि मनोरंजन कविता का अन्तिम लक्ष्य नहीं है।

१०

३. कविता की आवश्यकता : इस अध्याय के अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद है। १९०९ ई. में यह निबंध के अंत में नहीं है जब कि १९३९ ई.

मे यह अनुच्छेद निबध क अत म है इस अनुच्छेद के साथ निबध समाप्त हो जाता है । यहाँ अबलोकनीय तथ्य यह है कि कविता की आवश्यकता (अन्तिम अनुच्छेद) उपसहार रूप में लिखा हुआ भाग बहुत परिवर्तित नहीं है । विचारधारा में विशेष परिवर्तन नहीं । वाक्य भी लगभग वे ही हैं । कुछ शब्दों में अंतर अवश्य है । जिस तरह प्रथम अनुच्छेद (१९३९ ई. का और जिसके सबध में ऊपर विस्तार से लिखा गया है , महत्वपूर्ण है, उसी तरह यह अन्तिम अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है । प्रथम अनुच्छेद में 'कविता क्या ?' (निबध का मूल शीर्षक) का उत्तर है तो इस अन्तिम अनुच्छेद में (उपसहार में) उसकी महत्ता का और आवश्यकता का कारण बतलाया गया है ।

प्रथम अनुच्छेद की तरह इस अन्तिम अनुच्छेद का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है और बाद में प्रथम अनुच्छेद के साथ उसका सबध दिखलाया जायगा । अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार है ।

१९५९ ई

१९३९ ई.

कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि ससार की सम्य सभी जातियों में पाई जाती है । चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी । इसका क्या कारण है ? बात यह है कि ममार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में पैसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है । अतएव मानुषो प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूनी अधि बनाई है । कविता यही प्रयत्न करता है कि प्रकृति में मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे । जानवरो को इसका आवश्यकता नहीं । ”

कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि ससार की सम्य असम्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में पाई जाती है । चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा । बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का सघन और जटिल मडल बाँधता चला आ रहा है जिसके भीतर बँधा-बँधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का सबध भूला-सा रहता है । इसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है । इसी से अन्तः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते

१. सरस्वती, हीरक जयती, विशेषांक (१९ ०-१९५९ई)-पृ. ४९१

रहने के लिए कविता मनुष्य को

के साथ लगी जाती है और

नहीं बनती। आत्मरसों का हमकी

उत्तरण नहीं (पृ. १०५ और १०६)

तुलनात्मक दृष्टि से दोनों ही भ कविता के प्रति विश्वासों में भेद नहीं है। बाद वाले अंश में विश्वासों की बौद्धिक आधार प्रदान किया गया है। प्रथम अंश में 'कृत्रिम व्यापार' का उल्लेख है। यह उल्लेख केवल प्रथम रूप में है हमारे अंश में हम 'कृत्रिम व्यापार' का विश्लेषण है। यह विश्लेषण सोतीवैज्ञानिक पुट है। कहा गया है कि 'मनुष्य अपने ही व्यापारों का सघन और जटिल मंडल कविता बना रहा है जिसके भीतर बंधा-बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध मृदा-सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य का अपनी समुचितता खोने का दर बराबर रहना है। वास्तव में कविता की आवश्यकता का कारण इन परिस्थितियों में स्पष्ट हुआ है। इस स्पष्टता में बौद्धिक प्रमाण है। पहले वाले अंश में ऐसी बात नहीं है। इस उपसंहार के साथ यदि प्रथम अनुच्छेद का संबंध जोड़ें तो कथन और स्पष्ट हो जाता है। प्रथम अनुच्छेद में 'मुक्त-हृदय' की बात कही गई है। कविता हृदय की मुक्ति का साधन है। बद्ध-हृदय होने से बचना है और मुक्त-हृदय होना है। बद्ध होना और मुक्त होना यह अर्थों के साथ संबंधों पर निर्भर है, जिसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं। बद्ध होने में व्यापार कृत्रिम होते हैं। यही समस्या का अर्थ है, यह मूल मनुष्य स्वयं (कृत्रिम व्यापारों का) ही बंध रहा है। इसके कारण मनुष्यता जगती, खोने का दर बना हुआ है। पहले वाले अंश में (१९०९ ई. वाले) ईश्वर का उल्लेख है। शुकलजीने बाद वाले अंश में ईश्वर को गटा दिया है। इससे बाद वाला अंश बौद्धिक है यह प्रमाणित हुआ। शुकलजी ने पहचान लिया कि कविता मनुष्य की सृष्टि है, ईश्वर की नहीं। 'ईश्वर ने कविता लकी औषधि बनाई है' इसमें भावुकता है। शुकल जीमा व्यक्तिगत ऐसा नहीं लिख सकता। लिखा है, तो काट दिया। वैसे हम लेखन में अव्यक्त सत्ता के प्रति विश्वास है और वह विश्वास गलत नहीं किन्तु विश्वास का बौद्धिक आधार प्रदान करना शुकलजी ने उचित समझा। इसलिए यह परिवर्तन दिखलाई देता है। 'कविता क्या है?' निबंध के प्रथम अनुच्छेद में (१९३९ ई.) ही शुकलजी ने स्वीकार कर लिया कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।"

(पृ. १४१.) यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि कविता मनुष्य की वाणी है। अतः ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है, इस अश को काटना आवश्यक था। इसी तरह पहले वाले अश में ' कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे।' लिखा है, जब कि सशोधित अश में " अन्तःप्रकृति में मनुष्यता को (हृदय को मुक्त करने को, मुक्त-हृदय मनुष्यता है) समय ममय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। " वाद का कथन प्रौढ है, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

११

४. सृष्टि और सौंदर्य : इस शीर्षक में से वाद में सृष्टि शब्द हटा दिया गया है। केवल सौंदर्य शीर्षक ही बाद में रह गया। इस अश में शुक्लजी ने बहुत परिवर्तन किया है। आरंभवाले अश में सौंदर्य के संबंध में शुक्लजी की धारणा स्पष्ट नहीं थी; यही नहीं इस अश में भावुकता का पुट अधिक है। इस भावुकता में भी शुक्लजी का नैतिक बोध जाग्रत है, यह कहना पड़ेगा और इस नैतिक बोध को ही शुक्लजी ने आगे चलकर बौद्धिक आधार प्रदान किया है। सौंदर्य बाहर है या भीतर है? इस संबंध में निर्णय न देते हुए भी १९०९ ई में इस अलगाव को उन्होंने अनुभव कर लिया था। दोनों ही प्रकार के सौंदर्य को शुक्लजी ने महत्त्वपूर्ण माना है। १९०९ ई की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं :-

“ कविता सृष्टि-सौंदर्य का अनुभव करती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है ... भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार सतोष होता है उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी महाकवियों ने प्रायः इन दोनों सौंदर्यों का (भौतिक और मानसिक) मेल कराया है जो किसी को अस्वभाविक प्रतीत होता है। ”^१ यहाँ तक तो ठीक था। किंतु निम्न लिखित अश विचारणीय है।

“ किंतु मसार में प्रायः देखा जाता है कि रूपवान् जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और दुशील।

१. सरस्वती, हीरक-जयंतो, विशेषांक (१९००-१९५९ ई.)
पृ. ४९१-४९२,

ए-के मित्र समूह 'साहित्यिक जगत' का प्रतिनिधित्व भी करेगा पर पत्रकार उमर शीखर या अहमद कर बना देना है। साहित्य सौंदर्य का अनुभव करके हम साहित्यिक जगत, अर्थात् साहित्य सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अतएव साहित्य सौंदर्य का विशेषकर कवि का प्रधान कर्म है।"

शुक्लजी ने 'प्रायः' कहा है 'जब' प्रकाश की सम्भावना का उन्होंने स्वीकार किया है, यह कहना होगा। अन्यथा भी भ्रुकुण होगा वह सुखी होगा और माय ही कामल होगा और उसके पिपरीके भा, उन विषय को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। शुक्लजी ने यह अर्थ उदा ही दिया है और यह हटाना उचित ही हुआ।

१९३९ ई. वाले अर्थ में-अपने नैतिक शक्ति को जगान रखने हुए-शुक्लजी ने सौंदर्य के सम्बन्ध में अपने स्पष्ट विचार अभिव्यक्त किए हैं। (इस सम्बन्ध में उनकी विचारधारा को निम्नलिखित रूप में समझना या समझना है-

अ) 'जिम वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से बराबर परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर करी जायगी।' (पृ. १६५.)

आ) 'मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। अर्थात् अधिकतर अनुभूति की भाँसा में पाया जाता है।' (पृ. १६५.)

इ) 'कविता केवल वस्तुओं के ही रंग-रूप के सौन्दर्य की उदा नहीं दिखाती, अपितु कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त सामिक दृश्य सामने रखती है .. जिन् मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी सुन्दर रूप कविता ढूँढकर दिखाती है।' (पृ. १६६.)

ई) 'सुन्दर और कुलूप-काव्य में वस्तु के ही दो पक्ष हैं। सजा-बूरा, सुख-असुख, पाप-पुण्य, मंगल-अमंगल, जययोगी-अनुपयोगी-ये सब शब्द काव्यक्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थ-शास्त्र, आदि के शब्द हैं।' (पृ. १६७.)

१. सरस्वती, होरक जयन्ती, विश्ववाक (१९००-१९५९ ई.)

पृ. ४९२.

इन प्रपत्तियों की व्याख्या विस्तृत रूप से की जा सकती है और इन प्रपत्तियों पर कविता के सदर्भ में विचार किया जा सकता है। निबन्ध के विस्तार को देखते हुए विवेचन संक्षेप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

शुक्लजी मानते हैं कि सौन्दर्य बाहर है और भीतर भी है। इस झगड़े को वे गड़बड़झाला कहते हैं। वीरकर्म से पृथक् वीररत्न कोई पदार्थ नहीं अतः सुन्दर वस्तु से पृथक् सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। ये विचार एकैदम स्पष्ट हैं। सुन्दरता का बोध कैसे होगा? इसका उत्तर शुक्लजी के पास ये है 'प्रपत्ति नं. अ' वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या उससे सम्बन्धित भावना के अभाव में सौन्दर्य की कल्पना करना व्यर्थ है। इस प्रपत्ति में यह मान लिया गया कि सौन्दर्य बाहर है, वस्तुओं में है। यही पर यह भी मान लिया गया कि वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान (भावना रूप में) होना आवश्यक है। शुक्लजी जब प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं तो उसके आगे 'या भावना' लिखते हैं। अर्थात् भावना को वे विशेष अर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान कहो या भावना कहो (दोनों एक अर्थ में) जब वस्तु के सम्बन्ध में तदाकार की स्थिति जाग्रत करेगी सभी सौन्दर्य का अनुभव होगा। यों कहना चाहिए कि सौन्दर्य का अनुभव या तदाकार की स्थिति वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना पर निर्भर है। सौन्दर्य की अनुभूति को बतलाने के बाद उनकी दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रपत्ति 'आ' यह है कि अनुभूति की मात्रा में अन्तर होने पर भी संसार की सभी सभ्य जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। इस सम्बन्ध में उनकी स्पष्ट धारणा यह है कि सौन्दर्य के ये सामान्य आदर्श मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँचे हुए हैं। इस दूसरी प्रपत्ति के आधार पर ही शुक्लजी कविता के सौन्दर्य का विरलेपण करते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी मान्यता यह है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग-रूप के सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मार्मिक दृश्य सामने रखती हैं। काव्य में इस दृष्टि से शुक्लजी ने दो ही पक्ष माने हैं—सुन्दर और कुरूप। यह सब कहते समय शुक्लजी यह नहीं भूलते कि काव्य का सुन्दर पक्ष मनुष्यता की सामान्य भूमि से सम्बन्ध रखनेवाला है।

१२

५-६ कविता की भाषा तथा श्रुतिसुखदता : इन दोनों शीर्षकों का विवेचन एकत्र रूप में इसलिए किया जा रहा है कि बाद वाले निबन्ध में शुक्लजी ने 'श्रुतिसुखदता' शीर्षक हटा ही दिया है और १९०९ ई. में दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत लिखे गए अंश को एक ही शीर्षक 'कविता की भाषा' के अन्तर्गत

रखा है । इसीलिए दोनों शीर्षकों का विवेचन एकत्र रूप में किया
रहा है ।

१९०९ ई. वाले अंश में शुक्लजी ने कविता की भाषा पर विस्तार से
लिखा है और इस समय लिखे गए अपने इन निबन्ध में इसी अंश में कविता
के कुछ उदाहरण दिए हैं । उनमें से कुछ उदाहरण बादवाले निबन्ध (१९३९
ई.) में भी हैं । कविता की भाषा का विवेचन करने समय शुक्लजी ने कविता
की भाषा में पाए जानेवाले कुछ प्रमुख लक्षणों (विशेषताओं) का विवेचन
किया है । इस संदर्भ में ध्यान में रखने की बात यह है कि शुक्लजी का ध्यान
इस समय भाषा पर है । इस दृष्टि से उन्होंने 'शब्दों' पर विचार किया है ।
शब्दों पर विचार करते समय भी उन्होंने कविता की भाषा की सामान्य
विशेषताएं देखने का प्रयास किया है । इस तरह से देखने में उनकी दृष्टि
वैज्ञानिक की है । (भाषा वैज्ञानिक की कह सकते हैं ।) उनका यह विवेचन
तथ्यों के आधार पर है और सप्रमाण है और बाद में निष्कर्ष भी दिए गए हैं ।

१९०९ ई. में लिखा गया प्रथम अनुच्छेद (कविता की भाषा के
अन्तर्गत) शुक्लजी ने बाद में पूर्णतः हटा दिया है । किन्तु इस अनुच्छेद की
भी ध्यान से देखें तो इस अनुच्छेद में भी विश्लेषक दृष्टि है । कविता में
प्रयुक्त पुराने शब्दों को देखते हुए उन्होंने यह सोचा कि " मनुष्य स्वभाव
ही से प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि में देखता है । पुराने
शब्द लोगों को मालूम ही रहते हैं । इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द
आ ही जाते हैं । " * यह ध्यान में रखने की बात है कि जिस समय शुक्लजी
यह निबन्ध लिख रहे थे उस समय कविता में (खड़ी बोली में लिखी गई
कविताओं में) ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग होता था । शुक्लजी लिखते
हैं :- " हिन्दी में ' राजते हैं ', ' गहते हैं ', ' लहते हैं ', ' मरमाते हैं ' आदि
प्रयोगों का खड़ी बोली तक की कविता में बना रहना कोई अचम्भ की बात
नहीं । " * इस सम्बन्ध में वे आगे लिखते हैं - " पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने
चाहिए, वे भी ऐसे जो भदे और गंवार न हो । " * इसी तरह शुक्लजी का
ध्यान सयुक्त क्रियाओं पर भी गया है । लिखा है - " खड़ी बोली में सयुक्त
क्रियाएँ बहुत लम्बी होती हैं। जैसे - ' लाभ करते हैं ', ' प्रकाश करते हैं '
आदि । कविता में इनके स्थान पर ' लहते हैं ', ' प्रकाशते हैं ' कर देने से कोई

१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई)-पृ. ४९९,

२ - वही -पृ. ४९२

३ - वही -पृ. ४९२

हानि नहीं, पर यह बात इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती।" १ शुक्लजी ने यह सारा अंश हटा ही दिया। १९३९ ई. तक सझड़ी बोली पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी और इस समय में ब्रजभाषा के शब्दों को रखना आवश्यक नहीं माना गया, अतः इस प्रसंग को शुक्लजी ने छोड़ दिया। एक और बात यह कि उस समय में शुक्लजी द्वारा दिया गया तर्क वजनदार नहीं है। यह कहना कि 'पुराने शब्द हमें मालूम ही रहते हैं। इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं।' तर्कसगत नहीं है। तर्क वजनदार नहीं है, पर तथ्य सही है। यह सब इसलिए लिखा गया कि इस समय भी (वजनदार तर्कों के न होने पर भी) शुक्लजी की दृष्टि तथ्यों पर रही है। जो तथ्य शुक्लजी ने दिए हैं, वे सही हैं। शुक्लजी ने आरम्भ से ही तथ्यों पर ध्यान दिया है।

अब हम १९३९ ई. में लिखे 'कविता की भाषा' पर विचार करें। इस समय में उन्होंने कविता की भाषा की चार विशेषताएँ बतलाई हैं। वे इस प्रकार हैं :-

- १) अगोचर बातों या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। (पृ. १७५)
- २) कविता की भाषा की दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति सकेतवाले शब्दों की अपेक्षा विशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं। (पृ. १७६)
- ३) तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्णविन्यास की है। (पृ. १७९)
- ४) हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कही-कही व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप-गुण या कार्य-बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। (पृ. १८०)

इन चारों विशेषताओं में से दो विशेषताओं का उल्लेख १९०९ ई. वाले अंश में 'कविता की भाषा' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है और बाद की

विशेषताओं का उल्लेख 'श्रुतिसुखदता' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है। कविता : भाषा की इन विशेषताओं के प्रति डॉ. अरुचनसिंह ने लिखा है :- उन्हें (शुक्लजी) 'कविता क्या है?' निबंध में भाषा की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है ? १. मूर्ति विधान २. जातिमूलक शब्दों की अपेक्षा रूप-व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग, ३. वर्ण विकास (वर्णविन्यास होमा बाह्य) और ४. व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके गुणबोधक शब्दोंका व्यवहार। इनमें पहले और दूसरे में कोई भेद नहीं है। तीसरा वर्णोंकी मधुरता-कठना से संबद्ध है। इसी के अन्तर्गत वे नाद-सौष्ठव को भी लेने हैं। वर्णविधान, लय, अन्त्यानुप्रास आदि को नाद सौन्दर्य का साधन मानने हैं। खेप है कि हम संबद्ध में उन्होंने ऊपरले स्तर के ही विचार व्यक्त किये हैं - नाद-सौन्दर्य से कविता की आयु बढ़ती है . . . स्पष्ट है कि नाद-सौन्दर्य को कविता के बाह्य ढाँचे से संबद्ध करते हैं, उसके आन्तरिक अर्थ से नहीं।" १ यहाँ कहना यह है कि (यह कहना शुक्लजी के बचाव में नहीं) कविता की भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करते समय शुक्लजी ने कविता की भाषा में पाए जानेवाले तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और जो तथ्य दिखलाई दिए उन्हें उन्होंने सप्रमाण लिखा है। शुक्लजी का निबंध स्वतंत्र रूप में कविता की भाषा पर नहीं है, वह 'कविता क्या है ?' विषय पर है। अतः विषयानुरूप उन्होंने निबंध की सीमा को पहचानते हुए कविता की भाषा की कतिपय विशेषताएँ लिखी हैं और जो तथ्य दिए हैं वे आज भी सही हैं। बाहरी तथ्यों के आधार पर ही हम भीतर पहुँच सकते हैं या यों कहिए कि जो भीतर है उसका बोध बाहर जाने पर ही होगा। अतः वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बाहरी तथ्यों को प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। तथ्यों के अभाव में शास्त्रीय विवेचन संभव ही नहीं। आचार्य शुक्ल ने भाषा की जिन स्थूल विशेषताओं (कविता की भाषा की) की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वे बाहरी तथ्य हैं और सामान्य तथ्य हैं, जिनका सम्बन्ध कविता से ही है (प्रायः कविता से है)। साहित्य के भीतर अनेक विधाएँ हैं और उन विधाओं में प्रत्येक विधा की भाषा की अपनी विशेषताएँ हैं। नाटक की भाषा, कहानी की भाषा, कविता की भाषा, आदि आदि। इस दृष्टि से शुक्लजी के वाद सोचा तो जा रहा है किन्तु शास्त्रीय प्रयास अब भी आगे बढ़ गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक 'भाषा और संवेदना' एक उत्तम प्रयास है; किन्तु ध्यान से देखें तो शुक्लजी द्वारा लिखा गया

‘कविता की भाषा’ वाला अंश और रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा ‘काव्य भाषा’ वाला अंश दोनों में शुक्लजी वाले अंश में वैज्ञानिकता अधिक मिलेगी। (यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों को प्राप्त या उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार करना चाहिए) कविता की भाषा में सामान्य रूप से पाए जानेवाले स्थूल तथ्यों को पकड़ लेना साधारण बात नहीं है। सामान्य होने के नाते वे हमे ऊपर के प्रतीत होते हैं किन्तु इनको पकड़ना कितना कठिन है ? यह तब समझ में आ जाएगा जब हम रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक पढ़ ले और सोचे कि साहित्य की विधाओं की भाषाओं के अन्तर को पहचानने के लिए तथ्यों को खोजना कितना कठिन है ? रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक में खोज की छटपटाहट है (यह अच्छा है) जब कि शुक्लजी की पुस्तक में पूर्ण आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास के कारण ही विषय को स्पष्ट रूप से लिखना संभव हुआ है।

‘श्रुतिसुखदता’ शीर्षक हटाने के साथ, इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखा हुआ वह भाग हटा दिया गया है, जो भावुक है और आवेश में लिखा गया है। नाद-सौन्दर्य से कविता की आयु बढ़ती है, इस विचार में परिवर्तन तो नहीं हुआ किन्तु शुक्लजी ने यह अनुभव कर लिया कि कथन कुछ सीमातीत हो गया। जैसे :-

“हमारी छन्दोरचना तक की कोई कोई अवहेलना करते हैं-वह छन्दोरचना जिसके माधुर्य को भूमण्डल के किसी देश का छन्द-शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुतिसुखदता के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है आदि आदि ”

इस भावुक अंश को छोड़कर १९३९ ई का अंश जब कि विचारधारा स्थिर हो गई और यह निश्चय हो गया कि यह सब साधन है.- “काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति-कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति-विधान, लय, अस्थानुप्रास आदि आदि नाद-सौन्दर्य साधन के लिए ही है।” (पृ. १७९.)

१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई.) पृ. ४९३.

७ अलंकार : १९०९ ई. और १९३९ ई. वाले दोनों अंशों की (इस शीर्षक के अन्तर्गत लिखे गए द्विचरण की) तुलना करते तो सूक्ष्म व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से सूक्ष्म की प्रतिभा स्पष्ट करने की दृष्टि से तुलना की जा रही है।

शपिनहावर का कहना है : 'प्रतिभा केवल कर्म-विषयता का पूर्ण रूप है-अर्थात् मन की विषयगत प्रवृत्ति है।' ^१ मन की विषयगत प्रवृत्ति के कारण विषयवस्तु का सारभूत एवं आवश्यक अंश स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। प्रतिभा के जाग्रत होने पर विचार शक्ति बिलयुक्ति का आवरण हटाकर बाहर आती है और वस्तुओं का आन्तरिक रूप प्रकट कर देती है। प्रतिभा की दृष्टि से देखें तो १९०९ ई. में शुकलजी ने अलंकार के सम्बन्ध में जो लिखा, वह १९३९ ई. में विशेष परिवर्तित नहीं हुआ है। यह अंश नीचे लिखा जा रहा है.-

'अलंकार हैं क्या? सूक्ष्म दृष्टिवालों ने काव्यों के सुन्दर-सुन्दर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन-शीली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो-जो विशेषताएँ मात्स्य हीनी गईं, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे, 'विकल्प' अलंकार का निरूपण पहले-पहले राजानक रघ्यक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं, सब ढूँढ़ डाले गए, वर्णन की जितनी सुन्दर प्रणालियाँ हो सकती हैं, सब निरूपित हो गईं अथवा जो स्थल रमणीय लगे, उनकी रमणीयता का कारण वर्णनप्रणाली ही थी? आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं।' (पृ. १८८-१८५.)

अलंकार से संबंधित ये पंक्तियाँ कुछ शब्दों के हेर-फेर के साथ १९०९ ई. वाले अंश में भी है। अलंकारों के नामकरण, सर्गीकरण एवं उनकी विशेषताओं के संबन्ध में विशेष विस्तार इन पंक्तियों में न होने पर भी समस्या को मूलरूप से पहचानने की दृष्टि इन पंक्तियों में है।

अलंकारों का (किसी भी प्रकार के अलंकार का) अन्तर्बाह्य अवलोकन इन पंक्तियों में है । इस अवलोकन में प्रतिभा की झलक है । यह कहना कि आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं, आज भी सही है । अलंकारों की पहचान सूक्ष्म दृष्टि वालों ने ही की है । काव्य के सुन्दर-सुन्दर स्थलों को उन्हीं ने चुना और नामकरण किया । शुक्लजी मानते हैं कि अलंकार वर्णन-प्रणाली हैं । साथ ही उनकी यह भी मान्यता है कि अलंकार साधन हैं । इसी तरह शुक्लजी ने यह भी लिखा कि “ अलंकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी । अथवा यो कहना चाहिए कि जब से इन अलंकारों को हठ्ठाल् लब्ध का उद्योग होने लगा तब से कविता कुछ बिगड़ चली । ” १

अलंकार के सबन्ध में दृष्टिकोण में (ऊपर लिखे गए) अन्तर न आने पर भी १९३९ ई का अंश १९०९ ई के अंश से दुगुने से भी अधिक है और प्रौढ है । प्रतिभा बिना परिश्रम के चमकती नहीं । १९०९ ई. के निबन्ध में अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय आदि का उल्लेख नहीं है । शास्त्रीय दृष्टि से शुक्लजी ने उस समय में कोई विवेचन भी नहीं किया । यह विवेचन १९३९ ई. के निबन्ध में है । इस समय में अलंकार के प्रति आचार्यों में पाई जानेवाली उद्भावनाओं पर भी शुक्लजी ने अपना मत व्यक्त किया है । उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए अलंकारों के रमणीय और चमत्कारिक रूपों पर भी इस समय में विचार किया गया है । भरत मुनि से विश्वनाथ तक सब को एक ही अनुच्छेद में समेटते हुए शुक्लजी ने लिखा है । -

“ भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पतला पकड़ अलंकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में... रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होनेवाली सारी सामग्री के अर्थ में-किया है। पर ज्यों-ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों-त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके

१ सरस्वती, हीरक-जयती, विशेषांक, (१९००-१९५९ ई)
पृ. ४९४.

काव्य के निम्न स्वरूप या मर्म शरीर को अक्षय निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरने-उभरने बिहवनाभ महापाव के साहित्य-दर्पण में साफ ऊपर आ गया।" (पृ. १८०.)

इस विवेचन में शुक्लजी का अक्षय विश्वनाथ की ओर है, यह स्पष्ट है। रस को शुक्लजी अलंकार की तुलना में अधिक प्रधानता देने है। वर्ण्य वस्तु और वर्णन-प्रणाली दोनों में वर्ण्य-वस्तु को प्रधान मानना चाहिए, ऐसा शुक्लजी का आग्रह है। अलंकार वर्णन-प्रणाली ही है।... " अब यह स्पष्ट हो गम् कि 'अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य-वस्तु नहीं; बल्कि वर्णन की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास ङम हैं।" (पृ. १८३.) वर्ण्य-वस्तु से संबन्धित स्वभावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति पर शुक्लजी ने स्वतंत्र रूप से विचार किया है। इनके सम्बन्ध में भी साफ लिखा है कि इन्हें, अलंकार नहीं कहा जा सकता। इनको अलंकार कहनेवाले आचार्यों का उल्लेख करके शुक्लजी ने उनका खण्डन किया है। अलंकारों की ओर अधिक अक्षय के कारण कविता में अमरकार का प्रवेश हुआ है। इस प्रवेश को शुक्लजी अच्छा नहीं मानते। १९३१ ई. वाले निबन्ध में अमरकार शीर्षक से अलग, 'अमरकारवाद' शीर्षक पर उन्होंने अपने विचार अलग से व्यक्त किए हैं।

१४

अब तक के विवेचन में १९०९ ई. के निबन्ध का क्रम था और साथ ही उस क्रम में १९३९ ई. के परिवर्तित अर्थों पर भी तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया। उससे आचार्य शुक्ल के व्यक्तित्व (विचारों की दृष्टि से बदलते व्यक्तित्व) को विश्लेषित करने में सुविधा हुई। अब नीचे १९३९ ई. के नए क्रम को पूरा निबन्ध में पाई जानेवाली उद्भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

१५

१९०९ ई. में लिखे गए निबन्ध में कविता के प्रति आस्था व्यक्त हुई है। साथ ही कविता के प्रयोजन पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। कविता के अर्थों को अलग अलग रूप से देखने का प्रयास भी इसमें है। विशेष रूप से भाषा की विशेषताएँ, सौंदर्य और अलंकार को स्वतंत्र रूप से खोजने का-सथान्वेषण की दृष्टि से-प्रयास इस निबन्ध में है। कविता की आवश्यकता

५६

कविता : प्रयोजन और आवश्यकता

पर शुक्लजी ने बहुत जोर दिया है। इस तुलना में १९३९ ई. में इन मूलभूत (कविता सम्बन्धी) अंगों का विवेचन करते हुए भी विषय को अध्ययन का आधार, उपयुक्त प्रमाण एवं विचारों की दृढ़ता, खण्डन-मण्डन में आत्म-विश्वास और सब से बढ़कर एक सुनिश्चित क्रम प्रदान किया गया है।

इस नए क्रम में प्रथम अनुच्छेद पूर्णतः नया है और इसी अनुच्छेद में 'कविता क्या है ?' का उत्तर आचार्य शुक्ल ने दिया है (इस सम्बन्ध में ऊपर लिखा गया है ।) इसके बाद के शीर्षकों को (उपशीर्षकों को) स्थूल रूप में दो भागों में बाँटा जा सकता है। इन दोनों भागों को आरम्भ और उपसंहार से भिन्न मानना चाहिए। आरम्भ में मुख्य शीर्षक- 'कविता क्या है ?' - है और उपसंहार में 'कविता की आवश्यकता' है। इनके बीच वाले शीर्षकों को 'मनुष्यता की उच्च भूमि' तक को शेष-आगे आने वाले-उपशीर्षकों से अलग किया जा सकता है : इनको नीचे स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है :-

आरम्भ । : कविता क्या है ? (निबन्ध का मुख्य शीर्षक)

पू . सभ्यता के आवरण और कविता

वा : कविता और सृष्टि प्रसार

ध : मार्मिक तथ्य

. काव्य और व्यवहार

. मनुष्यता की उच्चभूमि, (चरम रूप)

उ : भावना या कल्पना।

ल : मनोरजन।

रा : सौंदर्य।

ध : चमत्कारवाद।

: कविता की भाषा।

: अलंकार।

कविता पर अत्याचार।

उपसंहार : कविता की आवश्यकता

मनुष्यता की उच्च भूमि तक का निबन्ध शेष निबन्ध से कुछ अलग प्रतीत होता है। मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत अपनी महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं के बाद 'मनुष्यता की उच्चभूमि' तक शुक्लजी कविता के सम्बन्ध में अपने अभिमतों को व्यक्त करते जाते हैं। १९०९ ई. वाले निबन्ध में 'कार्य में प्रवृत्ति' वाला अंश यहाँ कुछ सीमा तक 'सभ्यता के आवरण और कविता'

शीर्षक के अन्तर्गत आ गया है। बाकी सब—कविता और सृष्टि प्रसार, भाषिक तथ्य, काव्य और व्यवहार तथा मनुष्यता की इच्छा भूमि-तथा लिखा गया है। मनुष्यता की उच्चभूमि तक वाष्प भाग की यदि पूर्वाभ मान में (यह भाग उत्तरार्ध से कम होने पर भी) तो यह कहना पड़ेगा कि कविता सम्बन्धी शुक्लजी की निजी मान्यताएँ—स्थापना एवं भव्यता की दृष्टि ने उत्ती भाग में अधिक है।

निबन्ध का उत्तरार्ध भाग अपेक्षाकृत बड़ा है। अन्तर्गत की दृष्टि से यह भाग अधिक महत्त्वपूर्ण है। गण्डन वाला भाग प्रायः यही है। कविता के सम्बन्ध में आचार्यों, पाश्चात्य विचारकों के मतों का उल्लेख एवं उन विचारों से सहमति-असहमति इस भाग में ही है। खण्डन करने के लिए विषय का (उस विषय का जिसका खण्डन करना हो) प्रयत्न शरीर करता रहता है, उदाहरण भी देने पड़ते हैं। यह सब उत्तरार्ध में है।

१६

अब हम पूर्वाभ की देखी और विचार करने कविता सम्बन्धी आचार्यों शुक्ल की स्थापनाओं पर विचार करें। निबन्ध के अन्तर्गत अष्टाध्याय का विवेचन ऊपर प्रस्तुत किया गया है। अब उगको न वादनाए हुए उभके आगे की स्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

१. सम्भ्यता के आवरण और कविता . कार्य में प्रवृत्ति के अन्तर्गत इस शीर्षक का सक्षिप्त विवेचन ऊपर किया गया है। स्थापना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्भावनाएँ ये हैं :-

सम्भ्यता के आवरण के कारण भावों के मूल या आदिम रूप आवृत हैं, छिप गए हैं या प्रच्छन्न हैं। इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कार्य का मुख्य अंग है। काव्य में अर्थग्रहण से काम नहीं चलता, बिम्बग्रहण अपेक्षित है। यह बिम्बग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है।

२. कविता और सृष्टि-प्रसार : यह शीर्षक पूर्णतः नया है। भावों के विषय सम्भ्यता के आवरण से प्रच्छन्न हो गए कहने के बाद और इसी तरह प्रच्छन्न रूप को दूर कर भावों के आदिम रूपों का साक्षात्कार कराने में कविता को विवरूप में प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद, अब शुक्लजी भावों के सृष्टि में प्रसार को स्पष्ट करते हैं। शुक्लजी लिखते हैं। " हृदय पर निरव्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता

बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अतः प्रकृति का सामजस्य घटित करती हुई उसकी भावसत्ता के प्रसार का प्रयास करती है।" (पृ. १४५-१४६) यहाँ एक प्रकार से भावों के विषय बतलाए गए हैं। (भाव के ये विषय सम्यता के आवरण से मुक्त तथा आदिम रूप में हैं) शुक्लजी भावों के इन विषयों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। भावों के विषय की ओर जो दृष्टि जाती है, वह काव्यदृष्टि है। शुक्लजी लिखते हैं- " काव्यदृष्टि कही तो १. नरक्षेत्र के भीतर रहती है २. कही मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के और ३. कही समस्त चराचर के। " (पृ. १४६.) शुक्लजी विस्तार के साथ उदाहरण देते हुए इन सबको समझाते हैं। इन सब को लिखते समय (काव्यानुद के बोध से) शुक्लजी भावुक हो जाते हैं और उदाहरणों की माला प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणों की यह माला ' काव्य में प्रकृति चित्रण ' से सबंध रखनेवाली है। (इस विषय पर शुक्लजी ने स्वतंत्र निबंध लिखा है, चिंतामणि भाग २) शुक्लजी के प्रकृति प्रेम को कमजोरी माना गया है। इस सबंध में आलोचना-प्रत्यालोचना न करते हुए प्रसंग के अनुसार ही यह विवेचन यहाँ किया जा रहा है।

नरक्षेत्र के संबंध में कहा गया है कि .. " सत्सार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति के मिलावट और पारस्परिक विधानों का सकलन या उद्भावना ही काव्यों में - मुक्तक हों या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। " (पृ. १४६.) इस सबंध में और आगे लिखा है .. " मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु-व्यापार आदि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर सबंधी भावों को तीव्र करने के लिए ही हैं। " (पृ. १४७.) मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को आलंबन मानकर लिखी गई कविता परिमाण में कम है। संस्कृत के प्रबंध काव्यों के बीच-बीच में इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं। शुक्लजी इस प्रकार की कविता को...जहाँ मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को आलंबन माना गया है-अच्छी मानते हैं। मेघदूत की इस दृष्टि से शुक्लजी ने बहुत प्रशंसा की है। इसी प्रसंग में अन्ततः साहचर्य-सभूत-रस का उल्लेख शुक्लजी ने किया है। इस रस के कारण सामान्य सीधे-सादे चिर-परिचित दृश्यों में माधुर्य की अनुभूति होती है।

' कविता और सृष्टि प्रसार ' प्रसंग का समापन करते हुए शुक्लजी कविता संबंधी अपनी मान्यता को दोहरा देते हैं (प्रथम अनुच्छेद में लिखी

गई) और प्रस्तुत प्रसंग को उम माध्यमा के साथ जोड़ देने हैं इस संबंध में लिखा गया निम्नलिखित अंश महत्त्वपूर्ण है -

“संपूर्ण सत्ताएँ एक ही परम सत्ता जीव संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अन्तर्भूत हैं। अतः बुद्धि की क्रिया में हमारा ज्ञान जित अद्वैत भूमि पर पहुँचना है उतनी यमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी रत्नरत्न के प्रभाव में पहुँचना है। इस प्रकार अन्त में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय ही जाता है। इन समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती।” (पृ. १५१.)

ध्यान से देखें तो यहाँ पर शुक्लजी अपनी इस माध्यमा को योद्धारति है— “इस साधना को (कविता की) हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं”। (पृ. १५१.) शुक्लजी इस माध्यमा को मनुष्यत्व की साधना कहते हैं।

३. मार्मिक तथ्य. निम्ब का यह भाग या यह अंश उद्भावना की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। कविता की साधना को भावयोग कहना और उसे ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के समकक्ष मानना, इसी तरह अद्वैत भूमि में पहुँचने की बात कहना (ज्ञान की दृष्टि में), परम भाव में अन्तर्भूत होना (भावों की दृष्टिसे) ये सब विचार ऐसे हैं, जिससे यह अनुभव होता है कि कविता का प्रयोजन मनुष्यत्व है। और मनुष्यत्व को पहचान ज्ञानयोग, भावयोग तथा कर्मयोग है। कविता की दृष्टि से यह भावयोग है। शुक्लजी अपने निम्ब में भावयोग का विश्लेषण करते चलते हैं। भावयोग के मार्ग में सम्यक्ता बाधा है (आवरण है), सम्यक्ता में अर्थग्रहण होता है, इसे दूर करना कवि कर्म है। कवि का यह कर्म अर्थग्रहण से नहीं बिम्बग्रहण से संभव है। बिम्बग्रहण में भावों के विषय का प्रश्न सामने आया तो शुक्लजी ने उसका वर्गीकरण किया और सृष्टि प्रसार के अन्तर्गत भावों के आलम्बनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद इस सृष्टि प्रसार के भीतर ही (भावों के आलम्बनों के भीतर ही) तथ्यों की खोज हुई। भावयोग के तथ्यों को शुक्लजी ने ‘मार्मिक तथ्य’ कहा है। ध्यान देने की बात यह है कि कविता के तथ्यों को पहचानने में शुक्लजी की दृष्टि वैज्ञानिक है। तथ्यों के भीतर ही सत्य निहित होता है और सत्य शुद्ध ज्ञान है। तथ्यों का यह विश्लेषण ‘ज्ञान के सिद्धान्त’ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वैसे शुक्लजी ‘ज्ञान का सिद्धान्त’ नहीं लिख रहे हैं। उन का यह लेखन आनुवंशिक रूप से ही गया है। ज्ञान प्रसार

भाव प्रसार के बिना संभव नहीं। और ज्ञान प्रसार तथ्यों के बिना संभव नहीं। सभी तथ्यों का संबंध ज्ञान से है उन में से (भाव के आलम्बन की दृष्टि से) रसात्मक तथ्य, मार्मिक तथ्य है। शुक्लजी ने लिखा है - 'अैसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेन्द्रियाँ उपस्थित करती हैं। फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भावप्रसार होता है।' (पृ. १५६.)

मार्मिक तथ्यों के आधारपर ही बद्ध-हृदय, मुक्त-हृदय में परिवर्तित हो सकेगा। लिखा है—'नरक्षेत्र के भीतर बद्ध रहनेवाली काव्यदृष्टि की अपेक्षा सम्पूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गम्भीर कही जायगी'' (पृ. १५६)

और अन्ततः इन तथ्यों के सम्बन्ध में शुक्लजी अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इन तथ्यों की खोज-मार्मिक तथ्यों की--कविकर्म का मुख्य अंग है। - 'विचारों की क्रिया से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी--उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके--कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा।' (पृ. १५७)

४. काव्य और व्यवहार : ज्ञानप्रसार के बाद भावप्रसार होता है, उसी तरह भावप्रसार के बाद ही कर्मप्रसार होगा। (संभावना यही है)। शुक्लजी मानते हैं कि कर्म में प्रवृत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। व्यावहारिक दृष्टि से शुक्लजी मानते हैं कि 'कविता तो भावप्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्मक्षेत्र का और विस्तार कर देती है।' (पृ. १५८) अपनी इस धारणा को व्यक्त करते समय विपरीत धारणा रखनेवालों का (काव्य का व्यावहारिक उपयोग न माननेवालों का) शुक्लजी ने खण्डन किया है। एक प्रकार से शुक्लजी यहाँ भावयोग और कर्मयोग का साम्य दिखला रहे हैं। मार्मिक तथ्यों के विवेचन में ज्ञानयोग के साथ भावयोग की बात जैसे कही गई, वैसे ही यहाँ भावयोग की समानता व्यावहारिक दृष्टि से कर्मयोग के साथ दिखलाई गई है। यह दिखलाते समय शुक्लजी स्वयं आवेग में आ गए हैं (शुक्लजी की भावात्मिका वृत्ति जाग गई है।) और इस नाते उन्होंने अर्थपरायणों को फटकारा है।

५ मनुष्यता की उच्चभूमि सम्यता के आचरण और कविता 'कविता और मृष्टिप्रसार,' 'मासिक तथ्य' तथा 'काव्य और व्यवहार' के अन्तर्गत जो कुछ कहा गया उसका समाहार शुक्लजी ने यहाँ (मनुष्यता की उच्चभूमि के अन्तर्गत) किया है । इस समाहार में अपनी पूर्वस्थापना (प्रथम अनुच्छेद की— 'कविता क्या है ?' के उत्तर की) को पुष्ट किया है । भावयोग कविता की साधना है और यह साधना मनुष्यत्व की उच्चभूमि के लिए है, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है । इस सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं :-

" कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत् के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्चभूमि पर ले जाती है । भावयोग की सब से उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है उसकी अल्प भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय, विश्वहृदय हो जाता है । "

(पृ. १६१)

एक प्रकार से इन पंक्तियों के साथ शुक्लजी कविता के सम्बन्ध में सकारात्मक रूप में (Positively) जो कुछ कहना चाहते हैं, कह देते हैं । जैसे तो प्रथम अनुच्छेद में ही उन्होंने कह दिया था किन्तु बाद का विस्तार— मनुष्यता की उच्चभूमि तक का विस्तार— उस अनुच्छेद का क्रमिक विश्लेषण है । इस क्रम में पूर्णता है और अपनी स्थापनाओं के सम्बन्ध में शुक्लजी को पूर्ण आत्मविश्वास है ।

अपनी इन स्थापनाओं में शुक्लजीकी प्रतिभा व्यक्त हुई है । हिंदी में आचार्य शुक्ल से पहले इतनी स्पष्ट धारणा—कविता के सम्बन्ध में—किसी की नहीं दिखलाई देती ।

१७

उत्तरार्ध भाग में शुक्लजी को अधिक परिश्रम करना पड़ा है । इस भाग में 'मौलिक स्थापना' नहीं है । यों कहना चाहिए कि कविता के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के पारम्परिक एवं प्रचलित मान्यताओं के संबंध में शुक्लजी की जो धारणाएँ (प्रतिक्रिया रूप में) रही हैं, वे यहाँ व्यक्त हुई हैं । अपना मत या अपनी विचारधारा स्थिर हो जाने पर अन्य विचार— धाराओं से यदि टकराहट हो तो खंडन—मंडन होता ही है । इस के लिए अपने ज्ञान पर विश्वास चाहिए और विरोधियों के पक्ष का ज्ञान भी अपेक्षित है । विरोधी पक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य एवं सतत अध्यवसाय की

आवश्यकता है। ऐसा काय गभीर व्यक्तित्व के अभाव में संभव नहीं। पूर्वार्ध में शुक्लजी का आचार्य पक्ष प्रबल है (मौलिक उद्भावनाओं के कारण) तो उत्तरार्ध में उनका समीक्षक या आलोचक (खंडन-मंडन के कारण और उदाहरणों की अधिकता के कारण) पक्ष प्रबल है। जैसे पूर्वार्ध की छाया उत्तरार्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। उस के अभाव में खंडन-मंडन में इतना बल न आ पाता।

१९०९ ई. की तुलना में इस उत्तरार्ध में नए आनेवाले शीर्षक तीनों हैं। भावना या कल्पना, चमत्कारवाद और कविता पर अत्याचार। मनो-रजन, सौंदर्य, कविता की भाषा एवं अलंकार इन शीर्षकों पर ऊपर-तुलना करते समय-विचार हो चुका है। अतः यहाँ नए आनेवाले शीर्षकों पर ही विचार किया जा रहा है।

१. भावना या कल्पना : इस शीर्षक की आरंभिक पंक्ति से ही निबंध के बदले हुए स्वर का बोध हो जाता है। यहाँ से आगे शुक्लजी पूर्वार्ध की मान्यताओं को बार-बार दोहराते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है।

“ इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह आए हैं और उसे ज्ञानयोग के समक्षक बता आए हैं। ” (पृ. १६१)

इस तरह अपनी मान्यता (पूर्व मान्यता को) दोहराकर विषय की ओर आते हुए कहते हैं कि... “ उपासना भावयोग का ही एक अंग है। (पृ. १६१.) धार्मिक लोग जिसे उपासना कहते हैं, साहित्य वाले उसी को ' भावना ' कहते हैं। और आजकल के लोग उसी को कल्पना कहते हैं। शुक्लजी ने कल्पना को भावना के वजन पर स्वीकार किया है। इसीलिए अपने शीर्षक में उन्होंने भावना या कल्पना लिखा है। है। उनके अनुसार कल्पना के दो प्रकार हैं। विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित है जब कि श्रोता या पाठक में ग्राहक। कल्पना को शुक्लजी इसी रूप में स्वीकार करते हैं। योरोपीय विद्वानों ने कल्पना के संबन्ध में विस्तृत विवेचन किया है। शुक्लजी उनसे अपना मतभेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि “ यह (कल्पना) काव्य का अनिवार्य साधन है पर है साधन ही, साध्य नहीं। ” (पृ. १६२)

२. चमत्कारवाद अलंकार पर स्वभाव रूप से विचार हुए भी इस शीर्षक को शुक्लजी ने अलग से स्थान दिया है । शुक्लजी चमत्कार को मनोरंजन की सामग्री मानते हैं । चमत्कार का तात्पर्य स्पष्ट करने हुए वे लिखते हैं :- "चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं जो अद्भुत-रस के आलम्बन में होता है । चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है जिसके अन्तर्गत वर्णविभंग्यता की विशेषता (जैसे अनुप्रास में) शब्दों की क्रीडा (जैसे श्लेष, यमक आदि में), वाक्य को वक्रता या वचनभंगी (जैसे काव्यार्थपत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा दूरारूढ कल्पना (जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में) इत्यादि बानें आती हैं ।" (पृ. १६८) इस प्रसंग पर विस्तार से लिखने का एक कारण यह है कि चमत्कार को कविता में महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा । आचार्य शुक्ल ने इस सम्बन्ध में उदाहरण दिए हैं । केशवदाम की रामचरित्रिका से उदाहरण दिए गए हैं । केशव से पूर्व मंडन और ठाकुर कवि के भी उदाहरण दिए हैं । मंडन और ठाकुर की जहाँ - (चमत्कार होने पर भी) - शुक्लजी प्रशंसा करते हैं, वहीं केशवदास के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहते । सूरदास की भावप्रेरित वक्र उक्तियों की शुक्लजी प्रशंसा करते हैं । इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देने हुए शुक्लजी लिखते हैं - "उक्ति की वही तक की वचनभंगी या वक्रता के सम्बन्ध में हम से कुन्तलजी का "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम् भावते बनता है, जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अन्तर्धृति से सम्बन्ध हो, उसके आगे नहीं ।" (पृ. १७४) श्रोत्रे को शुक्लजी ने विलायती वक्रोक्तिवादी कहा है । इस तरह हम देखते हैं कि कविता में चमत्कार की बढ़ती प्रवृत्ति का शुक्लजी विरोध करते हैं ।

३. कविता पर अस्याचार : 'सन्ध्या की उच्चभूमि' में जैसे निबन्ध के पूर्वार्ध का समाहार है (मण्डन वाले पक्ष का या अपनी स्थापनाओं का), वैसे ही इस शीर्षक के अन्तर्गत उत्तरार्ध का समाहार है । 'भावना या कल्पना', 'मनोरंजन', 'सौंदर्य', 'चमत्कारवाद', 'कविता की भाषा' एवं 'अलंकार' इन सब शीर्षकों के अन्तर्गत वह क्रम नहीं है, जो पूर्वार्ध के शीर्षकों के अन्तर्गत है । पूर्वार्ध के शीर्षकों में धृञ्जलावद्ध विवेचन है । यों कहना चाहिए कि 'कविता क्या है ?' का उत्तर प्रथम अनुच्छेद में देवे के बाद उक्त उत्तर का विस्तारण बौद्धिक दृष्टि से धृञ्जलावद्ध रूप में पूर्वार्ध में किया गया है । उत्तरार्ध में दिए गए शीर्षकों का विवेचन स्वतंत्र है और

शुक्लजी की यह मायता है कि साध्य को ही साधन मान लेने के कारण कविता पर अत्याचार हुआ है। उत्तरार्ध के शीर्षक जरा ध्यान से देखे तो काव्य में प्रचलित सिद्धान्तों से सम्बन्धित शीर्षक हैं, ऐसा ज्ञात होगा। योरोपीय प्रभाव के कारण 'कल्पना' को कविता में बहुत महत्त्व दिया जा रहा था, 'मनोरंजन' शीर्षक का सम्बन्ध पंडितराज जगन्नाथ के रमणीयता से है तथा काव्य के लक्ष्यच्युत होकर 'आनन्द' लक्ष्य मान लेने से है; इसी तरह 'सौंदर्य' में बाहर भीतर का झगडा है तो 'चमत्कारवाद' का सम्बन्ध वक्रोक्तिवाद एवं क्रोचे के विलायती वक्रोक्तिवाद (अभिव्यजनावाद) से है। 'कविता की भाषा' में शुक्लजी ने मौलिक रूप से कविता की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तरार्ध में यह एक शीर्षक ऐसा है जिसमें मौलिक रूप से कुछ कहा गया है। यह कहना स्थापना के रूप में है, गण्डन के रूप में नहीं। 'अलंकार' शीर्षक में अलंकार को साधन माना गया है। वैसे देखा जाय तो भाषा को भी एवं भाषा की शक्तियों या विशेषताओं को भी शुक्लजी ने साधन ही माना है। जहाँ तक काव्य के इन उपकरणों का प्रश्न है, साधन रूप में इन सब की महत्ता शुक्लजी स्वीकार करते हैं। किन्तु इन्हीं को साध्य मान लेने का वे विरोध करते हैं, साध्य मान लेने से कविता पर अत्याचार होता है। कविता अपने लक्ष्य से च्युत हो जाए, अपने प्रयोजन को भूल बैठे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, यह शुक्लजी को पसंद नहीं। लिखा है :-

'लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कही अपात्रों की - आसमान पर चढानेवाली - स्तुति कराई है, कही द्रव्य न देनेवालों की निरावार निन्दा। ऐसी तुच्छवृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं।' (पृ. १८५).

इस तरह उत्तरार्ध में 'कविता पर अत्याचार' शीर्षक के अन्तर्गत उत्तरार्ध के शीर्षकों का समाहार है : यहाँ कोई नई बात नहीं कही गई है। शुक्लजी यहाँ कुछ आवेग में आ गये हैं और भावुकता में उन लोगों का विरोध करते हैं, जो कविता पर अत्याचार करते हैं।

१८

निबंध का उपसंहार 'कविता की आवश्यकता' है, इस सम्बन्ध में ऊपर विस्तार में लिखा गया है। अब यहाँ सम्पूर्ण निबंध का उपसंहार करते हुए यह कहना है कि आचार्य शुक्ल ने १९०९ ई. में जब निबंध लिखा था उस

समय उन्होंने कविता की आवश्यकता का अनुभव किया था उस समय के निबंध लेखन में समस्या का बोध तो उनके मन में था किन्तु समस्या का हल उनके पास उस समय नहीं था। कम से कम 'कविता क्या है?' इस संबंध में उनकी स्पष्ट धारणा उस समय नहीं बनी थी। निबंध का पूर्वार्ध प्रायः १९३९ ई. का लिखा हुआ है। १९०९ ई. के निबंध में उपसर्गवाला भाग अधिक है। उस समय के उस भाग में १९३९ ई. के पूर्वार्ध की छाया नहीं है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि निबंध का प्रथम अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 'कविता की आवश्यकता' का अनुभव करने पर 'कविता क्या है?' का उत्तर देते समय आचार्य शुक्ल कविता के लक्ष्य या प्रयोजन पर ही अधिक विचार करते जान पड़ते हैं। कविता को मानना को शुक्लजी ने भावयोग कहा है और उसे ज्ञानयोग और कर्मयोग के समकक्ष माना है। इस साधना-भावयोग की साधना-के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्दविधान करती आई है, वही कविता है। शुक्लजी ने यदि कविता की परिभाषा की है तो यही की है। कहने में यह सब सरल होने पर भी इसको स्पष्ट करना और अपनी इस स्थापना को बहूत् रूप में बौद्धिक आधार प्रस्तुत करना कठिन है, यह तब समझ में आएगा जब हम उनके पूरे निबंध को पढ़ लेते हैं और फिर उनकी इस स्थापना पर विचार करते हैं। कविता सबसे शुक्लजी की सारी स्थापनाएँ 'भावयोग' से उद्भूत हैं। भावयोग की साधना, कविता की साधना है। अन्त में शुक्ल की इन मान्यताओं को उस रूप में लिखा जा सकता है :-

कविता : मनुष्य की वाणी,

हृदय की मुक्ति का साधन,

सही भावयोग है।

भावयोग — कर्मयोग — ज्ञानयोग।

सभ्यता के आवरण में बद्ध है,

सभ्यता का बोध अर्थग्रहण है,

कविता अर्थग्रहण नहीं बिंबग्रहण कराती है।

साव के विषय (अ) नरक्षेत्र।

(आ) मनुष्येतर बाह्य सृष्टि।

और (इ) समस्त चराचर।

भाव के विषयों पर दृष्टि : काव्यदृष्टि ।

ज्ञान प्रसार (तथ्यों के कारण) भावप्रसार के मार्ग खोलता है । भावयोग के लिए आवश्यक तथ्य ' मामिक तथ्य ' हैं ।


मामिक तथ्यों का उद्घाटन ' कवि कर्म ' है ।

कर्म में प्रवृत्ति भावों के कारण होती है, हम ज्ञान के कारण कर्म में प्रवृत्त नहीं होते ।

ज्ञान प्रसार से भाव प्रसार हो और भावप्रसार से कर्मप्रसार हो तो इससे भावयोग से सम्बन्ध रखनेवाली कविता का प्रयोजन सिद्ध होता है । और इस आधार पर मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचा जा सकता है ।

: मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचना हृदय का मुक्त होना है और हृदय का मुक्त होना भावयोग से सम्भव है और इसके लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आई है, वही कविता है ।

ये शुक्लजी की महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं का विश्लेषण है ।



३. अभिरुचि और समीक्षा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक के रूप में ख्यात हैं। एक समीक्षक होने के नाते उनकी समीक्षाओं पर उनकी अभिरुचि (साहित्यिक अभिरुचि) का प्रभाव पडा है। इस नाते चिंतामणि भाग १ के निबंधों का विश्लेषण शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि के आधार पर किया जा सकता है। यह प्रयास नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

२

चिंतामणि भाग १, में समीक्षा के दृष्टिकोण से निबन्ध लिखे हुए नहीं है। तीन निबंध ऐसे मिलते हैं जिन्हें अन्य निबंधों की तुलना में अपेक्षाकृत समीक्षात्मक कहा जा सकता है। वे निबंध हैं १. भारतेन्दु हरिश्चंद्र २. तुलसी का भक्तिमार्ग और ३. मानस की धर्म-भूमि। ऐसा भी इसलिए कहा जा सकता है कि पहले दो निबन्धों के शीर्षक रचनाकारों से सम्बन्धित हैं और

तीसरे का सम्बन्ध स्वयं रचना से है। इन निबंधों के शीर्षक मनाविकारां से सम्बन्धित या काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों से सम्बन्धित नहीं हैं। इन निबंधों को छोड़कर अन्य निबंधों में जहाँ-जहाँ शुक्लजी का वैयक्तिक स्वर उदाहरणों को देते हुए उभर आया है, वहाँ-वहाँ शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि व्यक्त होती दिखलाई देनी है। उनकी इस विशेष साहित्यिक अभिरुचि ने उनकी समीक्षा को प्रभावित किया है। समीक्षक की अभिरुचि में समीक्षक का वैयक्तिक आग्रह होता है और इस आग्रह के कारण ही समीक्षक की साहित्यिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। इसा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

३

किसी समीक्षक में साहित्यिक अभिरुचि का निर्माण समीक्षक द्वारा पठित साहित्यिक कृतियों के आधार पर होगा। जो रचनाएँ पढ़ते समय, रस-ब्रह्मण करते समय, समीक्षक को भा जाती हैं (प्रकटी लगती हैं), वे रचनाएँ समीक्षक के साहित्यिक सस्कार बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते जब मन किसी एक कवि एवं एक कृति पर आकर स्थिर हो जाए और वह विशेष कवि एवं वह विशेष रचना हिमो समीक्षक की दृष्टि में आदर्श हो जाए तो समीक्षक अन्य रचनाओं का रसग्रहण करते समय अपने आदर्श कवि एवं आदर्श रचना के साथ मन ही मन उक्त रचना की तुलना करते रहता है और इस तरह करते समय वह साहित्यिक अभिरुचि का ध्यान अधिक रखता है। इस समय में कव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर अपेक्षाकृत उसका ध्यान कम होता है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि को पहचानने के लिए हमें शुक्लजी को प्रिय लगनेवाली रचनाओं और प्रिय लगनेवाले कवियों पर विचार करना होगा। जो तीन निबंध चिन्तामणि में हैं, उनमें से एक 'तुलसी का भक्ति-मार्ग' कवि पर है और दूसरा निबंध उसी कवि की रचना 'मानस की धर्म-भूमि' पर है। इस आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि गोस्वामीजी के आधार पर निर्मित हुई है और गोस्वामीजी की रचनाओं में भी 'मानस' उनकी प्रिय पुस्तक है। कवि और कवि की रचना में शुक्लजी का ध्यान कवि के भक्ति-मार्ग और रचना की धर्म-भूमि पर रहा है। अपने साहित्यिक मूल्योंक्रम में शुक्लजी का नैतिक-बोध सदैव जाग्रत रहा है। उनके इस नैतिक-बोध ने साहित्य और शास्त्र (यहाँ काव्यशास्त्र) दोनों को प्रभावित किया है। इस नैतिक-बोध से मुक्त रहन हुए भी नाद्रिय को आत्मिक अनुभूति का बोध शुक्लजी से मिलता है। शुक्लजी ने इन प्रकार के तथ्यों को 'मायिक तथ्य' कहा है। यहाँ शुक्लजी

की साहित्यिक अभिरुचि समझने के लिए ऐसे उदाहरणों और ऐसे स्थलों का चुनाव किया जा रहा है, जिससे शुक्लजी के नैतिक-बोध की तुलना में साहित्यिक-बोध अपेक्षाकृत अधिक झलक सके। (यह इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों प्रकार के बोध को अलग करना कठिन है।) शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि को पहचानने के लिए ऐसे ही उदाहरणों का चुनाव किया गया है। यो कहना चाहिए कि नैतिक-बोध से मुक्त रहकर जहाँ-जहाँ शुक्लजी ने साहित्य की समीक्षा साहित्य होने के नाते की है, उसी आधार पर यह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

४

आचार्य शुक्ल ने मेघदूत के संबंध में लिखा है :-

“मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। ‘पूर्वमेघ’ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोरम झाँकी या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता है वह धूम-धूम कर वक्तृता दे या न दे चन्दा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की शोभा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सब से भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम-दृष्टि。” (पृ. १४९)

इन पंक्तियों में मेघदूत के प्रति शुक्लजी के जो विचार व्यक्त हुए हैं, उनमें शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि का बोध नैतिक-बोध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। यही नहीं, यहाँ तो साहित्यिक-बोध, नैतिक बोध से बाजी मार ले गया है। हम देखते हैं कि साहित्यिक-बोध के आधार पर नैतिक-बोध परखा जा रहा है। चन्दा इकट्ठा करना, देशवासियों की आमदनी का औसत निकालना या धूम-धूम कर वक्तृता देना, ये सब देशप्रेम के द्योतक कार्य हैं। संभवतः इस प्रकार के कार्य में लोग देशप्रेम का भाव समझें किंतु शुक्लजी इस का यहाँ विरोध करते हैं। देशप्रेम शुक्लजी को मान्य है। इस प्रेम की अभिव्यक्ति और व्यवहार दोनों की ओर शुक्लजी का ध्यान गया है। मेघदूत में अभिव्यक्ति है, व्यवहार की बात वहाँ नहीं है। इस अभिव्यक्ति पर शुक्लजी रीझ गए हैं और इस अभिव्यक्ति को उन्होंने व्यवहार से अधिक महत्त्व दिया है। महत्त्व ही नहीं दिया, न्यायसंगत माना है। उनका यह झुकाव मेघदूत को साहित्यिक महत्त्व देने के नाते है।

भेषदूत के उक्त उदाहरण ने यह ज्ञान हो गया कि रचना का मूल्यांकन करने में शुक्लजी की दृष्टि रचना में पाए जाने वाले साहित्यिक गुणों पर रहने पर भी अप्रत्यक्ष रूप में वे साहित्य के नैतिक-पक्ष पर भी विचार करते रहते हैं। कहीं उन्होंने इस प्रकार के विचार खुलकर व्यक्त किए हैं और कहीं व्यक्त नहीं कर पाए। जहाँ उन्होंने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त नहीं किए वहाँ भी उनका ध्यान साहित्य के नैतिक-पक्ष पर है। यह बात शुक्लजी के निबन्धों को ध्यान से पढ़ने से समझ में आ जाती है। यह होने पर भी रचनाओं के साहित्यिक मूल्य को शुक्लजी ने पहचाना है। किसी रचना को विचारधारा से मतभेद होने पर भी उस रचना के साहित्यिक मूल्यांकन में शुक्लजी ने अपनी साहित्यिक इमानदारी का परिचय दिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि रसखान, धनानन्द, भुमिभानन्दन पन्त, भारतेन्दु, हरिश्चन्द्र, देव एवं अन्य अनेक कवियों की रचनाओं के उदाहरण चिन्तामणि में देने समय इन कवियों की रचनाओं के साहित्यिक महत्त्व को शुक्लजी ने स्वीकारा है।

अब हम शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता का विश्लेषण करें। साहित्य में हृदय बद्ध न रहकर मुक्त होना चाहिए, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है। सम्यता के आवरणों में हृदय बद्ध है। यह आवरण जितना जटिल होता जाएगा, कविता की (साहित्य की) आवश्यकता उतनी ही नीब होगी। साहित्य (कविता) हृदय की मुक्ति का साधन है। अतः किसी रचना को पढ़कर हृदय मुक्त हो जाता है, तो उस रचना में साहित्यिक गुण है, और मान लिया जा सकता है। किसी रचना को विचारधारा से मतभेद होने पर भी यदि रचना में हृदय को मुक्त करने का गुण है तो उस रचना के साहित्यिक महत्त्व को स्वीकार किया जा सकता है। विचारधाराकी बात हृदय की मुक्ति के अनन्तर उठनेवाली है। वह बाद में सोची गई बात है। दोनों का मेल हो जाए तो उत्तम मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने दोनों में मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इस मेल को स्थापित करने में जहाँ उन्हें कठिनाई हुई वहाँ उन्होंने अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। मतभेद होने पर भी रचना के साहित्यिक मूल्य को स्वीकार किया गया तो केवल इसीलिए कि रचना से गुजरने पर हृदय मुक्त होता है।

शुक्लजी प्रकृति वर्णन पर मुख होते हैं। जिन रचनाओं में प्रकृति वर्णन मिलता है, उनकी (उन रचनाओं की) शुक्लजी ने प्रायः प्रशंसा की है। प्रकृति प्रेम को अत्यधिक महत्त्व देने का एक कारण यह भी है कि संस्कृत काव्यों में शुक्लजी ने प्रकृति वर्णन का अनन्यतम रसास्वादन किया है। शुक्लजी का साहित्यिक-संस्कार संस्कृत काव्यों के आधार पर हुआ है। बाद में हिन्दी रचनाओं में उन्हें वह बात नहीं मिली तो रह-रह कर मन कचोट उठता था कि हिन्दी में वह रंग नहीं जो संस्कृत रचनाओं में है। शुक्लजी ने लिखा है :-

“ प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेद के कवियों ने मुक्तक-रचना में तो प्राकृतिक वस्तुओं का अलग-अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा-बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप-विभूति को लेकर ही। ” (पृ. १५०)

इस कथन से यह स्पष्ट है कि शुक्लजी का साहित्यिक संस्कार संस्कृत की रचनाओं के आधार पर हुआ है। साथ ही प्रकृति के रमानेवाले वर्णन संस्कृत में हिन्दी की अपेक्षा अधिक मिलते हैं।

प्रकृति-प्रेम को शुक्लजी की साहित्यिक कमजोरी भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

१) देते हैं घुडकी यह अर्थ ओज-मरी हरि,
जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह ?
पर प्रतिपेध के प्रसार बीच तेरे, नर
क्रीडामय जीवन-उपाय है हमारा यह ।
दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए,
उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह ।
फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू,
छँकता है जाता, हम जायें कहाँ तू ही कह ।
(पृ. १५३)

२) क्वचित्प्रकाश क्वचिदप्रकाश,
नभः प्रकीर्णाम्बुधनं विभाति ।

क्वचित् क्वचित्पर्वतसनिवृद्ध,

रूपं यथा दान्तमहार्णवम् ।

व्यामिश्रितं सर्जकदम्बपुष्पै-

नैव जल पर्येत-यानुनामम्

मयूरकेकाभिरनुप्रयातं

शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥

(पृ. १९९.)

३) तरनि तनुजा तट तमाल तदवर बहु छाए ।

झुके कूल सो जल परमन हित मनहूँ मूहाए ॥

किधौ मुकुर में लखत उसकि सब निज-निज सोभा ।

कै प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥

मनु आतप-वारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत ।

कै हरि-सेवा हित नै रहे, निरखि नैन मन मुख लहत ॥

(पृ. १९९.)

ये तीनों ही उदाहरण प्रकृति वर्णन में सम्यग्निष्ठ हैं। प्रथम उदाहरण के सम्बन्ध में शुक्लजी लिखते हैं - 'यदि कोई वन्दर हमारे सामने से खाने-पीने की चीज उठा ले जाय और किसी पेड़ के ऊपर बैठा-बैठा हमें घुडकी दे, तो काव्यदृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि' (पृ. १५२) यहाँ काव्यदृष्टि शब्द ध्यान देने योग्य है। इस उदाहरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे शुक्लजी 'तन्वी' की मार्मिक व्यञ्जना' की प्रतीति कराना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रतीति को उन्होंने 'काव्यानुभूति' कहा है। जहाँ तक काव्यानुभूति की बात (सिद्धान्तिक रूप से) कही गई है, वह ठीक है। किन्तु उदाहरण को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर लक्षण बतलाकर बाद में उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में सहज काव्यानुभूति का बोध नहीं है। इस उदाहरण से शुक्लजी का दृष्टिकोण (प्रकृति-वर्णन के प्रति) व्यक्त होता है। अपने निबन्धों में प्रकृति-वर्णन की महिमा बतलाने के लिए गद्य रूप में (खण्ड-खण्ड ही क्यों न हों) उदाहरणों की माला शुक्लजीने प्रस्तुत की है। इस प्रकार के अर्थों को लिखते समय शुक्लजी अत्यधिक भावुक हो गए हैं। अपने साहित्यिक मोड़ को (अपनी विशेष अमि रुचि को) वे संवरित नहीं कर सके हैं। गद्य रूप में प्रस्तुत प्रकृति-वर्णन का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :-

'पर्वत की ऊँची चोटियों में विशालता और भव्यता का, बातविलोडित जल-प्रसार में शोभ और आकुलता का विकीर्ण-धन खण्ड मण्डित रश्मि-

रजित साध्य-दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड के प्रचण्ड शोकों से उग्रता और उच्छ्वसलता का, बिजली की कौपानेवाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ या कल्पनाएँ हैं। स्वार्थ-भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं।' (पृ. १५५).

गद्य रूप में लिखा हुआ यह भाग प्रकृति-वर्णन की काव्यमहिमा दिखलाने वाला है। शुक्लजी ने इन्हे 'विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ, भी कहा है। उदाहरणों के रूप में भावुकता में शुक्लजी गद्य-खण्डों में प्रकृति के जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, वे चित्र निश्चित ही प्रथम-उदाहरण (देते हैं घुड़की ... - कवित्त) से अच्छे हैं। बन्दर के इस उदाहरण में प्रयोजन और नैतिक-बोध हावी हो गया है। इसीलिए सहज काव्यानुभूति का बोध नहीं होता। जहाँ तक सिद्धान्त की बात है और शुक्लजी समझाकर लिखते हैं, वहाँ तक ठीक है। इस उदाहरण से शुक्लजी के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है। :

दूसरे और तीसरे उदाहरणों का सम्बन्ध भी प्रकृति वर्णन से है। ये दोनों ही उदाहरण 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, निबन्ध के हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पर लिखा हुआ यह निबन्ध एक प्रकार से शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि और समीक्षा को समझने के लिए उत्तम उदाहरण है। हम देखते हैं कि 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' की मुक्त कठ से प्रशंसा करते हुए भी जहाँ साहित्यिक मूल्यांकन की बात आ जाती है, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखने में शुक्लजी झिझकते नहीं। इस निबन्ध के आरम्भ में भारतेन्दु के भाषा-संस्कार एवं देशभक्ति का विवेचन शुक्लजी ने किया है। भारतेन्दु का यह कार्य निस्सदेह सराहनीय है। यों कहना चाहिए कि प्रयोजन की दृष्टि से (काव्य के प्रयोजन) भारतेन्दु के कार्य शुक्लजी की रुचि एवं आदर्श के अनुकूल थे। अतः इस सम्बन्ध में उन्होंने भारतेन्दु की खुलकर प्रशंसा की है। भारतेन्दु की प्रशंसा में शुक्लजी ने लिखा है - "वे सिद्ध-वाणी के अत्यन्त सरस हृदय कवि थे। हमसे एक ओर तो उनकी लेखनी में शृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित्त-सवैये निकलते थे जो उनके जीवन काल में ही इधर-उधर लोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगें थे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएँ चारों ओर देश के मगल का मंत्र सा फूँकती थी।" (पृ. १९२.) भारतेन्दु की प्रशंसा में यह सब कहने के बाद शुक्लजी

साहित्यिक मूल्यांकन में प्रवृत्त होने हैं । (अपनी साहित्यिक अभिरुचि के अनुसार) । कवि रूप में जब भारतेन्दुजी का मूल्यांकन करने लगते हैं तो फिर उन्हें सस्कृत के कवि याद आ जाते हैं और भारतेन्दुजी के निबन्ध में अपनी साहित्यिक अभिरुचि को व्यक्त करने की दृष्टि से बाल्मीकि, भवभूति, कालिदास तथा मर्तृहरि के उदाहरण देते हैं । इन उदाहरणों को देते समय सन्धे कवि की विशेषता बतलाते जाते हैं । इस प्रकार से कवि का मूल्यांकन करने के लिए (कवि रूप में) वे लिखते हैं - "अब यह देखना है कि यदि वे (भारतेन्दु) कवि थे तो किस ढंग के थे ?" (पृ. १९४) यह लिखने के बाद उन्होंने कवियों के तीन ढंग बतलाए (१) नर-प्रकृति के वर्णन में लीन रहनेवाले, (२) बाह्य-प्रकृति के वर्णन में लीन रहनेवाले और (३) दोनों में समान रुचि रखनेवाले । शुक्लजी का विश्वास है (जिसे उचित कहा जा सकता है) कि पिछले वर्ग में (तीसरे वर्ग में) बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि सस्कृत के प्राचीन कवि ही आते हैं । इस प्रसंग में शुक्लजी सस्कृत काव्य और हिन्दी काव्य दोनों की तुलना करने लगते हैं । इस तुलना में हिन्दी काव्य को शुक्लजी ' भाषा कवियों ' का काव्य कहते हैं । बाबू हरिश्चन्द्र को वे भाषा-कवि का अपवाद नहीं मानते । भाषा-कवि से सस्कृत कवियों की दृष्टि विस्तृत थी, ऐसी शुक्लजी की मान्यता है । शुक्लजी स्पष्ट रूप में लिखते हैं - " बात यह थी कि हिन्दी-साहित्य का उत्थान ही ऐसे समय में हुआ जब लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो चुकी थी । बाल्मीकि, कालिदास, और भवभूति के आदर्श लोगों के सामने से हट चुके थे । " (पृ. १९५.) इस प्रसंग में सूर तुलसी के सम्बन्ध में केवल इतना कहते हैं - " सूर और तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के शृंगारी कवियों ने उसके पैर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया..." (पृ. १९७.) और इसी प्रसंग में अपने विषय की ओर आते हुए (भारतेन्दु के सम्बन्ध में लिखते हुए) स्पष्ट रूप से लिखते हैं - " बाबू हरिश्चन्द्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंग छेड़ नए-नए सस्कार उत्पन्न किए पर उन्होंने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया । उनका जीवन-वृत्तान्त पढ़ने से भी पता लगता है कि वे प्रकृति के उपासक न थे । उन्हें जंगल, पहाड़, नदी आदि को देखने का उतना शौक न था । वे अपने भाव 'दस तरह के आदमियों के साथ उठ-बैठकर' प्राप्त करते थे । इसी से मनुष्य की भीतरो-बाहरी वृत्तियाँ अंकित करने में ही वे तत्पर रहे हैं और नाटकों की ओर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है । " (पृ. १९७.)

अब हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र निबन्ध से दिए गए दोनों उदाहरणों का विवेचन कर सकते हैं । एक उदाहरण (दूसरा) वाल्मीकि का है और बाद का (तीसरा) भारतेन्दुजी का है । वाल्मीकि के उदाहरण में ' वर्षा-वर्णन ' है । इस उदाहरण को देने के बाद शुक्लजी अत्यधिक भावुक होकर कहते हैं — " उपर्युक्त वर्णन में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे प्राकृतिक व्यापारों का निरीक्षण किया है जिनको बिना किसी अनूठी उक्ति के गिना देना ही कल्पना का परिष्कार और भाव का संचार करने के लिए काफी है .. " (आगे कालिदास और भवभूति के सम्बन्ध में लिखा गया है) (पृ. १९५) ऐसे स्थलों पर शुक्लजी तर्क न देते हुए भावुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं — " भवभूति का तो कहना ही क्या है, देखिए " (पृ. १९५) इस तरह यह देखा जा सकता है कि जिन कवियों पर और जिन रचनाओं पर शुक्लजी मुग्ध हो जाते हैं, उस का उदाहरण देने का लोभ सवरण नहीं कर सकते । और उदाहरण देते समय ' कहना ही क्या ? ' कहने लगते हैं । ऐसे स्थलों पर (जहाँ वे बहुत मुग्ध हो जाते हैं) शुक्लजी ने कलम-तोड़ भाषा का प्रयोग किया है । भारतेन्दुजी का उदाहरण देने में पूर्व शुक्लजी लिखते हैं — ' चन्द्रावली नाटिका में एक जगह यमुना तट का वर्णन आया है, पर वह भी परम्पराभुक्त (Conventional) ही है । उसमें उपमानो और उत्प्रेक्षाओ आदि की भरमार इस बात को सूचित करती है कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, हट-हट जाता था । ' (पृ. १९८) यह लिखने के बाद ' तरनि तनूजा तट .. ' का उदाहरण दिया गया है ।

८

ऊपर शुक्लजी के प्रकृति-प्रेम का सक्षेप में विवेचन किया गया है । चिंतामणि भाग १ के निबन्धों में अनेक स्थानों पर उनका यह प्रकृति-प्रेम व्यक्त हुआ है । अपने बौद्धिक एवं शास्त्रीय विवेचन के बीच भी स्थान निकाल कर शुक्लजी ने अपने इस प्रेम को व्यक्त किया है । शुक्लजी के इस प्रकृति-प्रेम को शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि का एक मापदण्ड कहा जा सकता है । हिंदी में प्रकृति-प्रेमी कवि जो जो मिले हैं, उनकी शुक्लजी ने खुलकर प्रशंसा की है । शुक्लजी के इस प्रकृति-प्रेम का उनकी साहित्यिक अभिरुचि के संदर्भ में विवेचन सम्भव है । यह विवेचन शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता को स्पष्ट करते हुए किया जा सकता है । इसे स्पष्ट करने से उनकी समीक्षाएँ (कवियों और रचनाओं की) अधिक स्पष्ट होंगी । यह प्रयास नीचे किया जा रहा है ।

आचार्य शुक्ल ने लिखा है—“ हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपो और व्यापारो को भावना के मामने लाकर कविता बाह्य-प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। ” (पृ १४५-१४६) इन पक्तियों को शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता कहा जा सकता है। इस मान्यता के सदर्थ में शुक्लजी ने कवियों की एव उनकी रचनाओं की समीक्षाएँ लिखी हैं।

बाह्य प्रकृति एवं मनुष्य की अन्तःप्रकृति इन दोनों के सामंजस्य पर शुक्लजी विशेष बल देते हैं। इन प्रकृतियों के सामंजस्य में (कविता में) विवग्रहण होगा तो भावप्रसार होगा और भाव प्रसार होगा तो हृदय मुक्त होगा। यह तो शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता का विश्लेषण हुआ। शुक्लजी ने अपनी (इस) मान्यता के अनुरूप (उन्हें अच्छे लगनेवाले) काव्य से अनेक उदाहरण दिए हैं और उदाहरणों की समीक्षाएँ की हैं। इन उदाहरणों में यदि यह मान्यता ठीक बैठती है, तो यह माना जा सकता है कि साहित्यिक-अभिरुचि, साहित्यिक-मान्यता के अनुरूप है।

साहित्यिक-अभिरुचि की दृष्टि से देखें तो कवितामणि भाग १ में ही बाह्य-प्रकृति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कविता रूप में (अन्य कवियों के) एव गद्य-रूप में अनुच्छेद के अनुच्छेद शुक्लजी ने स्वयं लिख डाले हैं। गद्य-रूप में दिए गए उदाहरणों में (अवतरणों में) शुक्लजी ने बाह्य-प्रकृति और मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामंजस्य दिखलाया है। कवियों के उदाहरण देते समय शुक्लजी को इस प्रकार के उदाहरण (उनकी साहित्यिक अभिरुचि के अनुरूप) संस्कृत कवियों में ही मिले। हिन्दी कवियों में इस प्रकार की प्रवृत्ति का अभाव उन्हें खलता है। ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं (हिन्दी में) उन्हें किसी कवि में किसी रूप में क्यों न हों, यदि प्रकृति का वर्णन मिल गया तो शुक्लजी ने उसका उल्लेख किया और तदनुरूप अपने विचार (बाह्य प्रकृति के प्रति कवियों के अपनाए गए दृष्टिकोण को) व्यक्त किए।

मनुष्य की अन्तःप्रकृति पर विचार किया जा सकता है। शुक्लजी के ही शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की अन्तःप्रकृति जहाँ भी व्यक्त होगी, वहाँ हृदय मुक्त होगा। अन्तःप्रकृति के अंतर्गत मनुष्य

की सहज प्रवृत्तियाँ आती हैं। सहज प्रवृत्तियाँ आवेगों के द्वारा अभिव्यक्त होती रहती हैं। इस अभिव्यक्ति पर सम्यता का आवरण है। सम्यता के कारण हृदय बद्ध है। मनुष्य के 'मूल रूप' और 'मूल व्यापार' (दोनों ही शब्द शुक्लजी के ही हैं) को काव्य का आलवन बनाना या इन रूपों पर 'और और लक्ष्यों की' जो स्थापनाएँ होती गई हैं, उन लक्ष्यों से मुक्त होकर हृदय की वृत्तियों से (मनुष्य की अन्तःप्रकृति से) सीधा संबंध रखनेवाले रूपों और व्यापारों का प्रत्यक्ष करना मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उद्घाटन करना है। इस उद्घाटन में ब्राह्म्य-प्रकृति का सामंजस्य हो, ऐसा शुक्लजी का आग्रह है। इस दृष्टि से शुक्लजी ने अपनी अभिरुचि (साहित्यिक अभिरुचि) के अनुकूल जो उदाहरण दिए हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं :-

- १) सुनि सीतापति सील सुभाउ ।
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर साउ ।
(पृ. ४२ 'श्रद्धा-भक्ति' निबंध और पृ. २०३ 'तुलसी का भक्ति-मार्ग' निबंध)
- २) मानुष हो तो वही 'रसखान' बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन ।
ओ पसु हो तो कहा बस मेरो चरौं नित नंद के खनु मझारन ।
पाहन हीं तो वही गिरि को, जो किए-हरि लख पुरदर-धारन ।
जी खग हो तो बसेरो करौं मिलि कालिंदी कूल कथंब के डारन ।
(पृ. ४१ 'श्रद्धा-भक्ति' निबंध)
- ३) बा निरमोहिनि रूप की रामि जऊ उर हेतु न ठानति हूँ वै है ।
बारहि बार बिलोकि घरी घरी सूरति तौ पहचानति हूँ वै है ।
ठाकुर या मन को परतीति हैं, जो पै सनेह न मानति हूँ वै है ।
भावत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष कै जानति हूँ वै है ।
(पृ. ८६ 'लोक और प्रीति' पृ. १६९, कविता क्या है ? निबंध)

यहाँ केवल तीन उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से पहला और तीसरा उदाहरण दो-दो स्थलों पर आए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि शुक्लजी को ये उदाहरण बहुत ही प्रिय हैं। रसवान वाला (दूसरा उदाहरण) उदाहरण भी शुक्लजी की रुचि का है।

इन उदाहरणों में मनुष्य की अन्तः प्रकृति का उद्घाटन हुआ है। प्रथम उदाहरण तुलसी की विनयपत्रिका का है। गोस्वामीजी राम के (अपने नायक-

आदर्श नायक-भगवान राम के) शील स्वभाव पर मुख्य हैं और तन्मय होकर मुदितावस्था में, पुलकित गात स्थिति में तन्मय जलपूरित हैं। गोस्वामीजी की जो स्थिति है (जिसे वे अनुभव कर रहे हैं), उस स्थिति में यदि (राम के शील स्वभाव को सुनकर या जानकर) कोई नहीं पहुँचता तो गोस्वामीजी ने कहा है, सो नर (वह मनुष्य) खेहर खाउ। एक प्रकार से ऐसे मनुष्य तुच्छ है। इतना कहने से बहुत समभव है कि इसे कोई 'कोरा उपदेश' मान ले और इन पंक्तियों में मनुष्य की अन्तः प्रकृति का दर्शन न करे। अन्तः प्रकृति का दर्शन करने के लिए 'शील' शब्द का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। 'सुनि-सीताप्रति शील सुभाउ' तुलसी की इस पंक्ति का 'शील' (शील) शब्द आचार्य शुक्ल ने पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त किया है (यद्यपि अर्थ वही है जो तुलसीदास को मान्य रहा है।) शुक्लजी ने 'शील दशा' की व्याख्या करते हुए लिखा है— 'किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने पर वह एक ही आलम्बन से बद्ध नहीं रहता। समय समय पर भिन्न भिन्न आलम्बन ग्रहण करता रहता है। यदि राग या लोभ प्रकृतिस्थ हो गया है तो वह किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति रति या प्रीति के रूप में परिमित न रहेगा, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को और लपका करेगा और अपने आश्रय को प्रेमी, रसिक अथवा लोभी, लपट अर्थात् लोक से कहलाएगा... (इसी तरह अन्य भावों के लिए भी उदाहरण दिए गए हैं) ...' ^१ इन उदाहरणों के पश्चात् 'शील दशा' की परिभाषा शुक्लजी इस रूप में लिखते हैं— 'भाव के इस प्रकार (इस प्रकार को समझाने के लिए इससे पूर्व का अर्थ लिखा गया है) प्रकृतिस्थ हो जाने की अवस्था को हम 'शील दशा' कहेंगे।' ^२ अब इस शील स्वभाव का उद्घाटन तुलसी के उक्त पद में (राम के शील स्वभाव का) हुआ है, उसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :-

सिसुपल तैं पितु मातु बंधू गुरु सेवक सचिव सखाउ।

कहत राम-बिबु-ब्रदन रिसौ है सपनेहुँ लख्यो न काउ।

(विनयपत्रिका पद संख्या १००)

राम का प्रकृत स्वभाव है 'सदैव प्रसन्न रहना और औरी को प्रसन्न रखना।' राम किसी पर क्रोध नहीं करते। उनका यह भाव उनके स्वभाव का प्रकृत लक्षण है। राम का यह सहज गुण है। इसे मनुष्य की अन्तःप्रकृति कह सकते हैं। उनके इस स्वभाव की घोषणा वे लोग करते हैं जो राम के साथ

१. रस मीमांसा-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ. १८२-१८३.

२. -वही पृ. १८३.

शंशावावस्था से हैं माता, पिता, बधु, गुरु, सेवक तथा सचिव इन में से किसी से भी पूछ लिया जाय कि राम का स्वभाव कैसा है ? राम को क्रोध कब आता है तो सभी एक मत होकर यह कहेंगे कि राम का चन्द्रवदन किसी भी समय क्रोध युक्त नहीं देखा गया। स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। आलम्बन बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आता। सब के साथ उनका व्यवहार समान है। इसी तरह राम के जीवन से अनेक प्रसंगों में राम के क्षील स्वभाव का वर्णन तुलसीदासजी ने उक्त पद में किया है। इस क्षील स्वभाव को सुनकर किसी का भी हृदय मुक्त हो सकता है, मन मुदित होगा, हृत्त पुलकित होगा और नयन जलपूरित होंगे। यह स्थिति हृदय के मुक्त होने की है मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उद्घाटन करनेवाला (प्रकृत स्वभाव को दिखलानेवाला) ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। नायक प्रभु रामचंद्र है, कवि कविकुलबूडामणि भोस्वामी तुलसीदास है और समीक्षक आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उदाहरण ऊपर देख लिया गया। रसखान-वाला दूसरा उदाहरण (मानुष हो तो) अन्तःप्रकृति के साथ बाह्य प्रकृति के सामंजस्य की दृष्टि से उत्तम उदाहरण है। इस उदाहरण में प्रकृति-वर्णन (बाह्य-प्रकृति का वर्णन) भी है। इस उदाहरण में रसखान की (कवि की) अन्तःप्रकृति का उद्घाटन हुआ है। रसखान हर स्थिति में कृष्ण (अपने प्रेमी रूप में—प्रेमलक्षणा—भक्ति कह सकते हैं) का साहचर्य चाहते हैं। साथ रहने में जो सुख है, वह सुख रसखान की आन्तरिक इच्छा (रसखान की अन्तःप्रकृति) का द्योतक है। वह रसखान के भाव की प्रकृत दशा है। सर्वे की चारों पक्तियों में प्रकृति के आलम्बन बदले हैं। 'मानुष', 'पशु', 'पाहन' और 'खग' ये चारों आलम्बन अलग अलग हैं। आलम्बन बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आता। भाव की प्रकृत दशा कृष्ण के साहचर्य से संबन्ध रखनेवाली है। यह प्रकृत दशा 'साहचर्य-सम्भूत रस' (शुक्लजी के शब्दों में) से संबन्धित है। प्रत्येक आलम्बन की स्थिति में प्रकृति का एक अलग वातावरण सामने आता है। यह वातावरण बाह्य-प्रकृति से संबन्धित है। इस बाह्य-प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का सामंजस्य दिखलाया गया है। इस सामंजस्य को शुक्लजी चाहते हैं। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि में यह उदाहरण ठीक बैठता है और उनकी साहित्यिक मान्यता के अनुरूप है।

तीसरा उदाहरण ठाकुर का है। यह उदाहरण दो स्थानों पर 'लोभ और प्रीति' निबंध में (वितामणि में ही) दिया गया है एवं 'कविता क्या है ?'

निबंध में। यह उदाहरण मनुष्य की अन्तःप्रकृति को समझने के लिए काफी अच्छा उदाहरण है। शुक्लजी ने इस उदाहरण को देने से पूर्व इस उदाहरण में व्यक्त मनुष्य की अन्तःप्रकृति को समझाया भी है। ठाकुर के इस सर्वे में 'प्रेम' की सहज अभिव्यक्ति है। सहज अभिव्यक्ति होने के नाते मनुष्य की अन्तःप्रकृति एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है। यह सहज अभिव्यक्ति सर्वे में बिंब रूप में है। शुक्लजी की इस सर्वे के संबन्ध में टिप्पणि यह है— "इस प्रवृत्ति (सर्वे में व्यक्त प्रवृत्ति) के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी, सान्निध्य या सम्पर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सान्निध्य या सम्पर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सान्निध्य या सम्पर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें भी सान्निध्य या सम्पर्क की इच्छा उत्पन्न न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खिंचते हुए मिल जाते हैं। इस अन्तर्यामि के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलाने के लिए न्योता देना है।" (पृ ८७) यह सारा विश्लेषण 'लोभ और प्रीति' निबंध में है, जब कि 'कविता क्या है?' निबंध में केवल यह लिखा गया है— "ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितर्क-व्यजना देखिए" (पृ १६९) कविता में पाए जानेवाले चमत्कारवाद का विरोध करते हुए, कविता का अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यजना से सम्बन्धित अथवा उन्होंने इसी सर्वे के रूप में प्रस्तुत किया है।

११

मनुष्य की अन्तःप्रकृति से सम्बन्धित तीन उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। इन में से दो उदाहरण (प्रथम दो उदाहरण) तो ऐसे हैं, जिन्हें शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता और नैतिक मान्यता दोनों दृष्टि से ठीक माना जा सकता है। तीसरा उदाहरण (ठाकुर का सर्वे) साहित्यिक मान्यता के अनुकूल है। इस उदाहरण को नैतिक मान्यता में स्थान मिलेगा ही, यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में हमें शुक्लजी के ऐसे उदाहरणों की खोज करनी है, जो उनकी नैतिक मान्यता के दायरे में न आने पर भी साहित्यिक महत्त्व रखने के नाते शुक्ल की समीक्षा में स्थान पा गए हैं।

शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि को समझने के लिए हमें उनके रीतिकालीन कविता के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण को देखना चाहिए। जहाँ


तक नैतिक मान्यताओं का प्रदान है, रीतिकालीन साहित्य शुक्लजी के नैतिक दायरे में नहीं आता। इस दृष्टिकोण को शुक्लजी ने स्पष्ट रूप से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र निबन्ध में व्यक्त कर दिया है। लिखा है— 'मूर और तुलसी आदि स्वच्छन्द कवियों ने हिन्दी कविता को उठाकर खड़ा किया ही था कि रीतिकाल के शृंगारी कवियों ने उसके पैर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था, नायिकाओं के पैरों में मखमल के सुखे बिछौने गड़ने लगे ... अदि आदि।' (पृ. १९७.) शुक्लजी के ये विचार शुक्लजी की नैतिक मान्यता को अधिक व्यक्त करते हैं, साहित्यिक मान्यता को अपेक्षाकृत इन पत्रियों में कम स्थान मिला है। साहित्यिक मान्यता की दृष्टि से यदि देखें तो शुक्लजी ने रीतिकाल के अनेक कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया है और उस मूल्यांकन को आज भी मान्यता प्राप्त है। कोई कृति या कोई कवि यदि समीक्षक की 'नैतिक मान्यता' के विपरीत हो तो उसके साहित्यिक महत्त्व को अस्वीकार कर देना समीक्षक के दायित्व से मुकर जाना है। हम देखते हैं कि शुक्लजी ऐसा नहीं करते। देव, बिहारी, मतिराम, घनानन्द, मदन, पद्माकर आदि रीतिकालीन कवियों के साहित्यिक महत्त्व को शुक्लजी ने स्वीकार किया है। इन सब से सम्बन्धित उदाहरण चिन्तामणि भाग १, में मिल जाएंगे। इन उदाहरणों में विवेचन का आधार साहित्यिक है। बिहारी के वियोग वर्णन का विरोध, साहित्यिक विरोध है। इसी तरह केगवदास का विरोध (रामचंद्रिका के उद्धृत अंशों का विरोध) भी साहित्यिक विरोध है। इस सुलना में ठाकुर और देव का समर्थन साहित्यिक समर्थन है।

१२

और अन्ततः यह कहना है कि एक आदर्श समीक्षक के गुण आचार्य शुक्ल में मिलते हैं। आदर्श गुण यह कि विपरीत विचारधारा से संबंध रखनेवाली रचनाओं का शुक्लजी ने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया और इस अध्ययन के उपरान्त ही उन्होंने अपना साहित्यिक निर्णय दिया। शुक्लजी ने किसी कवि या किसी रचना पर यों ही चलती सम्मति नहीं दी है। सच्चाई तो यह है कि जिन अंशों का खंडन शुक्लजीने किया है, उसका अध्ययन उन्होंने अधिक इमानदारी से किया है। इस अध्ययन में शुक्लजी को कवियों एवं कवियों की रचनाओं में साहित्यिक गुण भी मिले हैं। ऐसे गुणों की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। चिन्तामणि भाग १, में अनेक उदाहरण शुक्लजी की साहित्यिक मान्यता के विपरीत बैठनेवाले भी हैं। इन उदाहरणों को देने में शुक्लजी का एक उद्देश यह रहा है कि कविता के नाम पर (साहित्य के नाम पर) जो कुछ चल रहा है, जो प्रवृत्तियाँ प्रचलित रही

हैं और साहित्यिक मान्यताओं का भ्रम व्याप्त है वह दूर हो एक समीक्षक को अपनी साहित्यिक मान्यताओं की स्थापना के लिए प्रचलित साहित्यिक मान्यताओं का कड़ा विरोध करना पड़ता है। शुक्लजी ने समीक्षक के इस दायित्व को पूर्ण किया है। शुक्लजी की साहित्यिक मान्यताओं का उनकी नैतिक मान्यताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम विरोध हुआ है। आज भी एक आदर्श समीक्षक के रूप में हमारी दृष्टि शुक्ल पर आकर स्थिर हो जाती है। हम उनसे मतभेद रख सकते हैं किन्तु उनकी साहित्यिक इमानदारी को बस्वीकार नहीं कर सकते।

४. सिद्धान्त और व्यवहार



४. सिद्धान्त और व्यवहार

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'आचार्य' कहलाते हैं। उनका आचार्यत्व काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में उनकी सैद्धान्तिक मान्यताओं के कारण ख्यात है। इस आचार्यत्व का विवेचन उनके द्वारा विवेचित सैद्धान्तिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इन मान्यताओं पर उनके मौलिक चिन्तन की छाप है। साथ ही अपने चिन्तन के अनुरूप शास्त्रीय विवेचन करने के उपरान्त उस चिन्तन के व्यावहारिक बरातल पर पहुँच शास्त्र की गहरी छान-बीन भी शुक्लजी करते चलते हैं। शुक्लजी का आचार्यत्व केवल शास्त्र निर्माण तक ही सीमित नहीं है। वह शास्त्र के व्यावहारिक पहलुओं को लेकर चलने वाला भी है। काव्यशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों का व्यावहारिक पक्ष शुक्लजी की दृष्टि में जो रहा है, उसका विवेचन नीचे किया जा रहा है। यह विवेचन 'चिन्तामणि भाग १' के आधार पर ही किया जा

चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों के शीर्षकों को ध्यान से देखें तो कुछ निबन्ध काव्य शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले दिखलाई देंगे। इस प्रकार के निबन्धों में (१) कविता क्या है?, (२) काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था (३) साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद और (४) रसात्मक बोध के विविध रूप। ये चारों ही निबन्ध इसी प्रकार के (काव्यशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले) प्रतीत होंगे। अन्य निबन्धों पर भी शास्त्रीय विवेचन की छाप है।

इन चारों निबन्धों में 'कविता क्या है?' का विवेचन पीछे हो चुका है। दूसरा निबन्ध 'काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था' का सम्बन्ध काव्य के सैद्धान्तिक (शास्त्रीय) पक्ष से उतना नहीं है, जितना काव्य के नैतिक पक्ष से है। सैद्धान्तिक दृष्टि से सब से अधिक प्रौढ़ निबन्ध 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' है। 'रसात्मक बोध के विविध रूप' को इस निबन्ध के उपरान्त स्थान दिया जा सकता है।

काव्यशास्त्र सम्बन्धी इन निबन्धों को देखते समय एक बात जो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है, वह यह है कि शुक्लजी का शास्त्रीय चिन्तन व्यवहार से सिद्धान्त की ओर बढ़नेवाला है, सिद्धान्त से व्यवहार की ओर नहीं। किसी स्थिर सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए शुक्लजी ने दीर्घकाल तक चिन्तन किया है। व्यावहारिक रूप से जिस बात को उनका हृदय स्वीकार करता रहा है, उसके लिए बौद्धिक आधार खोजने में शुक्लजी ने लम्बे समय तक मनन और चिन्तन किया है। इसके प्रमाण में 'कविता क्या है?' निबन्ध, सब से अच्छा उदाहरण है। १९०९ ई. में लिखे गए इस निबन्ध और १९३९ ई. में इसी निबन्ध के सशोधित रूप को देखने से यह बात तत्काल समझ में आ जाएगी।^१ १९०९ ई. वाले निबन्ध में व्यावहारिक पक्ष अधिक है जब कि १९३९ ई. वाले उसी निबन्ध में सैद्धान्तिक पक्ष को प्रथम स्थान मिला है और बाद में व्यावहारिक पक्ष आया है। इससे पता चलता है कि दीर्घ काल तक कविता पढ़ते-पढ़ते (कविता का रसग्रहण करते-करते) शुक्लजी

१. 'कविता प्रयोजन और आवश्यकता' - अध्याय में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है।

कविता के सम्बन्ध में चिन्तन करते रहे हैं। अपने चिन्तन के लिए उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का आधार ग्रहण किया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि शुक्लजी का आधार पारम्परिक रूढ़ रूप में नहीं है। रीतिकालीन शास्त्रीय परम्परा से हिन्दी को मुक्त कर हिन्दी को नया शास्त्रीय आधार शुक्लजी ने प्रदान किया है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि, संस्कृत काव्यों के आधार पर निर्मित हुई है; किन्तु हिन्दी काव्यों में भी (विशेष रूप से तुलसी, सूर, जायसी आदि) उनकी अभिरुचि का संस्कार किया है। कहना यह है कि साहित्यिक अभिरुचि के संस्कार के बाद, शुक्लजी ने, साहित्य का शास्त्रीय चिन्तन किया है। इस चिन्तन में उन्होंने साहित्य (काव्य को) को प्राथमिकता दी है और शास्त्र को इसके अनन्तर स्थान दिया है। इस तरह से शास्त्र को स्थान देने में (अपने शास्त्रीय विवेचन में) उन्होंने अपने साहित्यिक अनुभव (रसग्रहण शक्ति) का बार-बार शास्त्र से सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इस प्रयास में शुक्लजी अन्य आचार्यों से मतभेद रखते हुए प्रतीत होते हैं। अन्य आचार्यों की मान्यताओं को अपने साहित्यिक अनुभव के आधार पर परखते जाते हैं (शास्त्र के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते जाते हैं) और जब इस परख में कोई आचार्य उनके अनुभव से मतभेद रखता प्रतीत होता है तो शुक्लजी इस मतभेद को बखूबी व्यक्त कर देते हैं। शास्त्रीय 'गडबड़झाला' को शुक्लजी पसन्द नहीं करते। जैसे देखा जाय या मन्त्र कहा जाय तो शुक्लजी, काव्य-शास्त्र का योजनाबद्ध ग्रंथ नहीं लिखते। उनका उद्देश्य ऐसा प्रतीत नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि अपने साहित्यिक अनुभव को शास्त्रीय मान्यताओं के अनुकूल परखने का शुक्लजी ने प्रयास किया है। इस प्रयास में अन्य आचार्यों से उनका मतभेद हो गया। इस मतभेद को व्यक्त करते समय अपने चिन्तन के अनुरूप शुक्लजी ने जगह जगह अपनी निजी सम्मतियाँ दी हैं। ये सम्मतियाँ काव्यशास्त्र की (संस्कृत काव्यशास्त्र की) शब्दावली को अपनाते हुए दी गई हैं। इस शब्दावली में शुक्लजी ने (अपने अनुभव-साहित्यिक-अनुभव-के अनुरूप) सम्बोधनात्मक प्रस्ताव रखे हैं। शब्द वे ही हैं, अर्थ उनका अपना दिया हुआ है। यों कहना चाहिए कि शास्त्रीय शब्दों-पारिभाषिक शब्दों-को वैज्ञानिक आधार देते हुए शुक्लजी अपने चिन्तन के अनुरूप शास्त्र का संस्कार करते चलते हैं। इस शास्त्रीय संस्कार में उनके मौलिक विचार घुलमिल गए हैं। इनको अलग करना कठिन कार्य है। इनको अलग करने से ही हम शुक्लजी के आचार्यत्व की मीमांसा ठीक अर्थों में कर सकते हैं। यद्यपि यह कार्य बहुत कठिन है किन्तु एक दो उदाहरणों के आधार पर इस कथन को प्रमाणित करने का प्रयास नीचे किया जा रहा है।

शुक्लजी का शास्त्रीय चिन्तन उनकी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित है। समाज का शुभ और मंगल उनके शास्त्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से है। अतः शुक्लजी के शास्त्रीय विवेचन में शुक्लजी का नैतिक दृष्टिकोण अपने आप गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही यह विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

४

जैसे कि पहले ही कह दिया गया है कि शास्त्रीय दृष्टि में सब से प्रौढ निबन्ध 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' निबन्ध है। इस निबन्ध में भ्रान्तिकारो से सज्जित निबन्धों, 'कविता क्या है?', 'रसात्मक बोध के विविध रूप' और 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' निबन्ध का उपयोग है। दूसरे सब निबन्धों का शास्त्रीय चिन्तन इस निबन्ध में स्थान पा गया है। निबन्ध पूर्णतः मौलिक है और शुक्लजी के आचार्यत्व को समझने के लिए सब से उत्तम है। अपनी मौलिक स्थापनाओं में शुक्लजी संस्कृत काव्यशास्त्र का उपयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखते जाते हैं, जिससे पता चलता है कि शुक्लजी नई बात नहीं कह रहे हैं। जैसे शुक्लजी का यह वाक्य है—'इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।' (पृ २२७) इस वाक्य में 'हमारे यहाँ' शब्द यह कहता है कि यह कथन नया नहीं है, भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से (हमारे काव्यशास्त्र की दृष्टि से) यह बात कही जा रही है। इस तरह से कहने पर भी कथन में शुक्लजी की मौलिकता है। इस मौलिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। साधारणीकरण की परिभाषा शुक्लजी ने इस प्रकार दी है :-

'किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य-शांतीय आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुननेवाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति

नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।' (पृ. २२७)।

इन परिभाषा में सब से पहले यह बात कही गई है कि श्रोता और पाठकों के मन में भाव होने हैं। पहला वाक्य ही श्रोता या पाठक को भावात्मक सत्ता को व्यक्त करनेवाला है। यह भावात्मक सत्ता, मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाली होती है। प्रथम वाक्य में ही शुक्लजी ने बहुत ही आगे एक साथ समेट ली है। 'किसी काव्य का श्रोता या पाठक' कहकर प्यान श्रोता और पाठक पर केन्द्रित किया गया है। अर्थात् शुक्लजी श्रोता और पाठकों के सम्बन्ध में बल देकर कह रहे हैं। साधारणीकरण श्रोताओं और पाठकों में होता है। अतः श्रोताओं और पाठकों के संबन्ध में बल देकर कहा गया है। पाठक और श्रोता किसके? उत्तर होगा 'काव्य के'। (यहाँ काव्य को समझने के लिए 'कविता क्या है' निबन्ध में शुक्लजी ने जो लिखा है, उसी धारणा के अनुसार काव्य का अर्थ किया जाय) 'काव्य के श्रोता और पाठक' के बाद 'जिन विषयों को मन में लाकर' कहा गया है। कौनसे विषय? और कौन मन में लाते हैं? उत्तर होगा, काव्य के विषय और मन में लानेवाला पाठक और श्रोता होगा। काव्य के विषय ('कविता क्या है?' निबन्ध में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। इन विषयों का शुक्लजी ने बर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है।) को श्रोता या पाठक मन में लाता है। 'साधारणीकरण' काव्य के विषय का होता है। इसे आलम्बन कहा गया है। यहाँ काव्य के विषय का अर्थ आलम्बन के रूप में लिया जा सकता है। संक्षेप में काव्य के विषय हुए आलम्बन तथा श्रोता और पाठक हुए आश्रय। आश्रय कहा गया है—'रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों का अनुभव करता है,' (भावों और मनीषिकारों वाले निबन्धों में शुक्लजी ने इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है।) यहाँ मरल अर्थ यह है कि काव्य के विषय, काव्य के श्रोता और पाठक के मन में भाव आने है। शुक्लजी ने श्रोता और पाठक पर वाक्य में बल दिया है इसलिए वाक्य श्रोता और पाठक के दृष्टिकोण को अधिक व्यक्त करता है। इस अर्थ में यह कहा भी गया है। श्रोता और पाठक काव्य के विषयों को मन में लाकर रति आदि भावों का अनुभव करता है। एक प्रकार से साधारणीकरण की भूमिका शुक्लजी ने इस वाक्य-खण्ड में प्रस्तुत कर दी है। आगे शुक्लजी लिखते हैं—'वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते। मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं।'

यहाँ 'वे' सर्वनाम महत्त्वपूर्ण है। वे क्या? उत्तर होगा, वे भाव। कौनसे भाव? उत्तर होगा, जिन्हें श्रोता या पाठक काव्य के विषयों के कारण मन में लाकर अनुभव करते हैं, वे भाव। आगे कहा गया है—'अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते, मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं।' इस कथन से साधारणीकरण सिद्धान्त का एक पहलू स्पष्ट हो जाता है। वे भाव, पाठक और श्रोता, काव्य के विषयों को मन में लाकर अनुभव करते हैं, उनका यह अनुभव उनका अकेले का अनुभव नहीं होता, यह अनुभव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाला होता है। एक प्रकार से यह सारा कथन साधारणीकरण की स्थिति को सैद्धान्तिक रूप से स्पष्ट करनेवाला है।

आगे का वाक्य है—'इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्ही भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं: यहाँ, 'इसी से' की व्याख्या फिर करनेकी आवश्यकता नहीं। 'इसी से' के भीतर पहला वाक्य—बोध समेट लिया गया है। अब यह कहा गया है कि 'उक्त काव्य को' (यहाँ उक्त काव्य का अर्थ, वह काव्य है, जिसे श्रोता या पाठक मन में लाकर अनुभव करते हैं।) एक साथ पढ़ने या सुननेवाले (पढ़नेवाले पाठक होंगे और सुननेवाले श्रोता होंगे) सहस्रों मनुष्य (मनुष्य मात्र कह सकते हैं) उन्हीं भावों या भावनाओं को (वे भाव जिनकी व्याख्या पहले वाक्य की व्याख्या करते हुए दी गई है) थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। इस थोड़ा या बहुत की व्याख्या विस्तार से अपेक्षित है और इसी पर मतभेद की संभावना है। इस मतभेद की संभावना से शुक्लजी सजग हैं इसलिए उन्होंने 'थोड़ा या बहुत' शब्द सोच समझकर ही रखा है। सब लोग (मनुष्य मात्र) एक ही प्रकार का अनुभव करे, यह तो आदर्श स्थिति है। इस स्थिति तक पहुँचना लक्ष्य है और सैद्धान्तिक स्थापना का आदर्श है। शुक्लजी इस दृष्टि से अपनी बात कहते हैं कि काव्य का एक (कोई) पाठक या श्रोता काव्य के विषय को मन में लाकर विषयानुसार भावों को (रति आदि) मन में अनुभव करता रहता है, उसको यदि दूसरा भी मन में (दूसरा पाठक या श्रोता, उसी काव्य के भाव को) लाकर अनुभव करता है तो दोनों का अनुभव कहाँ तक मेल खाएगा? दो ही क्यों? सख्या बढ़ सकती है और मनुष्य मात्र को यह अनुभव किस रूप में हो सकता है?, यह प्रश्न है। शुक्लजी कहते हैं कि सभी श्रोताओं और पाठकों का यह अनुभव 'थोड़ा-बहुत' अनुभव, समान रूप से संभव है। अब यह अनुभव जिस हद तक या जिस सीमा तक सब लोगों को समान रूप से होगा, उस हद

तक या उस सीमा तक की स्थिति को साधारणीकरण की स्थिति कहा जा सकता है।

भूमिका स्पष्ट करने के बाद शुक्लजी साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए कहते हैं 'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की शक्ति नहीं आती।' इस वाक्य का विश्लेषण विस्तार की अपेक्षा रखता है। इसके आधार पर ये उपपत्तियाँ कही जा सकती हैं :-

- (१) साधारणीकरण भाव का होता है।
- (२) साधारणीकरण का अनुभव पाठक या श्रोता करते है।
- (३) यह अनुभव (भाव का अनुभव) काव्य के विषय के आधार पर होता है।
- (४) काव्य का विषय आलम्बन होता है।
- (५) यह आलम्बन इस रूप में लाया जाय (काव्य का विषय इस रूप में लाया जा) कि सामान्यतः, वह सब के उसी भाव का आलम्बन हो।
- (६) काव्य का विषय (आलम्बन) सामान्यतः सब के भाव का आलम्बन होगा, तो उसमें रसोद्बोधन की शक्ति होगी।

अब इस विषय में इस तरह से कहा जा सकता है :-

“इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।” (यह शुक्लजी का वाक्य उसी तरह ही लिख दिया गया है, इस की व्याख्या की आवश्यकता नहीं।)

५

साधारणीकरण के सम्बन्ध में जो स्थापना शुक्लजी ने आरम्भ में प्रस्तुत की है; वह स्थापना सैद्धान्तिक है। सिद्धान्त रूप में यह कथन उचित प्रतीत होता है। इस स्थापना के बाद आगे का सारा निबन्ध हम पढ़ जाएँ तो कोई नई स्थापना नहीं मिलेगी। इस स्थापना के बाद शुक्लजी 'साधारणीकरण' सिद्धान्त की विशेषताएँ बतलाने है और पश्चात् इस सिद्धान्त के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते हैं। उनकी यह सीमासा सिद्धान्त की स्थापना से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इस सीमासा के बाद उन्होंने

इस सिद्धान्त के विपरीत व्यक्तिवैचित्र्यवाद का विवेचन किया है। वास्तव में 'व्यक्तिवैचित्र्यवाद' का विवेचन अपने आप में स्वतंत्र प्रतीत होने पर भी, वह साधारणीकरण की अनुपस्थित स्थितियों पर विचार करनेवाला है। इस तरह से काव्य के विषय (आलम्बन) का जो अनुभव पाठक-वृद्ध या श्रोता-वृद्ध करते रहते हैं, उसकी सभी वैकल्पिक स्थितियों (थोड़ा-बहुत अनुभव) पर शुक्लजी ने विचार किया है। इन वैकल्पिक स्थितियों-व्यक्तिवैचित्र्यवाद वाली स्थितियों-का वर्गीकरण भी शुक्लजी ने प्रस्तुत किया है। इन सब वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते समय शुक्लजी ने आचार्यों से-भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों से-अपना मतभेद भी व्यक्त किया है। मतभेद का एकमात्र कारण सिद्धान्तों के व्यावहारिक पहलुओं से है। पहले साधारणीकरण की स्थितियों पर और अनन्तर व्यक्तिवैचित्र्यवाद की स्थितियों पर शुक्लजी के अनुसार ही यह विवेचन नीचे किया जा रहा है।

६

साधारणीकरण और नैतिकता : शुक्लजी ने इस सिद्धान्त के साथ नैतिकता को कुछ इस रूप में जोड़ दिया है कि उसे अलग नहीं किया सकता। इस सम्बन्ध में उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

“ यह सिद्धान्त (साधारणीकरण वाला सिद्धान्त) यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक-हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है। ” (पृ. २२७)

यह आदर्श स्थिति है। 'लोक-हृदय' शुक्लजी का अपना शब्द है। साधारणीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप (मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता को प्रभावित करनेवाला, काव्य-काव्य का विषय सामान्यतः सभी के भावों का आलम्बन।) जो काव्य लिखा जायगा, उस काव्य में मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को पहचानने की शक्ति होगी। इस आधार पर शुक्लजी ने सच्चे कवि का लक्षण भी बतलाया है। सच्चा कवि वही है, जिसे 'लोक-हृदय' की पहचान होगी। और आगे शुक्लजी ने 'रस-दशा' को भी स्पष्ट किया है। 'लोक-हृदय' में लीन होने की दशा का नाम 'रस दशा' है। एक साथ इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) के आधार पर शुक्लजी ने इतने निष्कर्ष निकाले हैं। एक प्रकार से इन निष्कर्षों में सिद्धान्त के साथ नैतिक पक्ष जुड़ गया है। 'लोक-हृदय' की मीमांसा नैतिक-पक्ष के विवेचन के अभाव में नहीं की जा

सकती, आचार्य शुक्ल स्वयं इस सिद्धान्त के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते समय 'लोक-हृदय' की मीमांसा करते चलते हैं।

७

प्रथम अनुच्छेद में सिद्धान्त की स्थापना और अनन्तर उसके साथ नैतिक पक्ष जोड़ने के बाद शुक्लजी सिद्धान्त के व्यवहार पर विचार करने लगते हैं। उदाहरण दिया गया है। कुरूप और दुःशूल स्त्री पर किसी पात्र का (किसी काव्य में वर्णन) प्रेम हो सकता है, किन्तु ऐसी स्त्री का वर्णन करने से शृंगार रस का आलम्बन सञ्जा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति को शुक्लजी ने एक ध्वज नाम दिया है। इस वर्णन को शुक्लजी 'भाव-प्रदर्शक' कहते हैं। कारण यह है कि इस प्रकार का वर्णन (काव्य का विषय, आलम्बन) मनुष्य-मात्र के भाव का आलम्बन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विभाव-पक्ष कमजोर रहेगा। एक प्रकार से 'भाव-प्रदर्शक' साक्षारणीकरण की एक अपवाद स्थिति है। यह स्थिति सिद्धान्त का व्यवहार से मेल न खानेवाली स्थिति है।

इसके बाद सामान्य और विशेष (काव्य के विषय का) का अन्तर स्पष्ट किया गया है। शुक्लजी के अनुसार काव्य का विषय सदा 'विशेष' होगा, वह सामान्य नहीं हो सकता। किन्तु उस 'विशेष' विषय में जिस धर्म की प्रतिष्ठा होगी, वह सामान्य की होगी। इस विशेष और सामान्य का अन्तर स्पष्ट करते हुए शुक्लजी अर्थग्रहण और बिम्बग्रहण का अन्तर स्पष्ट करने लगते हैं (यह सब 'कविता क्या है?' निबन्ध में कह दिया गया है।) यहाँ उनका विशेष बल उस बात पर है कि बिम्बग्रहण (जो कि काव्य का एक लक्षण है) जब भी होगा 'विशेष' का ही होगा। इस प्रसंग को विस्तार से लिखते हुए अन्त में शुक्लजी ने अपना निर्णय इस प्रकार दिया है:-

“कल्पना में (पाठक या श्रोता के) मूर्ति तो विशेष ही की होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी, जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव की पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए, जिसकी व्याख्या आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साक्षारणीकरण आलम्बन अथवा धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है।”

(पृ. २१०)

प्रथम अनुच्छेद में साधारणीकरण सिद्धान्त की जो परिभाषा दी गई है उसमें शुक्लजी ने 'हमारे यहाँ' शब्द कहा था। किन्तु यहाँ ऊपर साधारणीकरण के व्यावहारिक पहलू पर विचार करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। विशेष और सामान्य का अन्तर और इस अन्तर के अनुसार पाठक या श्रोता के मन में व्यक्ति-विशेष की मूर्ति कल्पना में रहने पर भी सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा होना और यह सामान्य धर्म जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है और जिसके साक्षात्कार से श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही भाव का थोड़ा-बहुत उदय होता रहता है। यह सारा कथन शुक्लजी का अपना कथन है। शुक्लजी ने जिस बात पर विशेष बल दिया है, वह है— 'इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है।' (पृ. २३०) इस कथन की व्याख्या यों भी की जा सकती है कि आलम्बन तो विशेष रहता है और इस आलम्बनत्व धर्म (आलम्बन विशेष के सामान्य धर्म) को सामान्य कहा जा सकता है। साधारणीकरण सामान्य धर्म का होता है। यह सामान्य धर्म आलम्बन में प्रतिष्ठित रहता है।

८

शुक्लजी इस सिद्धान्त में एक और संशोधन अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने से पूर्व पुराने आचार्यों का उल्लेख करते हैं। इस सम्बन्ध में पुराने आचार्यों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जिस रूप में किया उस सम्बन्ध में शुक्लजी का मत है कि रस की अवस्थाओं पर आचार्यों ने पूर्णतः (व्यावहारिक दृष्टि से) विचार नहीं किया है। शुक्लजी लिखते हैं—

“साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भाव-व्यंजना करनेवाला पात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आलम्बन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता है और श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रस रूप में अनुभव करता है।” (पृ. २३०-२३१)

यहाँ पुराने आचार्यों का तात्पर्य भट्टनायक और अभिनवगुप्त से लिया जा सकता है। इन आचार्यों ने श्रोता और आश्रय के तादात्म्य का ही विचार किया है। शुक्लजी ने इन आचार्यों की तादात्म्यवाली स्थिति को स्वीकार किया है; किन्तु इसे स्वीकार करते हुए किस किस में तादात्म्य और किस बात का तादात्म्य, इसे, इन आचार्यों की तुलना में अधिक स्पष्ट किया है।

पहले ही अनुच्छेद में उन्होंने इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) को स्पष्ट करते समय 'हमारे यहाँ' शब्द कहा है। इससे तात्पर्य पुराने आचार्यों से ही है। इस स्थापना के समय में 'थोड़ा बहुत' शब्द शुक्लजी ने रखा है। यह उनका अपना संशोधन है। शुक्लजी की मौलिकता इस बात में है कि आचार्यों की तरह वे आश्रय (काव्य के आश्रय) और श्रोता के (या पाठक के) तादात्म्य को इस ढंग से आरंभ में स्पष्ट करते हैं जिससे आचार्यों की बात रख ली गई है और अर्थ शुक्लजी का अपना हो गया है। शुक्लजी के संशोधनों को क्रमशः नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

शुक्लजी ने आरंभ में 'काव्य के विषय' शब्द का प्रयोग किया है। (जिन विषयों को मन में लाकर)। इस प्रयोग से वे आश्रय और आलम्बन दोनों का (काव्य के आश्रय और काव्य का आलम्बन) एक साथ अर्थ लेते हैं। शुक्लजी के 'आलम्बन' का अर्थ अधिक व्यापक है। वह 'काव्य के विषय' के अर्थ का घोटक है। काव्य के भीतर पाए जानेवाले पात्रों में आश्रय और आलम्बन को अलग करना और फिर आश्रय के साथ श्रोता या पाठक का तादात्म्य दिखलाना, इस प्रकार का विश्लेषण पुराने आचार्यों का (भट्टनायक एवं अभिनवगुप्त) है। शुक्लजी ने 'काव्य का विषय' के अन्तर्गत काव्य के आश्रय एवं आलम्बन का समाहार कर दिया है। शुक्लजी 'काव्य के विषय' की श्रोता या पाठक का आलम्बन कहते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत में यह संशोधन शुक्लजी का अपना है।

शुक्लजी का दूसरा संशोधन (पुराने आचार्यों से मेल खाता हुआ होने पर भी) 'थोड़ा बहुत' अनुभव है। शुक्लजी 'तादात्म्य' शब्द का प्रयोग पुराने आचार्यों के संदर्भ में करते हैं। अपनी ओर से सतर्क रहते हुए वे विश्वास के साथ 'तादात्म्य' शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्यों कि शुक्लजी जानते हैं कि 'साधारण्य' का व्यावहारिक रूप में समझना कठिन है। शुक्लजी ने आचार्यों की भावना (तादात्म्य की भावना को) को स्वीकार किया है। इस को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि 'काव्य को एक साथ पढ़नेवाले (पाठक) या सुननेवाले सहजों मनुष्य (श्रोता) उन्हीं भावों (काव्य के विषय से सम्बन्धित) या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं।' (पृ. २२७) इस 'थोड़ा बहुत' की संभावना के बाद शुक्लजी 'सामान्यतः' शब्द के उसी भाव का आलम्बन कहते हैं। 'थोड़ा बहुत' के बाद की यह दूसरी स्थिति है और इस स्थिति में भी 'सामान्यतः' शब्द का प्रयोग है। शुक्लजी के कथन में संभावना व्यक्त हुई है। जैसे 'अनुभव कर सकते हैं' एवं 'उसी भाव का आलम्बन हो सके' ये दोनों ही कथन संभावना के हैं। संभव

स्थितियाँ होंगी तो रसोद्बोधन होगा और रसोद्बोधन होगा तो साधारणीकरण होगा। शुक्लजी के इस सभावना से युक्त कथन के कारण सिद्धान्त में व्यवहार का मार्ग खुला हुआ है। एक प्रकार से शुक्लजी का कथन लचीला है। भरत मुनि का यह कथन "विभावानुभाव व्यभिचारि सयोगाद्रसनिष्पत्ति" जैसे लचीला है, उसी तरह शुक्लजी के कथन में भी लचीलापन है।

शुक्लजी के 'सामान्यतः' शब्द का विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ 'सामान्यतः सब का' अर्थ मनुष्य मात्र का है। मनुष्य मात्र भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे शुक्लजी ने 'भावात्मक सत्ता' कहा है। यह भावात्मक सत्ता 'सामान्य' है। काव्य का विषय (आलम्बन) विशेष होगा किन्तु उसमें प्रतिष्ठित भावना 'सामान्य' होगी। इस तरह शुक्लजी ने सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप दिया है।

और सब से महत्वपूर्ण मौलिक स्थापना 'आलम्बनत्व धर्म' की है, क्योंकि साधारणीकरण सिद्धान्त का यह निष्कर्ष है। आलम्बन विशेष होने पर भी उस आलम्बन का धर्म सामान्य होगा और यह सामान्य धर्म मनुष्य मात्र को प्रभावित करनेवाला होगा।

इस तरह हम देखते हैं कि आचार्यों की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी शुक्लजी ने अपनी ओर से संशोधन किया है और यह संशोधन शुक्लजी की मौलिक स्थापनाओं को व्यक्त करनेवाला है।

यही नहीं, इस सिद्धान्त को शुक्लजी ने काव्य की कसौटी (परखने का मापदण्ड) के रूप में स्वीकार किया है। जहाँ-जहाँ, यह मान्य स्थितियाँ होंगी, वहाँ-वहाँ साधारणीकरण होगा। और जहाँ, साधारणीकरण सिद्धान्त से मेल खानेवाला काव्य होगा, वहाँ वह काव्य, उत्तम होगा और उसका रचयिता सच्चा कवि होगा।

पुराने आचार्यों के सिद्धान्त में संशोधित प्रस्ताव के बाद अपने कथन के अनुरूप व्यावहारिक स्थितियों पर शुक्लजी विचार करते हैं। पुराने आचार्यों ने रस की एक नीची अवस्था का वर्णन नहीं किया है, ऐसा शुक्लजी का कहना है। काव्य का विषय (आलम्बन) श्रोता या पाठक में ऐसे भाव भी जगा सकता है, जिसमें श्रोता या पाठक तादात्म्य की स्थिति (सामान्यतः उसी भाव को जगाए जो जीरो में जाग सकें) से हटकर स्वतंत्र रूप से शील-दृष्टा या प्रकृति-दृष्टा होने के अन्य प्रभाव ग्रहण करेगा।



शुक्लजी इसे भी रसात्मक मानते हैं किन्तु इस स्थिति को उन्होंने मध्यम कौटिकी रसात्मक स्थिति माना है।

९

शुक्लजी ने साधारणीकरण सिद्धान्त के साथ नैतिक पक्ष जोड़ दिया है। इस सम्बन्ध में 'शील' पर विशेष रूप से विचार किया गया है। साधारणीकरण की स्थिति से तादात्म्य जिसे आधार पर होता है, वह शील के आधार पर होता है। पाठक या श्रोता यदि तादात्म्य का (आलम्बनत्व धर्म के तादात्म्य का) अनुभव न करे और शील-दृष्टा मात्र रहे, इस स्थिति में भी तादात्म्य और तद्नुसार साधारणीकरण होता है। यह तादात्म्य कवि के अव्यक्त भाव के साथ होगा, ऐसा शुक्लजी का कहना है। यदि श्रोता या पाठक काव्य में वर्णित पात्रों के शील से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, तो निश्चित ही वह शील-वैचित्र्य का अनुभव करेगा। इस अनुभव की स्थिति में भाव अपरितुष्ट रह जायगा। इस प्रकार शुक्लजी साधारणीकरण की स्थितियों पर विचार करते समय साधारणीकरण का मापदण्ड, शील को मानते हैं। शील का तादात्म्य होता है तो साधारणीकरण होता है और तादात्म्य नहीं होता तो साधारणीकरण नहीं होता। यही पर आचार्यों से (पुराने आचार्यों से) सहमत होने हुए कहा गया है कि आश्रय के साथ तादात्म्य-दशा की अनुभूति रस की अनुभूति है। इस रस की अनुभूति को शील विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति से अलग माना गया है। रस वाली स्थिति में श्रोता या पाठक अपनी सत्ता का कुछ अर्थों के लिए विसर्जन करता है, जब कि शील विर्षा के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति के समय पाठक या श्रोता अपनी सत्ता अलग से संभाले रखेगा। शुक्लजी यह भी मानते हैं कि रसमग्न स्थिति के आगे-पीछे (उदात्त-वृत्तिवाले आश्रय की स्थिति में) पाठक या श्रोता आश्रय की भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को अलग कर आश्रय के शील-सौन्दर्य की भावना कर सकेगा। ऐसी स्थिति में आश्रय के शील-सौन्दर्य की भावना पाठक या श्रोता के लिए आलम्बनत्व होगी। इस स्थिति में आश्रय के प्रति (जो अब आलम्बनत्व है) पाठक या श्रोता के मन में श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी।

संक्षेप में यों कह सकते हैं कि शुक्लजी आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, इस मान्यता पर दृढ़ हैं। इस मान्यता के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते समय आश्रय के साथ तादात्म्य (जिसे आचार्यों ने रस कहा है) की स्थिति को भी साधारणीकरण मानते हैं और यदि आश्रय स्वयं पाठक

या श्रोता का आलम्बन हो, तो इसे भी साधारणीकरण की स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। इन दोनों स्थितियों को उन्होंने दो भिन्न कोटि की रसानुभूतियाँ मानी है। पुराने आचार्यों ने इन दोनों कोटियों का इतना स्पष्ट अन्तर नहीं बतलाया। उनके अनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य वाली स्थिति (रस की स्थिति) ही साधारणीकरण की स्थिति (जिसमें पाठक अपनी सत्ता कुछ क्षणों के लिए विसर्जित कर दे) ही सकती है। जब कि शुक्लजी पाठक की स्वतंत्र सत्ता को आश्रय से अलग रखनेवाली स्थिति को, जिसमें आश्रय स्वयं पाठक या श्रोता का आलम्बन हो जाता है, भी स्वीकार करते हैं। यहाँ साधारणीकरण कवि के अव्यक्त भाव का होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि शुक्लजी के आलम्बन (काव्य के विषय) के अन्तर्गत आश्रय एवं आलम्बन दोनों का समाहार हो गया है।

१०

निबन्ध के उत्तर पक्ष में 'व्यक्तिवैचित्र्यवाद' का चिन्नेचन किया गया है। निबन्ध का यह भाग साधारणीकरण की वैकल्पिक स्थितियों को बतलानेवाला है। इस नामकरण का आधार 'शील वैचित्र्य' है। जहाँ तादात्म्य और साधारणीकरण नहीं होता, वहाँ वैचित्र्य की स्थितियाँ होंगी। शुक्लजी ने इस प्रवृत्ति को योरप की प्रवृत्ति माना है। साधारणीकरण की प्रवृत्ति को वे हमारे यहाँ की प्रवृत्ति मानते हैं। वैचित्र्यवाद की तीन वैकल्पिक स्थितियाँ बतलाई गई हैं। वे हैं - (१) आश्चर्यपूर्ण प्रसादन (२) आश्चर्यपूर्ण अवसादन और (३) कुतूहल मात्र। इन तीनों ही स्थितियों में पाठक या श्रोता शील-वैचित्र्य (इसे अन्तःप्रकृति वैचित्र्य भी कहा गया है।) का अनुभव करेंगे। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से शुक्लजी सहमत नहीं हैं।

शील, किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने की घटा का नाम है। काव्य के विषय में जिस भाव की प्रतिष्ठा होगी (काव्य में वर्णित पात्रों का जो शील होगा) यदि वह भाव सामान्यतः सब के भावों का आलम्बन होता है तो साधारणीकरण होगा। शील-वैचित्र्य में सामान्यतः काव्य में वर्णित पात्रों में प्रतिष्ठित भाव (शील) सब के भावों का आलम्बन नहीं होगा। यह स्थिति, वैचित्र्य की स्थिति है। सांख्यिकी चरम सीमा की स्थितियों का चित्रण आश्चर्यपूर्ण प्रसादन होगा और तामसिकी चरम सीमा का चित्रण आश्चर्यपूर्ण अवसादन होगा। भरत, पहली स्थिति का उदाहरण है और मिहिरगुल दूसरी स्थिति का उदाहरण है। ऐसी अद्वितीय प्रकृति जो किसी वर्ग-

विषय में न आए, जिसे 'नूतन सृष्टि' ही कहा जा सकता है, इसके साक्षात्कार से कुतुहल भाव होगा। इस सम्बन्ध में डटन महोदय का शुक्लजी खण्डन करते हैं। डटन के मत में शुक्लजी सहमत नहीं हैं। डटन ने निरपेक्ष दृष्टि को काव्य की उच्चतम दृष्टि ठहराया है। इसके लिए शोकसपिञ्जर के हैमलेट का उदाहरण दिया है। शुक्लजी इस उदाहरण की स्थितियों पर विचार करते हैं और कहते हैं कि यह उदाहरण व्यंग्य-विशेष के भीतर आ जाता है। जैसे शुक्लजी यह मानते हैं कि काव्य का विषय सदा 'विशेष' होगा उसी तरह यह भी मानते हैं कि पात्रों का चरित्र-चित्रण सापेक्ष होगा, नर-प्रकृति के अनुकूल होगा। 'नूतन सृष्टि निर्माणवाली कल्पना' का शुक्लजी विरोध करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को वे योरप की प्रवृत्ति मानते हैं और कहते हैं कि यह प्रवृत्ति अब भारत में भी चल रही है। अन्तर है तो इस बात में कि भारत में इस प्रवृत्ति को शास्त्रीय आधार नहीं मिला है। भारत में इसका प्रचलन अर्थवाद के रूप में ही है। इसा सदम में शुक्लजी 'व्यक्तिवाद' का उल्लेख करते हैं। यह 'व्यक्तिवाद' पुनरुत्थान काल (योरप में) का मथकर निकाला हुआ रत्न है। निश्चित ही शुक्लजी इससे सहमत नहीं हैं। व्यक्तिवाद के बाद 'वाद' का (किसी भी वाद का) खण्डन करते हुए शुक्लजी लिखते हैं कि 'किसी भी वाद का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सार-सत्ता को ही धर जाता है।' (पृ. २२७)। इस तरह से शुक्लजी शील-वैचित्र्य की स्थितियों से उल्लेख पात्राणों को साहित्य के लिए उपादेय नहीं मानते।

११

साधारणीकरण और उसके बाद व्यक्तिवैचित्र्यवाद की स्थितियों पर विचार करने के बाद 'भिन्नता' और 'अभिन्नता' की चर्चा करते हैं। शुक्लजी मानते हैं कि लोक के बीच जहाँ बहून-सी भिन्नताएँ हैं, वहाँ अभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। इस अभिन्नता का सम्बन्ध मनुष्य की अन्तर्भूमियों से है। इन के आधार पर नर-समष्टि सामात्मक रूप में आबद्ध होती है। इसको शुक्लजी 'लोक-हृदय' के नाम से अभिहित करते हैं। शुक्लजी का 'लोक-हृदय' शब्द साधारणीकरण सिद्धान्त का आधार है। शुक्लजी लिखते हैं— 'लोक-हृदय की यह सामान्य अन्तर्भूमि (भिन्नता में अभिन्नता) परस्पर हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है।' (पृ. २३७) शील-वैचित्र्य की स्थितियों में भिन्नता में अभिन्नता का दर्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में काव्यनिक हृदय (लोक-हृदय से मेल न खानेवाला हृदय) निर्मित किए जाएंगे। शुक्लजी इसे 'लकड़ी-हृदय' कहते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा

जा सकता है कि जहाँ 'लोक-हृदय' की पहचान होगी, वहाँ साधारणीकरण होगा और जहाँ 'नकली-हृदय' दिखलाए जाएँगे वहाँ व्यक्तिवैचित्र्यवाद होगा । सारांश रूप में कहा गया है - 'सारांश यह कि हमारी वाणी भाव-क्षेत्र के बीच 'भेदों में अभेद' को ऊपर करती रही है और उनकी (योरपीय) वाणी झूठे-सच्चे विलक्षण भेद खड़े करके लोगों को चमत्कृत करने में लगी ।' (पृ. २३८-२३९).

और अन्त में योरपीय वादों को साहित्यिक फ़ैशन के रूप में बतलाते हुए, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अच्छा नहीं बतलाया गया है । शुक्लजी 'कल्पना' और 'व्यक्तित्व' की प्रवृत्तियों (साधारणीकरण से मेल न खाने के कारण) अच्छा नहीं मानते । इस सम्बन्ध में क्रोचे के 'अभिव्यञ्जनावाद' का खण्डन शुक्लजी ने किया है । निरपेक्षता को दूर तक बसीटने पर भी भावों की सत्ता अभिव्यञ्जना या उक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व रूप से क्रोचे को स्वीकार करनी पड़ी है । इस सारे विवेचन के बाद हिन्दी समालोचना की वर्तमान प्रवृत्तियों (शुक्लजी के समय की) को पाश्चात्य प्रभाव से युक्त दिखलाया गया । शुक्लजी चाहते हैं कि हिन्दी समालोचना इन प्रवृत्तियों से बचे । कोरी नवीनता केवल मरे हुए आन्दोलनों का इतिहास छोड़ जाय, तो छोड़ जाय, इससे कविता का स्वरूप नहीं खड़ा हो सकता । अन्त में योरप में वादों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वहाँ अब (शुक्लजी के समय में) वादों से मुक्त होकर लोग साफ हवा में आना चाह रहे हैं । वादी समझना (किसी वाद से युक्त माना जाना) अच्छा नहीं समझा जाता । इस तरह यह निबन्ध समाप्त हो जाता है ।

१२

ऊपर 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' निबन्ध का सार प्रस्तुत करते हुए शुक्लजी के अपने संशोधनों और मौलिक स्थापनाओं को स्पष्ट करने का (जैसे शुक्लजी ने समझा है) प्रयास किया है । यह बात स्पष्ट होती है कि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पर शुक्लजी का ध्यान रहा है । इसमें भी व्यवहार पर शुक्लजी का ध्यान अधिक रहा है । इसी आधार पर शुक्लजी सिद्धान्त की वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हैं । व्यावहारिकता की कसौटी, 'लोक-हृदय' की पहचान है । इस पहचान के आधार पर ही 'साधारणीकरण' और 'व्यक्तिवैचित्र्यवाद' का भेद दिखलाया गया है । शुक्लजी के सिद्धान्तों में 'लोक-हृदय' की पैठ है । यह पैठ शुक्लजी को प्राचीन आचार्यों से अलग कर देती है । अतः 'लोक-हृदय' शब्द को शुक्लजी

का शास्त्रीय ध्वद कहा जा सकता है । 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' शुक्लजी ने एक स्वतंत्र निबन्ध लिखा है, यह निबन्ध विशेष रूप से 'लोक-हृदय' के सम्बन्ध में शुक्लजी की मान्यता को स्पष्ट करनेवाला है । इस आधार पर शुक्लजी ने काव्य को दो विभागों में बाँटा भी है । (१) आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पथ को लेकर चलनेवाले काव्य और (२) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पथ को लेकर चलनेवाले काव्य । इस आधार पर 'लोक-मंगल' और 'लोक-रंजक' स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं । 'आनन्द की साधनावस्था' का काव्य 'लोक-मंगल' से सम्बन्ध रखनेवाला होगा और 'आनन्द की सिद्धावस्था' का काव्य 'लोक-रंजक' से सम्बन्ध रखनेवाला होगा । यह सारा विवेचन शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं को व्यक्त करनेवाला है । शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं पर अलग निबंध लिखा जा रहा है अतः यहाँ इतना ही समझ लिया जाय कि शुक्लजी का शास्त्रीय चिन्तन, शुक्लजी की मान्यताओं से प्रभावित है । अपनी नैतिक मान्यताओं के आधार पर शुक्लजी व्यावहारिक दृष्टि से सिद्धान्तों को परखते हैं और इस परखने में सिद्धान्तों में संशोधन भी करते चलते हैं । अपनी नैतिक मान्यताओं के आधार पर शुक्लजी सिद्धान्तों का खण्डन उनकी नैतिक मान्यताओं के खण्डन के आधार पर ही किया जा सकता है । यदि हम उनकी नैतिक मान्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनका विवेचन, चिन्तन, सिद्धान्तिक मण्डन आदि सब वैज्ञानिक प्रतीत होगा । अपने विवेचन को शुक्लजी ने बौद्धिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है ।

१२

इसी प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि शुक्लजी का आचार्यत्व उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है । लक्ष्य आचार्य होने का नहीं है । साहित्यिक समस्याओं का निदान खोजते-खोजते, उन्होंने काव्यशास्त्र में अपनी ओर से (प्राचीन मतों का समर्थन करते हुए ही) कुछ संशोधन किया है । यह संशोधन भी व्यावहारिकता के आधार पर (सिद्धान्तों को परखते समय) किया गया है । उनके इस कार्य ने ही उन्हें आचार्यत्व का पद प्रदान करने योग्य बना दिया है ।

१४

किसी भाषा का व्याकरण, उस भाषा का शास्त्रीय रूप है । व्याकरण में भाषा की आन्तरिक व्यवस्था के सिद्धान्त होंगे । इन सिद्धान्तों का निर्माण भाषा-विषयक बोध के आधार पर ही (तत् तन् भाषा-विषयक बोध) संभव है । अंगरेजी भाषा का व्याकरण जर्मन भाषा-भाषी उस समय तक नहीं लिख

सकता जब तक कि वह (जर्मन भाषी व्यक्ति) अंगरेजी पर अच्छा अधिकार नहीं कर लेता । 'भाषा बहता नीर' (विकसनशील) होने पर भी व्याकरण के कारण भाषा को स्थिर रूप प्राप्त होता है और वह समुन्नत स्तर तक पहुँच सकती है । यही स्थिति 'काव्यशास्त्र' की भी है । संस्कृत का 'काव्यशास्त्र' ही या अंगरेजी का 'काव्यशास्त्र' ही, काव्यशास्त्र सामान्य होने पर भी दोनों 'काव्यशास्त्रों' का अन्तर दोनों ही भाषाओं के साहित्य में किए गए चिन्तन का परिणाम है । चिन्तन में नवीनता उसी समय आ सकती है जब काव्यशास्त्र पर लिखनेवाला व्यक्ति 'काव्य' का रसास्वादन करनेवाला ही । रसानुभूति की पैठ (किसी भी भाषा के साहित्य में) के आधार पर ही साहित्यिक-चिन्तन में व्यावहारिकता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है और इसी प्रकार का चिन्तन सिद्धान्तों में परिष्कार भी ला सकता है । संस्कृत का काव्यशास्त्र, संस्कृत-साहित्य के चिन्तन का परिणाम है । उस चिन्तन के साथ, उस साहित्य की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी सम्बद्ध है । इसी तरह अंगरेजी (पाश्चात्य) का काव्यशास्त्र अंगरेजी साहित्य के चिन्तन का परिणाम है । यहाँ कहना यह है कि हिन्दी 'काव्यशास्त्र' का स्वतंत्र निर्माण उसी समय सम्भव है जब हिन्दी साहित्य को चिन्तन का आधार बनाया जायगा । संस्कृत के सिद्धान्तों (काव्यशास्त्रीय) अथवा यूरोपीय (अंगरेजी, फ्रेंच आदि काव्यशास्त्र के) सिद्धान्तों के साथ हिन्दी साहित्य (कविता, नाटक आदि) को परखने का परिणाम यह हो रहा है कि सिद्धान्तों पर ही ध्यान बना रहता है और व्यावहारिक रूप में सिद्धान्तों की परख नहीं हो पाती । हिन्दी काव्यशास्त्र के निर्माण के लिए हिन्दी साहित्य को आधार बनाना परम आवश्यक है । रीतिशालीन आचार्यों पर विचार करते समय आचार्य शुक्ल ने ही लिखा है :-

“ आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ । कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कविकर्म में प्रवृत्त हो जाते । काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खण्डन-मण्डन, नए-नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ । इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था । जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था । पद्य में किसी बात की सम्यक् मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क ही नहीं सकता ।... .. सारांश यह कि इन रीति-ग्रथों पर निर्भर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्य


ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए । ” १

इन पंक्तियों के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि समस्त रीतिकाल में 'आचार्यत्व' का आकर्षण बना रहने पर भी हिन्दी का स्वतंत्र 'काव्यशास्त्र' नहीं बन सका है। आचार्य शुक्ल के पूर्व का साहित्यिक-चिन्तन (आचार्य शुक्ल की ऊपर दी गई पंक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं तो) गंभीर रूप धारण नहीं कर सका है। आचार्य शुक्ल ने ही वास्तव में प्रथमतः गंभीर रूप से साहित्यिक चिन्तन किया है। यह ठीक है कि आचार्य शुक्ल को हिन्दी की तुलना में संस्कृत की रचनाएँ अधिक प्रिय थीं। किन्तु उन्हें हिन्दी में तुलसी, सूर, जायसी आदि कवि भा गए। इसी तरह हिन्दी की अनेक रचनाओं का (उनकी अभिरुचि के विपरीत रचनाओं का भी—केशव, कबीर आदि) भी उन्होंने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया है। अतः शास्त्रीय-चिन्तन (हिन्दी साहित्य के शास्त्रीय-चिन्तन) के लिए उनकी मनोभूमि तैयार हो गई। ऐसी स्थिति में संस्कृत काव्यशास्त्र को आचार्य शुक्ल परम्परा निर्वाह (खानापूर्ति के रूप में) के रूप में नहीं अपना सकते थे। संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का परिष्कार हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों के अनुरूप (व्यावहारिक दृष्टि से) होना आवश्यक था। आचार्य शुक्ल का चिन्तन (साहित्यिक-चिन्तन), संस्कृत काव्यशास्त्र की परम्परा को स्वीकार करते हुए भी हिन्दी साहित्य का बाना, लिए हुए है। हिन्दी साहित्य का यह बाना (जिसके कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से चिन्तन करना पड़ा है) उनका अपना है। यह माना जा सकता है कि शुक्लजी के साहित्यिक-चिन्तन पर तुलसी का नैतिक-श्रेय हावी है, पर है वह हिन्दी-साहित्य का साहित्यिक-चिन्तन। तुलसीदास के साहित्य को इतना व्यापक रूप इसके पूर्व किसी ने नहीं दिया है। कहना यह है कि शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य को चिन्तन का आधार बनाया है। उनका यह चिन्तन उनकी समीक्षाओं में ('हिन्दी साहित्य का इतिहास' में, अनेक कवियों की समीक्षाएँ लिखते समय) भी दिखलाई देता है। चिन्तामणि के निबन्धों में यह चिन्तन प्रायः शास्त्रीय—(व्यावहारिकता के आधार पर निर्मित)—है। इस चिन्तन को आचार्य शुक्ल ने आरम्भ से ही विश्वास के साथ लिखा है। इसलिए यह चिन्तन व्यावहारिकता का पुट लेते हुए भी सैद्धान्तिक रूप में दृढ़ भित्ति का रूप लिए हुए है।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (पंद्रहवां संस्करण)
पृ. २२६-२२७.

सिद्धान्तों को पहले लिखना और फिर उन सिद्धान्तों के व्यावहारिक पक्षों का उद्घाटन करना, चिन्तामणि के निबन्धों का उद्देश्य है। 'साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद' निबन्ध ही नहीं, अन्य निबन्धों में भी ('कविता क्या है?', 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' एवं 'रसात्मक बोध के विविध रूप') सैद्धान्तिक पक्ष को पहले स्थान मिला है। सिद्धान्तों को आरम्भ में देखने से यदि कोई घबरा जाय तो वह शुक्लजी के व्यावहारिक पक्ष को समझ नहीं सकेगा। शुक्लजी ने आचार्यत्व की दृष्टि से हिन्दी साहित्य को यदि कुछ दिया है तो वह व्यावहारिक पक्ष में ही दिया है। शुक्लजी के इस पक्ष को समझने के लिए हमें उनके सिद्धान्तों को (सिद्धान्तों में पाए जाने वाले पूर्वाग्रहों को भी) स्वीकार कर लेना पड़ता है। इस स्वीकृति के बाद ही हम उनकी व्यावहारिक समीक्षा का आनन्द ले सकते हैं।

५. भाषा और शैली



५. भाषा और शैली

चिन्तामणि भाग १, आचार्य रामन्द्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबन्धों का संग्रह है। हिन्दी गद्य की और विशेष रूप से गद्य में भी निबन्धों की यह उत्कृष्ट पुस्तक मानी गई है। इस पुस्तक की भाषा और शैली की कतिपय विशेषताओं का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

२

विषय की दृष्टि में चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। १. मनोविकारों से सम्बंधित निबन्ध (माद या मनो-विकार से श्लोष तक,) २. काव्यशास्त्र से सम्बन्धित निबन्ध (कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावलम्बा, साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्य-वाद और रसात्मक बोध के विविध रूप) और ३. समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तुलसी का भक्ति-मार्ग और मानस की धर्म-भूमि)।

इन सभी निबन्धों में आचार्य शुक्ल की भाषा में गरिमा, उदात्तता, दृढ़ विचार-धारा, अटूट आत्मविश्वास एवं पूर्णता का बोध है। भाषा में वैयक्तिक स्वर उभर कर आया है, जिसके कारण शुक्ल की शैली बन गई है। शुक्ल की भाषा में शुक्ल को (व्यक्ति को) देखा जा सकता है। व्यक्तिविशेष की भाषा में व्यक्ति को पहचानना व्यक्ति की शैली को पहचानना है। इस दृष्टि से शुक्ल की भाषा और शैली का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है।

३

आचार्य शुक्ल के निबन्ध विचारप्रधान कहे गए हैं। विचारों के लिए (अभिव्यक्ति की दृष्टि से) गद्य उत्तम विधा है। और गद्य में भी निबन्ध सर्वोत्तम विधा है। निबन्धों में किसी विषय से सम्बन्धित बन्धी हुई-शृङ्खला-बद्ध विचारधारा होती है। आदि से अन्त तक निबन्ध की भाषा में अंक क्रम होता है। इस क्रम में लेखक के विचारों का-विषय से सम्बन्धित-विश्लेषण होता है। निबन्ध का यह क्रम पहचानना और उस क्रम की पूर्णता को समझना निबन्धकार के व्यक्ति रूप को पहचानना है। अतः निबन्धकार की भाषा का विश्लेषण करने के लिए निबन्धकार के विचारों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

चिन्तामणि भाग १, के सभी निबन्धों का विश्लेषण यहाँ सम्भव नहीं अतः चिन्तामणि भाग १, के एक निबन्ध 'रसात्मक बोध के विविध रूप' को उदाहरण स्वरूप मानकर, शुक्ल की भाषा और शैली का विश्लेषण किया जा रहा है। इससे पूर्व भाषा की चिन्तामणि की भाषा की) कतिपय सामान्य विशेषताएँ बतलाई जा रही हैं।

विटगनेस्टाइन (Ludwig Wittgenstein) का कहना है - 'दर्शन एक आदर्श भाषा के निर्माण का प्रयास है। पदों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समुचित रूप से परिभाषित किया गया है तथा ऐसे वाक्यों से युक्त भाषा का जो बिना अस्पष्टता के उन तथ्यों का जिनका संदर्भ वे दे रहे हैं, एक तार्किक अङ्कण प्रकटाए। ऐसी पूर्ण भाषा आणविक तर्कवाक्यों पर आधारित रहनी चाहिए। मूलभूत दार्शनिक समस्या इन्हीं आणविक तर्कवाक्यों की रचना का विवरण देना है।' विटगनेस्टाइन के इस कथन के आलोक में शुक्ल की भाषा को

१. दर्शन के सौ वर्ष - जॉन पैसमोर - (अनुवादक : चादमल शर्मा तथा कलानाथ शास्त्री) - पृ. ५२६ तथा ५२७।

तमो प्रथम बाल यह दिखलाई देगो कि शुक्लजी की अपनी पारि-
 ब्दावली है। अपनी पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर उन्होंने एक
 या के निर्माण का प्रयत्न किया है। उक्त आदर्श भाषा में दर्शन (एक
 ब्यञ्जक) है।

जब या मनोविकारों से संबंधित निबंधों में एवं काव्यशास्त्र से
 संबंधों में पारिभाषिक शब्द अधिक आए हैं। समीक्षा संबंधी निबंधों में
 के शब्द अपेक्षाकृत कम हैं।

शुक्लजी द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली नीचे दी जा रही है -

पारिभाषिक शब्द	शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा	वितामणि भा. १, पृ. सं.
भाव या मनोविकार	माना शिष्यों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे भिन्न-भिन्न योग सघटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं।	१.
भक्ति	धर्म की रसात्मक अनुभूति है।	५.
उत्साह	साहसपूर्ण आनन्द की उमर का नाम उत्साह है।	६.
प्रयत्न	बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परम्परा का नाम ही प्रयत्न है।	१४.
कर्मण्य	कर्म में आनन्द करनेवाले ही का नाम कर्मण्य है।	१५.
श्रद्धा	किन्हीं मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण का शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्त्व का अनुभूति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का सञ्चार है।	१७.

क्र. सं.	पारिभाषिक शब्द	शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा	चिन्तामणि भा. १, पृ. म.
७	घृणा	अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करनेवाला जो दुःख होता है, उसे घृणा कहते हैं।	९७.
८.	भय	किसी आती हुई आपदा की भावना या दुःख के कारण के सक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तम्भकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं।	१२५.

अब तक जो शब्द दिए हैं (पारिभाषिक शब्दों के रूप में) उनका सम्बन्ध मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों से है। ऐसे शब्दों की सख्या अधिक है। विस्तार भय से सारे शब्द नहीं दिए जा रहे हैं। वैसे तो निबन्धों के शीर्षक को पारिभाषिक शब्द कह दिया जा सकता है क्योंकि ऊपर दिए गए उदाहरणों में सख्या २, ४ और ५ को छोड़ दें तो सभी शब्द निबन्धों के शीर्षक हैं। कहना यह है कि शुक्लजी अपने निबन्धों में शीर्षकों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। परिभाषा देने का प्रयास भाषा को एक आदर्श और निश्चित रूप देने का प्रयास है। बौद्धिक रूप से सजग लेखक शब्दों का तौल-तौल कर प्रयोग करता है और व्यर्थ के प्रयोगों से बचता है। शुक्लजी की भाषा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। परिभाषा देना 'शब्द' को निश्चित अर्थ प्रदान करना है। और यह अर्थ तार्किक आधार पर प्रदान करना है। जैसे कि विटगनस्टाइन ने कहा है—'पदों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समुचित रूप से परिभाषित किया गया है तथा ऐसे वाक्यों से युक्त भाषा का जो बिना अस्पष्टता के उन तथ्यों का जिनका संदर्भ वे दे रहे हैं, एक तार्किक आकार प्रकटाएँ।' हम देखते हैं कि शुक्ल की भाषा तार्किक है। इस का प्रमाण यह है कि शीर्षकों को निबन्ध के ही नहीं, निबन्ध के भीतर अनेक शब्दों को शुक्ल ने परिभाषित किया है। जैसे 'ईर्ष्या' निबन्ध में ईर्ष्या की परिभाषा तो मिलेगी ही किन्तु साथ ही साथ स्वर्धा, वैर, द्वेष, अभिमान आदि को परिभाषित करने का प्रयास है। इसी तरह अन्य निबन्धों में भी अनेको शब्द हैं, जिनको संदर्भ के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

कल की भाषा में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग है और वह प्रयोग क अर्थ में है । मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों की शब्दावली से काव्यशास्त्रीय निबन्धों की शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) : करे तो शुकल की भाषागत विशेषता स्पष्ट करने में सुविधा होगी । ए कि शुकल के मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धों पर विशेष प्रकाश डाला गया है और न उनका मूल्यांकन ही हुआ है । इस तुलना में रूप में शुकलजी की ख्याति प्राप्त है । उनकी काव्यशास्त्रीय शब्दा- भी मूल्य रखती है । इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं -

पारिभाषिक शब्द	शुकलजी द्वारा दी गई परिभाषा	चिन्तामणि भा. १ पृ. सं.
साधारणीकरण	जब तक किसी भाव का कोई विषय इस तरह नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्- बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है ।	२२७.
भाव-प्रदर्शक	रस रस के वर्णन में जब तक आल-म्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वर्णन भाव-प्रदर्शक मात्र रहेगा ।	२२७
भावना या कल्पना	जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है । साहित्यवाले हमी को 'भावना' कहते हैं और आजकल के लोग 'कल्पना' । यानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है ।	१६१. २४३.

इस तरह की शब्दावली की संख्या अधिक है। इस तरह के कुछ शब्द और दिए जा रहे हैं। जीना (पृ. १४१), जगत् (पृ. १४१), बद्ध-हृदय (पृ. १४१), मुक्त-हृदय (पृ. १४१), मुक्तावस्था (पृ. १४१), अर्थग्रहण (पृ. १४५), बिम्बग्रहण (पृ. १४५), साहचर्य-सम्भूत-रस (पृ. १५०), रागात्मक सत्त्व (पृ. १५१), सूक्ति (पृ. १५२), काव्यानुभूति (पृ. १५२), काव्यदृष्टि (पृ. १५६), मार्मिक तथ्य (पृ. १५७), मनुष्यत्व की उच्चभूमि (पृ. १६०-१६१), जाति-सकेतवाले शब्द (पृ. १७६), विशेष-व्यापार-सूचक-शब्द (पृ. १७६), वर्ण-विन्यास (पृ. १७९), नाद-सौन्दर्य (पृ. १७९), कार्य-बोधक शब्द (पृ. १८०), लोक-मगल (पृ. २१३), आनन्द की साधनावस्था (पृ. २१४), आनन्द की सिद्धावस्था (पृ. २१४), प्रयत्न-पक्ष (पृ. २१४), उपभोग-पक्ष (पृ. २१४), शील (पृ. २१८), सौन्दर्य (पृ. २१८) भाव-मण्डल (पृ. २२१), अन्तस्सज्ञा (पृ. २२१), बीजभाव (पृ. २२१), मगल-विधायिनी-प्रकृति (पृ. २२२), लोकपीड़ा (पृ. २२४), रसोद्बोधन (पृ. २२६), आलम्बनत्व धर्म (पृ. २३०), शील-दृष्टा (पृ. २३१), प्रकृति-दृष्टा (पृ. २३१), शील-वैचित्र्य (पृ. २३२), अपरितुष्ट भाव (पृ. २३२), अन्त प्रकृति-वैचित्र्य (पृ. २३३), आश्चर्यपूर्ण प्रसादन (पृ. २३३), आश्चर्यपूर्ण अवसादन (पृ. २३३), कुतूहल (पृ. २३३), निरपेक्ष-दृष्टि (पृ. २३४), अर्थवाद (पृ. २३६), अन्तर्भूमि (पृ. २३७), लोक (पृ. २३७) प्रत्यक्ष-रूप-विधान (पृ. २४३), स्मृति-रूप-विधान (पृ. २४३), कल्पित-रूप-विधान (पृ. २४३), रसात्मक अनुभूति (पृ. २४६), रस का लोकोत्तरत्व (पृ. २४७), विभावन-व्यापार (पृ. २४७), विशुद्ध-स्मृति (पृ. २५३), प्रत्यभिज्ञान (पृ. २५५), स्मृत्याभास कल्पना (पृ. २५७), लाक्षणिक प्रक्रिया (पृ. २७०), उपलक्षण या प्रतीक (पृ. २७०) ... आदि आदि.

इसी तरह अंगरेजी के पारिभाषिक (काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक) शब्दों का प्रयोग करते समय शुक्लजी ने उनका हिन्दी अनुवाद किया है। इन शब्दों का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए अंगरेजी का मूल शब्द भी साथ-साथ दिया गया है। इस प्रकार की शब्दावली नीचे दी जा रही है।-

हिन्दी शब्द	अंगरेजी शब्द	पृ. सं.
१. चित्रों	Imagery	१९७
२. परम्परायुक्त	Conventional	१९८
३. शक्तिकाव्य	Poetry as energy	२१४
४. कलाकाव्य	Poetry as an art	२१९

६. शिक्षावाद	Didacticism	२१८
६. चेतना का प्रकाश	Conscious	२२१
७. अन्तस्संज्ञा का क्षेत्र	Sub-conscious region	२२१
८. स्थिर	Static	२२४
९. गत्यात्मक	Dynamic	२२४
१०. चित्र	Images	२२८
११. विचार	Concept	२२८
१२. अभिव्यञ्जनावाद	Expressionism	२२८
१३. संकेत पक्ष	Symbolic aspect	२२९
१४. प्रत्यक्षीकरण-पक्ष	Presentative aspect	२२९
१५. निरपेक्ष दृष्टि	Dramatic or absolute vision	२३४
१६. पुनरुत्थान काल	Renaissance	२३६
१७. स्वच्छन्दता आन्दोलन	Romantic movement	२३८
१८. स्वयं-प्रकाश-ज्ञान	Intuition	२३९
१९. बुद्धि-व्यवसाय-सिद्ध ज्ञान या विचार-प्रशुत-ज्ञान	Logical knowledge	२३९
२०. अहं का विसर्जन	Impersonality	२४७
२१. निःसंगता	Detachment	२४७
२२. तटस्थ	Transcend	२५४
२३. व्यापक	Immanent	२५५

६

पारिभाषिक शब्दों का निर्माण (शब्दों को विशेष अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया) करना, दर्शन की भाषा (विचार-प्रधान) का निर्माण करना है। केवल शब्द ही नहीं (स्वतंत्र शब्द मात्र नहीं) समास (दो एवं दो से अधिक शब्दों से युक्त शब्द) विशेष अर्थों में—पारिभाषिक अर्थों में—शुक्लजी की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। इन सब शब्दों का चयन एवं उन सब का विश्लेषण करने से शुक्ल की भाषा की शक्ति का उद्घाटन हो सकता है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यह शुक्ल की भाषा की एक विशेषता है। अस्तु।

७

आश्चर्य शुक्ल की भाषा की एक और विशेषता यह है कि अपनी पारिभाषिक शब्दावली को शुक्लजी ने तार्किक आकार प्रदान (Logical

form) किया है। इस प्रकार की भाषा में आणविक तर्कवाक्य पाए जाते हैं। शुक्लजी के तर्कवाक्यों को समझने के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली को समझना आवश्यक है। शुक्लजी के अपने निश्चित विश्वास हैं। उनमें पाया जानेवाला यह विश्वासबोध उनकी भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है और इस विश्वास-बोध के कारण ही उनकी भाषा में दृढ़ता, स्पष्टता, निर्भिकता आदि गुण पाए जाते हैं। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी ने अपने विश्वासों को बौद्धिक आधार दिया। इस बौद्धिक आधार को तर्कवाक्यों के सहारे प्रस्तुत किया गया है। इन तर्कवाक्यों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हुआ है।

८

विश्वास-प्रणाली और वह भी किसी लेखक की विश्वास-प्रणाली लेखक के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती है। शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली पर स्वतंत्र निबन्ध लिखा जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में (भाषा और शैली पर विचार करने की दृष्टि से) इतना कहना काफी होगा कि शुक्लजी की विश्वास-प्रणाली में महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदर्श नैतिक बोध हैं। आज आचार्य शुक्ल का खण्डन होता है या उन्हें पुराना कह दिया जाता है, तो उसका एक कारण आज का नैतिक बोध बदल गया है। यह बात निस्संकोच कही जा सकती है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदर्श, नैतिक-बोध को उच्चतम बौद्धिक आधार (अपनी विश्वास-प्रणाली के कारण) एकमात्र आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि विश्वास पुराने हो जाने पर भी बौद्धिक आधार में (विश्वासों को प्रदान किया गया बौद्धिक आधार) ज्ञान का दमकता प्रकाश पाया जाता है। शुक्ल का यह प्रकाश भाषा की शक्ति का द्योतक है।

९

अब हम शुक्ल की विश्वास-प्रणाली से शुक्ल की भाषा में पाए जानेवाले तर्कवाक्यों का सम्बन्ध जोड़ें। यह सम्बन्ध जोड़ना यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी किंचित प्रयास किया जा रहा है।

डेविड ह्यूम ने लिखा है :-

‘यदि हम पूर्वानुभूति पर विश्वास रखकर तर्क में उतरें और पूर्वानुभूति को अपने भविष्यकालीन अनुमान का मापदण्ड समझें तो हमारे तर्क केवल

सम्भाव्य ही हो सकते हैं और उपरिनिर्दिष्ट विभाजन के अनुसार वे वस्तु एवं उनकी सत्ता तक ही सीमित रहेंगे। तथापि यदि हमारा विवरण ठीक और सन्तोषजनक है तो हम प्रकार के कोई तर्क ही नहीं सकते - वस्तु के अस्तित्व सम्बन्धी समस्त तर्कों का कारण भाव पर आधारित है और इस संबंध का ज्ञान केवल पूर्वानुभवजन्य होता है, और हमारे सारे प्रायोगिक निगमन इसी कारण पर अवलम्बित हैं कि भावों में दत्त के अनुरूप ही होगा। अब हम अन्तिम मान्यता को सम्भाव्य तर्कों अथवा सत्ता विषयक तर्कों द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा करना मण्डलाकार परिष्करण मात्र होगा। अथवा यह तो साध्य को ही सिद्ध मान लेना है।'

डेविड ह्यूम के इस कथन के संदर्भ में शुक्लजी की विश्वासप्रणाली का अध्ययन किया जा सकता है। इतना तो हम कह ही सकते हैं कि विश्वास पूर्वानुभूति और संस्कारों पर आधारित होते हैं। अतः इस आधार को लेकर यदि हम तर्क करेंगे तो परिणाम यही होगा, जो डेविड ह्यूम ने ऊपर बतलाया है, यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शुक्लजी जो कहते हैं, उस पर उनका पूर्ण विश्वास है। विश्वास और तर्क इन दोनों में प्रथम स्थान (शुक्लजी भाषा में) विश्वास को देना होगा। शुक्लजी के ये विश्वास पूर्वानुभूति और संस्कारों पर आधारित हैं। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि शुक्लजी के तर्क पूर्वानुभूत (विश्वास-प्रणाली की दृष्टि से) हैं। यों कहना चाहिए कि जो कुछ शुक्लजी कहते हैं, उस पर उनका विश्वास है और ये विश्वास ही उनकी भाषा को तार्किक रूप प्रदान करते हैं ऐसी स्थिति में शैली में आगमन पद्धति नहीं जा सकती। शुक्लजी प्रायः निगमन पद्धति या शैली में ही लिखते हैं। इस प्रकार की शैली के गुण दोष शुक्लजी की (भाषा में) विश्वास प्रणाली में मिल जाएंगे। प्रायोगिक स्तरों पर भी शुक्लजी आगमन का उपयोग (प्रायः) नहीं करते। ऐसे स्थलों पर भी वे निगमन का उपयोग करते हैं। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी की भाषा में उनका विश्वास आरंभ में ही दिखलाई देगा। पहले वे अपनी मान्यता को व्यक्त कर देंगे और बाद में वे उसे अल्पमकीय शैली में समझाते जाएंगे। शुक्लजी के तर्क उनके निबंधों में डेविड ह्यूम के शब्दों में मण्डलाकार होंगे।

१०

अब हम तर्कवाक्यों को देखें। इसे समझाने के लिए "रसात्मक बोध के विविध रूप" निबंध के प्रथम दो अनुच्छेदों को लिखा जा रहा है। इसमें अलग अलग वाक्य लिखे जा रहे हैं। बाद में उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

१. मानव बुद्धि सम्बन्धी विवेचन - डेविड ह्यूम - (अनुवादक : डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना) - पृ. ३१ और ३२.

प्रथम अनुच्छेद

वाक्य संख्या

वाक्य

१. संसार—सागर की रूप—तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसकी रूप—गति से उसके भीतर विविध भावों या मनो—विकारों का विधान हुआ है।
२. सौन्दर्य, माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही तिष्ठन्न हुई हैं।
३. हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं—इसी कारणों और फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही हैं।
४. जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं; जब हमारी वृत्ति अन्तर्मुखी होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं।
५. बाहर—भीतर दोनों ओर रहते हैं रूप ही।
६. सुन्दर, मधुर, भीषण या क्रूर लगनेवाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौन्दर्य, माधुर्य भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं।
७. सौन्दर्य की भावना जगना सुन्दर—सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का मन में आना ही है।
८. इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता भीषणता आदि की भावना भी रूप होकर मन में उठती है।
९. किसी की दयाशीलता या क्रूरता की भावना करते समय दया या क्रूरता के किसी विशेष व्यापार या दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार भावना तीव्र या मन्द होती है।
१०. तात्पर्य यह है कि मानसिक रूप—विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

द्वितीय अनुच्छेद

१. मन के भीतर यह रूप—विधान दो तरह का होता है।

या तो यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यों का त्यों प्रतिबिम्ब होना है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु—व्यापार—विधान।

प्रथम प्रकार की आभ्यन्तर रूप—प्रतीति स्मृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप—योजना या मूर्ति—विधान की कल्पना कहते हैं।

कल्पने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रकार के भीतर रूप—विधानों के मूल है प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप—विधान। अतः रूप—विधान तीन प्रकार के हुए।

- (१) प्रत्यक्ष रूप—विधान, (२) स्मृति रूप—विधान और (३) कल्पित रूप—विधान।

इन तीन प्रकार के रूप—विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने की शक्ति होती है कि वे रस कोटि में आ सकें, यही हम यहाँ दिखाना चाहते हैं।

कल्पित रूप—विधान द्वारा जागरित मार्मिक अनुभूति तो सर्वत्र रसानुभूति मानी जाती है।

प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं में रसानुभूति की कोटि में आ सकती है, इस बात की ओर ध्यान दिखाना इस लेख का उद्देश्य है। (पृ. २४२-२४३)

अब शैली का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रथम अनुच्छेद में दस और दूसरे अनुच्छेद में ९ वाक्य हैं। इन वाक्यों में यदि परस्पर वापित करें और साथ ही स्वतंत्र रूप से वाक्य के विधान पर विचार स्थिति स्पष्ट होती है।

प्रथम अनुच्छेद

प्रथम वाक्य में ही शुकलजी अपना विधान प्रस्तुत करते हैं अर्थात् वाक्य में 'कल्पना का निर्माण' कैसे हुआ? यह कहा गया है। यदि से पूछा जाय कि कल्पना का निर्माण कैसे हुआ? और साथ ही

मनोविकारों का विधान कैसे हुआ ? तो इन दोनों का उत्तर सटीक और स्पष्ट साथ ही बिना किसी लामलपेट के सीधा-सीधा (विश्वास के साथ) इस प्रथम वाक्य में है । प्रथम वाक्य में दो वाक्य हैं जो ' और ' अव्यय से जुड़े हुए हैं । इस वाक्य में विश्वास और तर्क दोनों को देखना चाहें तो विश्वास की मात्रा अधिक दिखाई देगी और विश्वास के अनुरूप तार्किक विधान प्रस्तुत किया गया है । इसे समझने के लिए इस प्रथम वाक्य को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख देंगे और फिर विचार करें, -

प्रश्न : कल्पना का निर्माण कैसे हुआ ?

उत्तर : ससार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण (हुआ है ।)

प्रश्न . मनोविकारों का विधान कैसे हुआ ?

उत्तर : और इसी की (कल्पना की) रूप-गति से उसके भीतर (मनुष्य के भीतर) विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है ।

इस तरह से यदि प्रथम वाक्य के प्रश्न बनाकर उत्तर देखें तो लगता है कथन कितना स्पष्ट है । कोई झिझक नहीं । विचार साफ है । फिर विश्वास भी व्यक्त हुआ है । वाक्य में ' ही ' शब्द ध्यान देने योग्य है । ' हो ' शब्द निश्चित विश्वास को व्यक्त करता है (विकल्प का प्रश्न नहीं उठता) । इसी तरह ' और इसी की ' पदसमूह में विश्वास दृढ़ होता हुआ दिखाई देता है । ' और ' केवल सम्बुच्य बोधक अव्यय नहीं, अपितु वह अपने में पिछले वाक्य की सारी शक्ति समेटने का काम करता है । पिछले वाक्य की शक्ति प्राप्त कर बाद का वाक्य और बलवान हो गया है । शुक्लजी ने मनोविकार को ही भाव माना है या यो कहिए कि दोनों शब्दों को एक अर्थ में प्रयुक्त किया है । इसीलिए ' भाव या मनोविकार ' लिखा है । अपने इस प्रथम वाक्य को ही शुक्लजी ने बाद के वाक्यों में विश्लेषित किया है ।

दूसरे वाक्य में पहला वाक्य निहित है । यहाँ भावों या मनोविकारों को विश्लेषित किया गया है । सौन्दर्य, साधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता इत्यादि भावनाएँ हैं (यह मनोविकार का विश्लेषण है) । ये भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से निष्पन्न हुई हैं । बाहरी रूप व्यापार के लिए प्रथम वाक्य में 'संसार-सागर' की धम-तरंगों कल्प गया है । पहले वाक्य का विधान ही

दूसरे वाक्य में विवक्षित हुआ है। कोई नया विधान दूसरे वाक्य में नहीं है। विस्तार केवल 'भाषों या मनोविकारों' को दिया गया है।

तीसरे वाक्य में भाषों (प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रोध, करुणा इत्यादि) की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल आलम्बन बाहर के माने गए हैं। शुक्लजी ने विशेष बात यह नहीं कि 'मूल आलम्बन बाहर के ही है।' बाहर के ही हैं अर्थात् 'संसार-सागर की रूप तरंगों' के ही है। कथन प्रथम वाक्य से भिन्न न होने पर भी तीसरे वाक्य में 'मूल आलम्बन' विधान नया है। यह विधान प्रथम वाक्य को विवक्षित करनेवाला ही है। कहा यह गया है कि 'मूल आलम्बन' बाहर ही के ही (काफ़ी बल देकर और विधाम के साथ कहा है) यही नहीं योजक सिद्धन (—) लगाकर विधान को बाहर ही के है, विधान की दोहराते हुए (बल देकर) कहा गया-- 'इसी चारों ओर फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही है।'

चौथे वाक्य में बाहर एवं भीतर का अन्तर स्पष्ट किया गया है। चौथा वाक्य दो वाक्यों का एक वाक्य है। एक का सम्बन्ध बाहर से है और दूसरे का सम्बन्ध भीतर से है। अर्थ देखने में प्रवृत्त हो तो रूप बाहर प्रतीत होंगे और वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाएगी तो रूप भीतर दिखाई देंगे। एक प्रकार से तीसरे वाक्य में बाहर (मूल आलम्बन) पर जोर दिया गया था। वह बाहर वाला रूप वृत्ति के अन्तर्मुखी होने पर भीतर दिखाई पड़ता है। बाहर के बिना भीतर नहीं, यह बात शुक्लजी कहना चाहते हैं।

पाँचवे वाक्य में दोनों रूपों की एकता को दोहराते हुए कहा गया कि वास्तव में वे भय ही है। वे रूप संसार-सागर की रूप-तरंगों के है।

छठे वाक्य में रूप का विवक्षित किया गया है। कहा गया कि रूप से भिन्न (बाहर रहने वाले) सौन्दर्य आदि भिन्न पदार्थ नहीं। सुन्दर रूप से अलग मौदर्य नहीं, मधुर रूप से भिन्न माधुर्य नहीं इसी तरह क्रूर रूप से भिन्न क्रूरता नहीं। इसमें प्रथम बाहर है और दूसरा भीतर है।

सातवें वाक्य में इसी ज्ञान को और विवक्षित किया गया है। कथन एकदम स्पष्ट है। सौंदर्य भावना जगता वास्तव में सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं का मन में जाना है। सौंदर्य की भावना जगती है मन में (भीतर) किन्तु जिनके कारण जगती है वे वस्तुएँ बाहर ही हैं। वही बात दोहराई गई है।

आठवें वाक्य में सातवें वाक्य को और स्पष्ट किया गया है। 'इसी

प्रकार' का संबंध सातवें वाक्य से है। मनोवृत्तियाँ या भावों की सुन्दरता भीषणता आदि की भावना रूप होकर मन में उठती है। एक प्रकार से शुक्लजी 'रूप' बाहर होते हैं, इसे फिर स्पष्ट कर रहे हैं।

नीवें वाक्य में बाहर-भीतर को व्यावहारिक रूप में समझाया गया है। अंतर केवल यह है कि भावना के तीव्र-मंद होने के कारण बतलाए गए हैं। बाहरी रूप-विधान तीव्र होगा (मानस से चित्र बनते समय) तो भावना तीव्र होगी और मंद होगा तो भावना मंद होगी।

दसवें और अन्तिम वाक्य में प्रथम वाक्य को दोहराया गया है और अब तक के वाक्यों का सार प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भाषना या कल्पना है।

प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। हम देखते हैं कि पूरे अनुच्छेद में प्रथम वाक्य सब से महत्त्वपूर्ण है। बाद के वाक्यों में प्रथम वाक्य के विधान को विश्लेषित किया गया है। इस विश्लेषण में एक क्रम है। यह क्रम श्रृंखलाबद्ध है। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी खुलती जाती है। इनको जोड़ दो तो प्रथम वाक्य स्पष्ट हो जाता है। अन्तिम वाक्य में अनुच्छेद को पूर्णता प्रदान की गई है। प्रथम वाक्य में विश्वास (ऊपर स्पष्ट किया गया) शलकता है और बाद के वाक्यों में तर्क वाक्यों के आधार पर कथन को स्पष्ट किया गया है। प्रथम वाक्य वास्तव में स्थापना है। बाद के वाक्य तर्कवाक्य हैं, जो स्थापना को विश्लेषित करते हैं। अन्तिम वाक्य में स्थापना का निष्कर्ष है। निष्कर्ष यह है कि कल्पना मानसिक रूप-विधान है।

द्वितीय अनुच्छेद

द्वितीय अनुच्छेद में नौ वाक्य हैं। वास्तव में आठ वाक्य ही हैं (पाँचवें और छठे दोनों को एक वाक्य माना जा सकता है।) प्रथम अनुच्छेद की तरह द्वितीय अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ केवल सार प्रस्तुत करते हुए यह कह सकते हैं कि प्रथम अनुच्छेद में यह विधान स्थापित किया गया कि 'कल्पना' 'मानसिक रूप-विधान है'। इस मानसिक रूप-विधान का वर्गीकरण इस अनुच्छेद में किया गया है। संक्षेप में वाक्यों के क्रम का विश्लेषण इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य में कहा गया कि मानसिक रूप-विधान दो तरह का होता है दूसरे वाक्य में

दोनों विकल्प प्रस्तुत किए गए तीसरे में एक विकल्प का अन्तर्विभाजन और उनका नामकरण है। चौथे में प्रथम अनुच्छेद को दोहराया गया और कहा गया कि ये सब रूप-विधान ही हैं। पाँचवा-छठा रूप-विधानों (तीन प्रकार के) के नामकरण यतलाने हैं। सातवें वाक्य में कहा गया कि इन तीनों प्रकारों में भावों को जागरित करने की शक्ति होती है और वे रस-कोटि में आ सकते हैं, यह दिखलाना है। आठवें में और नौवें में लेख के विशेष उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है।

११


दोनों अनुच्छेदों के विवरणों को देखने के बाद अब शैली को स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा-शैली पर विचार करते समय यह देखना पड़ता है कि भाषा प्रयोग कैसे है और व्यक्त विचारों का क्रम क्या है? निबंध का शीर्षक 'रसात्मक बोध के त्रिविध रूप' है। इस शीर्षक से संबंधित शुक्लजी के जो विचार हैं (मान्यताएं आदि) उसी को इस निबंध में लिखा गया है। हम देखते हैं कि प्रथम दो अनुच्छेदों में शुक्लजी ने विषय (लेख के विषय) और रसात्मक बोध को स्पष्ट कर दिया। निबंध का आगे का भाग (ऊपर विचलित नहीं किया गया) भी यदि देखा जाय तो तीनों रूप-विधानों को स्पष्ट करने में बड़ी शैली आगे बढ़ती है, जो प्रथम दो अनुच्छेदों में है। शुक्लजी जैसे जैसे विचार करते जाते हैं, वैसे वैसे विचार भाषा के अभाव में व्यक्त नहीं हो सकते) वे लिखते जाते हैं। विचार स्पष्ट होने के कारण भाषा स्पष्ट है। स्पष्ट ही नहीं, अपने विचारों पर विद्वान् होने के कारण स्पष्टता में विश्वास झलकता है। 'ही' शब्द का प्रयोग शुक्लजी बार बार करते हैं। प्रथम अनुच्छेद में उस में से सात वाक्यों में 'ही' का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य का सम्बन्ध जोड़ने में शुक्लजी सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रयोग में सर्वनाम शब्द पर काफी बल होता है। 'इसी', 'इसरी प्रकार', 'यह' एवं 'और' (सम्मुख्य बोधक अव्यय) भी केवल जोड़ने का काम नहीं करते बल्कि वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए बाद में आने वाले वाक्य में पहले वाक्य के बल को समेटते दिखलाई देते हैं। भाषा की यह प्रवृत्ति अपने (शुक्लजी के अपने) विचारों में आस्था रखने के कारण ही आ सकी है। अगला वाक्य लिखते समय शुक्लजी यह भूलते नहीं कि पीछे क्या लिखा गया है; अपने विश्वासों को, पूर्व कथनों को, वे बार बार विचारों के रूप में ही दोहराते हैं। जैसे हमारे अनुच्छेद के चौथे वाक्य में 'कहने की आवश्यकता नहीं कि' इस तरह के विधान (दोहराने वाले विधान) शुक्लजी

की भाषा में जगह जगह पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं —
 'बात यह है कि' (पृ. २४४), 'तात्पर्य यह है' (पृ. २४७), 'हमारा कहना यह है कि' (पृ. २४७), 'जैसे कह आए हैं' (पृ. २५५); 'कहने कि आवश्यकता नहीं कि' (पृ. २५६), 'एक बात कह देना आवश्यक है कि' (पृ. २५९); 'यह तो हुई' (पृ. २५९), 'पहले कहा जा चुका है' (पृ. २६१); 'जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हैं' (पृ. २६४), 'सच पूछिए तो' (पृ. २६४), 'अब तक जो कुछ कहा गया है' (पृ. २६७), 'हम यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं' (पृ. २६७); 'यहाँ पर इतना ही समझ रखना आवश्यक है' (पृ. २६७) आदि आदि। ये सभी उदाहरण एक ही निबन्ध रसात्मक-बोध के विविध रूप से दिए गए हैं। इस प्रकार का पदसमूह शैली की दृष्टि से यह स्पष्ट करता है कि लिखने वाला अपने विचारों के प्रति सजग है, सावधान है, जो कुछ पीछे कहा गया है, उसे अच्छी तरह जानता है। यो ही कुछ लिखना है, यह समझकर नहीं लिख रहा है। भाषा-प्रयोग के आधार पर विचारों का क्रम अब स्पष्ट किया जा सकता है। डेविड ह्यूम का कथन है—'मानव के विविध विचार सदा परस्पर सम्बद्ध होते हैं।' शुक्लजी के विचार (पूर्वानुभूत एवं मस्कारों से युक्त विश्वासजन्य होने के नाते) आरम्भ से ही स्पष्ट प्रतीत होते हैं। लगता है जो विचार पहले वाक्य में (विधान के रूप में) व्यक्त किया, गया आगे आनेवाले वाक्यों में स्पष्ट होता जा रहा है। विचारों की दृष्टि से शुक्ल को समझना हो तो हमें वाक्यों के क्रम में से किसी वाक्य की (विशेष रूप से वे वाक्य जहाँ उदाहरण नहीं दिए गए हैं और सिद्धान्तों का मण्डन हो रहा हो) उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पहले वाक्य के बाद यदि चौथा वाक्य पढ़ ले (त्रीच के दोनों वाक्यों को छोड़ दें) तो विचारों का क्रम टूट जायगा। शुक्लजी संभवतः इसीलिए अपने पूर्वकथनों को बार बार दोहराते हैं कि पाठक संभवतः पिछले क्रम को कहीं भूल तो नहीं गया। इस प्रकार की शैली से विचारों का क्रम लिखनेवाले के मस्तिष्क में बना हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है।

चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों की भाषा और शैली का विश्लेषण अति संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अब तक के कथनों को समेटते हुए यह

१. मानव बुद्धि सम्बन्धी विवेचन—डेविड ह्यूम—(अनु. डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना, पृ. २०.)

कहा जा सकता है कि चिन्तन में मौलिकता होने के कारण एवं विचारों में पूर्वानुभूत अनुभव होने के नाते, तथा संस्कारों से युक्त विश्वास प्रणाली होने के नाते, (यह विश्वास-प्रणाली महावीरप्रसाद द्विवेदी युगीन नैतिक-बोधसे युक्त है) शुक्ल की भाषा में विखिण्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शुक्लजी ने शब्दों की नया अर्थ प्रदान किया है और उनकी इस गुणवत्ता के कारण हिन्दी में (गद्य में) कमावट आई है। हिन्दी की यह कमावट—गद्य की कसावट—आज भी आदर्श है। आदर्श भाषा का निर्माण—पारिभाषिक शब्दों का निर्माण—शुक्ल की भाषा की अपनी विशेषता है। आज भी काव्यशास्त्र की चर्चा में, विचार-विनिमय में, समीक्षा आदि में और इसी तरह किसी विषय के विश्लेषण में शुक्ल की शब्दावली का प्रयोग होता है। शुक्ल के समय की नैतिक मान्यताएँ अब नहीं रह गई हैं, विचारधारा बदल गई है किन्तु इस बदलती परिस्थिति में शुक्ल का गद्य हमारे लिए आज भी आदर्श है तो केवल इसीलिए कि शुक्ल के चिन्तन में स्पष्टता है और माय ही चिन्तन के प्रति—अपने चिन्तन के प्रति—दृढ़ विश्वास है।



६. नैतिक मान्यताएँ

आचार्य रामबद्र शुक्ल की बिचारधारा पर उनकी नैतिक मान्यताओंका प्रभाव है। उनका यह प्रभाव उनके दृढ व्यक्तित्व का चोतक है। इस प्रभाव के कारण वे अनाह अमह निर्णय देने चलते हैं। निर्णय देने की क्षमता मान्यताओं के निश्चिन्त हो जाने पर ही आ सकती है। शुक्लजी की शक्ति का रहस्य उनकी नैतिक मान्यताएँ हैं और इसी तरह उनकी कमजोरी भी नैतिक मान्यताओं में निहित है। इन मान्यताओं का विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

—२—

जान ड्यूई ने लिखा है - "नीतिशास्त्र का उद्देश्य सही या गलत अथवा अच्छे या बुरे के दृष्टिकोण से आचरण के सम्बन्ध में हमारे निर्णयों का

विधिवत् विवरण देना है। ' हम देखते हैं कि शुक्लजी आचरण के सम्बन्ध में विधिवत् निर्णय देते रहते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी नैतिक मान्यताएँ स्थिर हो गई थी। शुक्लजी के व्यक्तित्व को एक प्रकार से नैतिक व्यक्तित्व भी कहा जा सकता है। उनका यह व्यक्तित्व उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर पहचाना जा सकता है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का विवेचन उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही किया जा रहा है। इस विवेचन में खण्डन-मण्डन पक्ष भी आ जाता है। इससे बचकर शुक्लजी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है।

-३-

यह पहले ही कह दें कि शुक्लजी की स्थापनाओं, चाहे वे समीक्षा सम्बन्धी हों, काव्यशास्त्र सम्बन्धी हों या इतिहास (साहित्य का इतिहास) सम्बन्धी हों, इन सब पर, उनकी नैतिक मान्यताओं की अमिट छाप है। शुक्लजी का विरोध करनेवाले वास्तव में उनकी नैतिक मान्यताओं का ही विरोध करते हैं। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी अपनी पुस्तक ' हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी ' में शुक्लजी से अपना मतभेद व्यक्त करते हैं। इस समय में वे शुक्लजी की मान्यताओं का खण्डन करते हैं। सच देखा जाए (और ध्यान से देखा जाय) तो मान्यताओं का यह खण्डन, नैतिक मान्यताओं का खण्डन है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

- (१) " रामचरित-मानस के जिस व्यापक आदर्श की ओर शुक्लजी सब से अधिक आकृष्ट हैं, वह है लोक-धर्म का आदर्श। समाज में सभी व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति किसी न किसी सम्बन्ध सूत्र में बँधे हुए हैं। इन समस्त सम्बन्धों का निर्वाह समाज के सुचारु संचालन के लिए अत्यावश्यक है, किन्तु सुचारु संचालन तभी संभव है जब सभी लोग अपने-अपने कर्तव्य को समझे। कर्तव्यों का बड़ी ही सुन्दर और आदर्श प्रतिष्ठा राम-चरित में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में लोक-धर्म का बड़ा ही उत्कृष्ट निरूपण उक्त काव्य में किया गया है। अवश्य ही वह निरूपण आदर्शात्मक है, क्योंकि उसमें सर्वत्र कर्तव्य पक्ष की ही प्रधानता है। किसी को अपने अधिकारों का ध्यान नहीं

१. नैतिक जीवन का सिद्धान्त - जॉन ड्यूई (अनुवादक : कृष्णचन्द्र)
भूमिका-पृ १

रखना, सब को कर्तव्य का ही पालन करना है। इसी आदर्शात्मक लोक-धर्म में शुक्लजी की वृत्ति रम गई है, इस त्यागमय धर्म को ही वे व्यवहार-धर्म मानने लगे हैं।” १

शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का सब से बड़ा आधार रामचरित मानस है। मानस का यह आदर्श मूढ़ावना प्रतीत होने पर भी वह आदर्श निष्क्रिय है तथा वैराग्यमूलक है, ऐसा बाजपेयीजी का कहना है। वे लिखते हैं:

“रामचरितमानस के इस वैयक्तिक त्यागपक्ष का जब तक पूर्णत उद्घाटन नहीं किया जाता तब तक कर्तव्य-पक्ष को उसकी उचित आभा नहीं मिल सकती। शुक्लजी ने वैराग्यमूलक निष्क्रिय, अध्यात्म के मूकावले इस क्रियाशील लोकधर्म की आवाज उठाई है जो सुनने में बड़ी मूढ़ावनी मालूम देती है, किन्तु उन्होंने भारतीय लोक-धर्म की त्यागमूलक भित्ति का यथेष्ट विवरण हमारे सामने नहीं रखा। वे एक प्रकार से इसकी उपेक्षा कर गए हैं जिसके कारण भारतीय प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति मार्ग की एक ही भूमि पर खड़ी हुई दार्शनिक शाखाएँ शुक्लजी द्वारा परस्पर विरोधिनी, बना दी गई हैं। स्वार्थ या आमक्ति का त्याग प्रवृत्ति के मूल में भी है और निवृत्ति के मूल में भी। दोनों का आधार एक ही है किन्तु शुक्लजी ने आधार के इस एक्य की ओर ध्यान न देकर प्रवृत्ति और निवृत्ति, ज्ञान और कर्म, व्यक्तिगत साधना और लोक-धर्म दोनों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया है। अवश्य ही शुक्लजी का यह दार्शनिक विपर्यय भारतीय अव्यात्म-शास्त्र के लिए अन्यायपूर्ण हो गया है।” २

बाजपेयीजी यहाँ एक प्रकार से शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का ही विश्लेषण कर रहे हैं। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं ने उनके साहित्यिक निर्णयों को प्रभावित किया है। इस सम्बन्ध में बाजपेयीजी की पक्तियाँ इस प्रकार हैं :-

‘वे (शुक्लजी) अपने युग की वाह्य आदर्शवादी नीतिमत्ता के हानी होने के कारण व्यवहारों का जो व्यक्त सौंदर्य देखना चाहते

१. हिन्दी साहित्य : जीतकी शताब्दी-नंददुलारे बाजपेयी-(१९५८) वाला संस्करण-पृ. ३२.

२. -वही-पृ. ३३.

हैं वह उतनी प्रचुर मात्रा में न तो सूरदासजी में मिलता है और न आधुनिक छायावाद या रहस्यवाद के काव्य में ही। यही कारण है कि वे एक ओर गोस्वामी तुलसीदास और उनके मानस महाकाव्य के सामने सूरदास के भाव भरे पदों को स्थान नहीं देते और दूसरी ओर नवीन समुन्नत गीतकाव्य के ऊपर ऐसी साधारण प्रबन्ध रचनाओं को रखना चाहते हैं जैसे काव्य में 'नूरजहाँ' या 'हल्दीघाटी' अथवा गद्य में 'शेष स्मृतियाँ'। जायसी बेचारे बीच में पड़ गए हैं। एक ओर तो वे प्रबन्ध कथा-नक के रचयिता हैं और दूसरी ओर रहस्यवादी। मैं कह सकता हूँ कि शुक्लजी ने उनकी प्रबन्ध पटुता की जितनी प्रशंसा की है और बाह्य जीवन व्यापारों का जितना विवरण दिया है, उनके रहस्यवाद की ओर वे उतने आकृष्ट नहीं हैं। कहा नहीं जा सकता कि जायसी के बदले उन्हें कोई मुक्तककार रहस्यवादी सूफी कवि दे दिया जाय तो वे उसकी कितनी कद्र करेंगे? मेरा अपना अनुमान तो यह है कि हाफिज, रुमी या शेख सूफी जैसे बड़े से बड़े कवि भी उन्हें नहीं जचेंगे, क्योंकि वे शुक्लजी की बंधी हुई परिपाटी पर नहीं चले हैं। उनकी रुचि और परख में वे पूरे नहीं उतर सकते।^१

इन संक्तियों में शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि का उद्घाटन हुआ है। उनकी यह अभिरुचि नैतिक मान्यताओं से आक्रान्त है, यह भी स्पष्ट है।

वाजपेयीजी ने इस तरह आचार्य शुक्ल की साहित्यिक मान्यताओं एवं उन मान्यताओंसे सम्बद्ध नैतिक मान्यताओं तथा दार्शनिक उपपत्तियों का विश्लेषण विस्तार से किया है। वाजपेयीजी के आचार्य शुक्ल पर लिखे हुए इन तीनों ही निबंधों में (हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी में लिखे) आचार्य शुक्ल का जहाँ-जहाँ खंडन हुआ है, उस खंडन में एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि यह खंडन मूलतः आचार्य शुक्ल की नैतिक मान्यताओं का खंडन है। आधार ही काट दो तो आगे का उस आधार पर किया गया मूल्यांकन अपने आप कट जायगा। आधार को (नैतिक मान्यता को)

१. हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी नंददुलारे वाजपेयी (१९५८ वाला संस्करण) पृ. ७२.

स्वीकार कर लेते हैं, जो अकाल समय नहीं है। सम्झाई तो यह है कि खंडन-मंडन को छोड़कर निबंधों में अथवा नैतिक मान्यताएँ समाजशास्त्रीय धरातल पर बसायाई जा सकती हैं। उतना ही हम सब स्वीकार करेंगे कि शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण अब तक नहीं हुआ है। नैतिक मान्यताएँ भ्रम-रीष से पूरक हो सकती हैं किन्तु भ्रमदोष सामाजिक संदर्भ में ही व्यक्त हो जा सकता है। नैतिक मान्यताओं का अध्ययन इसीलिए समाज-शास्त्रीय हो सकता है। अन्तिम भाग १, के निबंधों के आधार पर इस दृष्टि में यह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विवेचन में शुक्लजी के निर्बंधों को (सामाजिक संदर्भ में दिए गए निर्णयों को) तथ्य रूप में स्वीकार किया गया है और इसी आधार पर निष्कर्ष रूप में मान्यताएँ स्पष्ट की जा रही हैं।

५

मनोविचारों से सम्बन्धित लिखे गए निबंधों में मनोविकारों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन शुक्लजी में सामाजिक आधार पर ही किया है। इन निबंधों का वैश्व मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कहा जा सकता। शुक्लजी इन निबंधों में अपनी नैतिक मान्यताओं को व्यक्त कर देते हैं। नैतिक मान्यताएँ सदैव सामाजिक-व्यवस्था से सम्बद्ध होती हैं। समाज निरपेक्ष नैतिक मान्यताओं का कल्पना नहीं की जा सकती। अतः किसी समाज-विशेष में मान्य मान्यताएँ हमारे प्रकार के समाज में भी मान्य होगी या उन्हें स्वीकार कर लिया जायगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह एक युग विशेष की मान्यताएँ, उम्र-युग-विशेष के समाज से सम्बद्ध रहेंगी और उनका स्वरूप युग-विशेष के बदलने पर बदल सकता है। मान्यताओं के बदल जाने पर भी उनका महत्त्व ऐतिहासिक तो कम से कम रहता ही है और यदि वे मान्यताएँ बाद में भी प्रचलित रहती हैं तो उनका मूल्य निर्दिष्ट रूप में महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ कहना यह है कि शुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ भारतीय परम्परा से सम्बद्ध हैं। तब भी शुक्लजी के अपने युग की समाज विशेष में प्रचलित मान्यताओं को व्यक्त करनेवाली है। यदि हम शुक्ल को शुक्ल-युग की (महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन) नैतिक मान्यताओं की बौद्धिक रूप में विश्लेषण करनेवाला मान ले और उस संदर्भ में शुक्लजी का समाज-शास्त्रीय (नैतिक मान्यताओं का समाजशास्त्रीय) अध्ययन करे तो यह अध्ययन रोचक हो सकता है। यह तो आज भी निस्संकोच कहा जा सकता है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन सब से श्रेष्ठ चिन्तक हिन्दी में यदि कोई हुआ है, तो वह शुक्ल ही हैं। वैसे तो आज भी हमें शुक्ल का अभाव साटकता है

और पग-पग पर उनसे सहमत न होते हुए भी विवश होकर उन्हीं से बल प्राप्त कर हमें चलना पड़ रहा है। शुक्लजी की यह शक्ति उसी समय पहचानी जा सकती है, जब हम उनकी नैतिक मान्यताओं का समाजशास्त्रीय आधार खोज लें। यह अध्ययन स्वयं एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ इस अध्ययन के कुछ आधार एक स्थूल नैतिक निर्देशों को दिखलाकर ही (जिसे शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं का बल भी कहा जा सकता है) संतोष किया जा सकता है। यह अध्ययन की इति नहीं, अर्थ है ऐसा मानना चाहिए।

६

अब से पहले जो बात हम शुक्लजी में देखते हैं, वह है उनका सामाजिक चिन्तन। शुक्लजी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, समाज के संदर्भ में सोचते हैं। व्यक्ति को विशेष मानने पर भी उस व्यक्ति में जिस धर्म को वे खोजते हैं, वह धर्म सामाजिक है। शुक्लजी ने धर्म को समझाने के लिए मानस का सहारा लिया है। चिन्तामणि भाग १ में 'मानस की धर्म-भूमि' निबन्ध उनके इसी प्रकार के विचारों का परिणाम है। धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है: "धर्म है ब्रह्म के सत्सस्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अखिल-विवेक-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमण्डल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में और समष्टि रूप में, अखिल-विवेक की शाश्वत स्थिति में सत् की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं।" (पृ. २०७). धर्म की इस व्याख्या में शुक्लजी का ध्यान परिवार से लेकर समस्त भूमण्डल के मानव समाज की स्थिति-रक्षा पर है। अपने इस कथन की शुक्लजी ने स्थान-स्थान पर सीमांसा की है और इसके व्यावहारिक पहलुओं पर विचार भी किया है और इस तरह के पात्रों की, जो स्थिति-रक्षा में सहायक रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी की गई है। अतः धर्म के संबन्ध में इस कथन की दार्शनिक व्याख्या करने के बजाय हम उनके दिए गए निर्णयों को और समाज-व्यवस्था संबंधी विचारों को देख सकते हैं।

७

यह तो मानना पड़ेगा कि शुक्लजी की मान्यताएँ (नैतिक मान्यताएँ) जिस समाज पर—समाज दर्शन पर—आधारित हैं, वह हिंदू समाज है। इस संबंध में उन्हें अपनी परंपरा पर गर्व है और अपने में अटूट आत्मविश्वास है। इसके प्रमाण में निम्न लिखित पंक्तियाँ देली जा सकती हैं:—

ममर ने तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक-व्यवहार सबकी उपदेश देनवालो का उतना अधिक महत्त्व हिंदू-धर्म में नहीं है जितना संगार के भीतर घुसकर उसके जह्वहारो के बीच साम्यिक विभूति की उद्योति जमानेवालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं। अपने जीवन-द्वारा कर्म-सौंदर्य संचटित करनेवाले ही अवतार कहे गए हैं।”
(पृ. ४२)

इस विषय के अनुसार शुक्लजी रामचरितमानस का मूल्यांकन करते हैं। राम उनका भाषण पात्र है। इस कसौटी को लिए हुए जब वे मूल्यांकन करने हैं या निर्णय देते हैं, तब उनका नैतिक दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट होता है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ रुढ़िजन्य कितनी हैं और अपने विमन के आचार पर उसमें वे किस प्रकार का संशोधन चाहते हैं और इस संशोधन में उनके पुग की सामाजिक स्थितियों का चित्र वे किस प्रकार से खींचते हैं, यह सब, अब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक शुक्लजी की अपनी निजी मान्यताएँ स्पष्ट नहीं हो सकती। जॉन ड्यूई ने नैतिक सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया है। (१) रुढ़िजन्य नैतिकता और (२) विमर्शात्मक नैतिकता। जहाँ तक शास्त्रों की नैतिक मान्यताएँ परंपरा पर आश्रित हैं, नैतिकता के तब अधिकतम की रुढ़िजन्य ही कहा जा सकता है। अपने चित्तन के आचार पर जहाँ-जहाँ वे आवश्यकतानुसार नैतिकता को विमर्शात्मक रूप देते चलते हैं, जहाँ-जहाँ हम जगको शुक्लजी की अपनी निजी नैतिक मान्यताएँ कह सकते हैं। इसमें पहले हम दोनों प्रकार की नैतिकता का अन्तर देख सकते हैं।

८

जॉन ड्यूई ने रुढ़िजन्य नैतिकता और विमर्शात्मक नैतिकता का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है। “रुढ़िजन्य नैतिकता का परिणाम कुछ निश्चित आदेश, नियम और निश्चित विधि-निषेध होते हैं, जब कि विमर्शात्मक नैतिकता में ऐसा नहीं होता” .. आगे और लिखा है :- “नैतिकता का सिद्धान्त — (१) मनुष्य के मन में पैदा होनेवाले विभिन्न प्रकार के अल्पद्वन्द्वों का सामान्यीकरण करता है और इस प्रकार वह एक बुद्धिवाचस्पत और परेजानी में पड़े हुए अश्रित को इस बात में सहायता देता है कि वह अपनी विशिष्ट समस्या को एक अधिक व्यापक प्रसंग में रखकर उसका समाधान खोज सके। (२) वह यह बता सकता है कि जिन्होंने इस

तरह के विषयों पर विचार किया है, उनके इस प्रकार की समस्याओं को बौद्धिक दृष्टि से हल करने के मुख्य-मुख्य तरीके क्या हैं. और वह व्यक्तिगत विचार-विमर्श को अधिक विधियुक्त और प्रबुद्ध बना सकता है। क्योंकि वह ऐसे विकल्प सुझा सकता है, जिनकी उसके बिना उपेक्षा कर दी जाती और मनुष्य के विवेक और निर्णय को अधिक समत और समजस बना सकता है... विमर्शात्मक नैतिकता का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे विमर्श और अनुचिन्तन से व्यक्ति अपने लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। व्यक्ति के लिए पहले से तैयार और गढ़े-गढ़ाए निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न विमर्शात्मक नैतिकता के स्वरूप का ही व्याघात है।”^१ इस आलोक में शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं पर विचार हो सकता है।

यह तो हम देखते हैं कि शुक्लजी के पास समस्याओं का हल—सामाजिक समस्याओं का हल—मौजूद है। और यह हल कर्तव्य पक्ष को अधिक व्यक्त करनेवाला है। शुक्लजी की नैतिक मान्यताओं में इसीलिए रहितजन्य नैतिकता का पुट अधिक है। रहितजन्य नैतिकता के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

(१) “जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला क्षात्र-धर्म है। क्षात्र-धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य आवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक-रक्षा से है. कर्म सौंदर्य की योजना क्षात्र जीवन में जितने रूप में सभव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में सभव नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप-माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख-भोग के साथ परदुःखकातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म-पथ का अवलम्बन इत्यादि कर्मसौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष-योग और कहाँ घट सकते हैं? इसी से क्षात्र धर्म-के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक मर्मस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने का सामर्थ्य उसमें है। ” (पृ. ४३)

१. नैतिक जीवन का सिद्धांत—जॉन ड्यूई—(अनुवादक—कृष्णचन्द्र.)
पृष्ठ. ५ और ६

एक प्रकार से यह कथन (जिसमें आदर्श राम के गुण हैं) सभी सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करनेवाला प्रतीत होता है। राम की शरण में जाते ही समस्याओं का हल (राम में विश्वास रखने के नाते) अपने आप ही जाएगा। यदि इस कथन को विश्लेषित करे और व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ी गहराई से विचार करे तो लगेगा कि इस कथन में रुढ़िजन्य नैतिकता का भाव निहित है। ऐसा क्यों प्रतीत होगा? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा इसलिए प्रतीत होगा कि रामचरितमानस के राम (अपने आप में आदर्श होते हुए भी और सामाजिक समस्याओं का निदान प्रस्तुत करनेवाले होते हुए भी) एक विशेष प्रकार की समाज-व्यवस्था से सम्बद्ध है। अतः बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के सदभ्रं में उस अतीत का स्मरण देखना एक प्रकार से रुढ़ि का आग्रह करना है। रुढ़िवादियों के सम्बन्ध में कहा है— “सक्षेप में हम कह सकते हैं कि रुढ़िबद्ध धारणाएँ, स्थितियों को अर्थ प्रदान करती हैं अर्थात् उनके द्वारा तत् तत् सदभ्रं में सीमाएँ निर्धारित होती रहती हैं। वह स्थिति विशेष की व्याख्या या परिभाषा व्यवहारों में सभावित अथवा वास्तविक रूप में करने का प्रयत्न करती रहती हैं। इस प्रकार से किसी स्थिति-विशेष की व्याख्या या परिभाषा करना सदैव अपेक्षित स्थितियों की स्वीकृतियों में बद्ध रहना है। साथ ही रुढ़िवादी को नैतिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है और यह स्थिति सस्कृति के प्रतिमान या मानक (Cultural norm) की अभिव्यक्ति होती है। वे स्थितियाँ, जिनके बीच रुढ़िवादियों का विकास होता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं; सस्कृति-विशेष से सम्बद्ध होते हुए प्रायः वे सामूहिक सघर्ष और नेतृत्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती हैं।”^१ किम्बाल यंग के इस कथन के सदभ्रं में यदि

1 “ We may say, in short, that the function of a stereotype is to give meaning to a situation, that is, to delimit behavior with reference to it. It defines the situation in terms of acts, potential or actual. This definition of the situation always involves the operation of expectation and acceptance. This, in turn, makes for regularity and hence for prediction and control. Furthermore, a stereotype may well have to do with moral action, in which case it becomes an expression of a cultural norm. The situation from which stereotypes develop and continue in the culture are largely those concerned with group conflict and leadership.”

Handbook of Social Psychology
By—Kimball Young. Revised edition of 1963. printed in Great Britain by Butler Tanner ltd. London—page-189.

शुक्लजी की ऊपर दी गई पंक्तियों को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि शुक्लजी ने स्थिति विशेष को अपेक्षित अर्थ प्रदान किया है। क्षात्र-धर्म की अपूर्व महिमा दिखलाई गई है। और जैसे कि कहा गया है, इनका सम्बन्ध सामूहिक-सधर्म और नेतृत्व से है।

-९-

शुक्लजी की नैतिक मान्यताएँ परम्पराओं का समर्थन करती जान पड़ती हैं। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से परम्पराओं की व्याख्या वैज्ञानिक रूप में की है। शुक्लजी की बौद्धिक क्षमता से हम इतने आक्रान्त हो जाते हैं कि सहज ही में यह नहीं सोच सकते कि यह परम्पराओं का समर्थन है। हिन्दू-संस्कृति से प्रभावित समाज निश्चित रूप से शुक्लजी की व्याख्याओं, विश्लेषणों एवं विवेचनों, चाहे वह मनोविकारों से सम्बन्धित हो या अन्य विषयों पर हो, से बल ग्रहण करता है। मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्ध एक प्रकार से आचरण के विधि-निषेधों से युक्त है, किन्तु इन विधि-निषेधों को वैज्ञानिक रूप दिया गया है। एक प्रकार से हिन्दू-संस्कृति के अनुसार लिखी गई आचरण-सहिताएँ, इन निबन्धों में अनकहे ही व्यक्त हो गई हैं या कह दी गई हैं। ऐसा आभास सहज ही में इसलिए नहीं होता कि स्थिति-विशेष को परिभाषित किया गया है और वर्गीकरण आदि करने हुए, वैकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हुए, मनोविकार विशेष को शुक्लजी ने विषय-प्रधान (वैज्ञानिक) बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि पहले ही कहा गया है शुक्लजी का यह सारा विश्लेषण कर्तव्य-पक्ष पर अधिक प्रकाश डालता है। यों कहना चाहिए कि यह सारा लेखन व्यक्ति के लिए होते हुए भी व्यक्ति की निजी समस्याओं के हल की दृष्टि से नहीं है। यह सारा लेखन व्यक्ति को समाज का एक अग मानकर समाज की स्थिति रक्षा के लिए (लोकमंगल के लिए) किया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति को समाज से कुछ पाने की अपेक्षा कम है, इसके विरुद्ध व्यक्ति को समाज के लिए अपनी ओर से देना ही देना है। शुक्लजी का यह समाज-दर्शन इसीलिए एकांगी हो गया है। यह समाज-दर्शन व्यक्ति को समाज के सदस्य में देखता है, समाज को व्यक्ति के संदर्भ में नहीं देखता।

१०

नैतिक मान्यताओं में विमर्श को कितना स्थान प्राप्त है इस पर भी विचार होना चाहिए विमर्शात्मक नैतिकता का स्वरूप उस समय स्पष्ट

होता है जब हम लेखक को अन्तर्द्वन्द्वों की स्थिति से गुजरते हुए देखे। यही नहीं वह अपने युग की ऐतिहासिक यथायं रेखाएँ खींचकर, युग के आक्रोश को, युग की पीड़ाओं को तथा युग की समस्याओं को व्यक्त करे और इन सब को व्यक्त करते समय अपने विमर्श या चिन्तन के आधार पर निर्णय दे। इस प्रकार के निर्णयों में ही लेखक की विमर्शात्मक नैतिकता झलक सकती है। इस दृष्टि से जब हम शुक्लजी के निबन्धों को देखते हैं, तो हमें निराश होना पड़ता है। जिस लेखक में अपूर्व आत्मविश्वास है और जिसका आत्मविश्वास प्रथम वाक्य में ही झलक जाता है, भला वह अन्तर्द्वन्द्व की स्थितियों से गुजरता हुआ कैसे दिखलाई देगा? आत्मविश्वास और अन्तर्द्वन्द्व का मेल नहीं हो सकता। अन्तर्द्वन्द्वों के स्थान पर शुक्लजी के लेखन में आक्रोश है। इसी तरह अपनी समकालीन स्थितियों से शुक्लजी ने असतोष व्यक्त किया है और उनकी दृष्टि में जो प्रवृत्तियाँ घातक थी, उन्होंने उसे रोकने की भरसक चेष्टा की है। शुक्लजी के व्यग्य उनके अपने समय की सामाजिक स्थितियों को (शुक्लजी की दृष्टि में ही) स्पष्ट करते हैं। शुक्लजी का सारा आक्रोश व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है, जो सामाजिक दायित्वों को भूल बैठा है, अपनी परम्पराओं को जानता नहीं है और न ही अपनी ओर से इस दिशा में (परम्परानुसार अनुमोदित नैतिकता) जानने के लिए प्रयत्नशील है। शुक्लजी व्यग्य भी करते हैं तो उसमें उनका हेतु व्यक्ति की सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग करना रहा है। जहाँ जहाँ व्यक्ति सामाजिक दायित्वों से विमुख होता हुआ दिखलाई देता है, (शुक्लजी की दृष्टि में ही) वहाँ-वहाँ वे व्यग्य करते जान पड़ते हैं। उनके व्यग्यों में उनके भीतर का आत्मविश्वास हँसता रहता है। इस हँसी को पहचानना बहुत कठिन है। हँसने के क्षण उन्मुक्त हृदय के क्षण होते हैं और इन क्षणों में यदि हम किसी लेखक के साथ हो जाएँ (लेखक की भावना या लेखक की विचारधारा के साथ) तो हम उस लेखक के अन्तर का दर्शन कर सकते हैं। शुक्लजी बाहर से गभीर प्रतीत होते हैं। उनके हँसनेवाले व्यक्तित्व की झलक उनके व्यग्यों के बीच छिपी हुई है। संक्षेप में शुक्लजी की विमर्शात्मक नैतिकता उनके आक्रोश और उनके व्यग्यों में निहित है। उनके लेखन का यह अंश उनके अपने समय के समाज से है। अतः अपने समय के समाज पर उनके द्वारा दी गई टिप्पणियाँ ही उनकी नैतिक मान्यताओं को— विमर्शात्मक नैतिक मान्यताओं को—व्यक्त करने में समर्थ हो सकती हैं।

११

अब हम शुक्लजी के आक्रोश और व्यग्य का विश्लेषण करें। यह पहले ही कह दिया गया है कि शुक्लजी का आक्रोश और व्यग्य व्यक्ति के प्रति

हैं। उस व्यक्ति के प्रति जो सामाजिक दायित्वों को भूल बैठा है। अतः यह माना जा सकता है कि शुक्लजी की दृष्टि में एक आदर्श समाज की कल्पना है। उनका यह आदर्श समाज रामचरितमानस का आदर्श समाज है। रामराज्य की कल्पना उनके मानस में विराजमान है। शुक्लजी का स्वप्न तुलसी के इस स्वप्न से पूर्णतः मेल रखता है। ऐसा कहा जा सकता है :-

कबहुँक ही यहि रहनि रहौंगो ।

श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते सत सुभाव गहौंगो ।

यथालाम सतोष सदा काहू सो कछु न चहौंगो ।

परहित-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहौंगो ।

परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो ।

बिगत मान सम सीतल मन, पर गुन नहि बेष कहौंगो ।

परिहरि देह जनित चिन्ता, दुख सुख समबुद्धि सहौंगो ।

तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहौंगो ।

... वितयपत्रिका, १७२

इस कथन के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कहना यह है कि व्यक्ति को इस दिशा में (हृदय परिवर्तन करने के लिए) मोड़ना कि वह तुलसी के इस पद के भावानुकूल अपनी आत्मा को सहज रूप में निर्मल करने के लिए तैयार हो जाय, शुक्लजी का लक्ष्य प्रतीत होता है।

शुक्लजी व्यक्ति के प्रति (व्यक्ति के स्वभाव-संशोधन के लिए) जितने अधिक सचेत जान पड़ते हैं, उतने समाज के प्रति नहीं। यदि यह कह दिया जाय कि समाज के वैज्ञानिक स्वरूप की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो अनुचित नहीं होगा। इसीलिए शुक्लजी का नैतिक पक्ष एकांगी हो गया है। उनका आक्रोश और व्यंग्य अपनी जगह ठीक होने पर भी (उनके भीतर समाज की मंगल कामना होने पर भी) वह समस्याओं का-सामाजिक समस्याओं का—नैतिक निदान प्रस्तुत करने में असमर्थ है। समाज की परिवर्तित स्थितियों की कल्पना शुक्लजी ने नहीं की है। समाज को स्थिर मान लेना, एक निश्चित संस्कृति के भीतर समाज की आदर्श कल्पना कर लेना एव उन्हीं सामाजिक मानदण्डों को स्वीकार कर लेना (मानस के समाज) अपने युग के समाज से कटकर रहना है। और जो अपने युग के समाज से कटकर रहता है, उसमें उस समाज के प्रति आक्रोश का भाव आ जाता है। आक्रोश का कारण फिर समाज को न मानकर व्यक्ति

को मानना न्यों कि व्यक्ति दूषित हो गया है, अतः समाज में गड़बड़ी है। व्यक्ति के स्वभाव-संशोधन से फिर अतीत को स्थापित करने की चेष्टा, यह सब ऐसा चक्र है जिसमें शुक्लजी उलझ गए हैं और इस कारण उनकी नैतिक मान्यताएँ विमर्शात्मक (बदलती परिस्थितियों के अनुरूप) स्वरूप लेने में असमर्थ रह गई हैं। इस पर भी शुक्लजी की प्रशंसा इस बात में की जा सकती है कि शुक्लजी व्यक्ति विशेष पर (व्यक्तिगत रूप में) न अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और न ही व्यग्र। उनका आक्रोश और व्यग्र सामान्योन्मुख हैं। अर्थात् शुक्लजी का आक्रोश और व्यग्र प्रवृत्तियों के प्रति है; उन प्रवृत्तियों के प्रति जो उनके अपने आदर्श समाज की कल्पना के विपरीत हैं। यह पहले ही कह दिया गया है कि शुक्लजी में अन्तर्द्वन्द्व नहीं मिलता। अन्तर्द्वन्द्व के क्षण, किसी व्यक्ति के जीवन में उस समय आते हैं, जब व्यक्ति नैतिक विकल्पों में फंसा रहता है और विकल्पों से सकल्प की ओर आने में प्रयत्नशील रहता है। यदि व्यक्ति अपने इन नैतिक विकल्पों को सकल्प में बदलने की सही सही स्थिति व्यक्त कर दें और यदि राह पा ले तो निष्कर्ष रूप में जिस नैतिक पक्ष को वह स्वीकार कर लेगा, वह नैतिक पक्ष विमर्शात्मक नैतिकता का रूप होगा। अन्तर्द्वन्द्व के क्षण व्यक्ति की कमजोरी के क्षण होते हैं और समस्याओं का निदान खोजने के क्षण होते हैं। इन क्षणों में व्यक्ति नैतिक बल प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ समायोजन (Adjustment) के लिए प्रयत्न करता रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियाँ अधिक जाग्रत और सशक्त होती हैं और व्यक्ति चाहता है कि समाज उसको समझे और न समझने की असमर्थता (समाज द्वारा व्यक्ति के न समझने की अममर्थता) ही उसके अन्तर्द्वन्द्व का कारण होती है। आक्रोश की स्थिति इससे कुछ विपरीत है। अन्तर्द्वन्द्व जहाँ अपने प्रति होता है, आक्रोश वहाँ औरों के प्रति होता है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के मानस का विश्लेषण करने लगता है, दूसरे व्यक्ति के अन्तर्द्वन्द्व को समझकर उसका निदान अपनी ओर से प्रस्तुत करने लगता है और इस निदान में उन प्रवृत्तियों को जिन्हे वह अनुचित और धातक समझता है, उनके प्रति वह जो कुछ कहता है, वह आक्रोश का भाग होता है। पिता को अपने पुत्र पर आक्रोश हो सकता है। इसी तरह पत्नी को अपने पति पर आक्रोश हो सकता है। आक्रोश की इन स्थितियों में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखलाई देता है। चूँकि दूसरा व्यक्ति अपने अनुरूप नहीं है अतः उसके प्रति अपने अनुरूप बनाने की स्थितियों पर विचार करते समय मन में—वैयक्तिक रूप में ही— आवेग होता है, यह आवेग आक्रोश

के रूप में फूट पड़ता है। आचार्य शुक्लजी का आक्रोश व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का है। इसमें भी उनका आक्रोश विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति है, जो अपने को विद्वान् तथा पंडित समझते हुए भी ऐसी प्रवृत्तियों को अपनाए हुए हैं, जो समाज के लिए (शुक्लजी के दृष्टि में) घातक हैं। शुक्लजी का यह आक्रोश भी (जैसे कि पहले ही कह दिया गया है) व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, प्रवृत्तियों के प्रति है, ऐसा कहा जा सकता है। यों कहना चाहिए कि शुक्लजी का आक्रोश वस्तुमूलक है, व्यक्तिमूलक नहीं है। जहाँ प्रवृत्ति को काटना है, वहाँ वे उस प्रवृत्ति का विवेचन विस्तार से करेंगे और बाद में उसके उस स्वरूप का उद्घाटन करेंगे, जिसे वे उचित नहीं समझते। उचित न समझने का वे कारण देगे और उम सम्बन्ध में अपनी ओर से सकारात्मक मुझाव भी देंगे। इस सब के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। किसी प्रवृत्ति को नकारना इतना सरल नहीं है। शुक्लजी ने किसी प्रवृत्ति को चलते दग से नहीं नकारा है। इटन का विरोध या कोचे का विरोध करने से पहले उन्होंने उनके मत को समझने की कोशिश की है। आक्रोश के साथ-साथ शुक्लजी ध्यग्य भी करते चलते हैं। उनका ध्यग्य विशेष रूप से उन व्यक्तियों के प्रति है जो नासमझ हैं या अनजान में अज्ञान के कारण कुछ-को-कुछ समझ बैठे हैं। ध्यग्य करते समय भी शुक्लजी कुछ-को-कुछ समझने का उद्घाटन करते हैं और चुप हो जाने हैं। बहुत हुआ तो स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। बहुत जगह नाम को जानते हुए भी (व्यक्ति विशेष के) नाम को शुक्लजी ने लिखा नहीं है। उदाहरण के लिए :-

“पर आजकल इस प्रकार का (प्रकृति से परिचय) परिचय बाबुओ के लिए लज्जा का विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में बड़ी शान समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया ... वसन्त का समय था। महुए चारों ओर टाक रहे थे। मेरे मुँह से निकला—‘महुओ काँ कैंसो मोठी महक आ रही है। इन पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, ‘यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती ममझेंगे।’ मैं चुप हो गया; समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में भारी बड़ा लगात है।”

पृ. ७८-७९

इन पक्तियों में व्यग्य है। कहीं कहीं व्यग्य और आक्रोश दोनों साथ साथ हो गए हैं। दोनों में से कौन प्रधान है, यह पढ़वानना कठिन हो गया है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।—

‘उदाहरण के लिए आत्मग्लानि और क्षोभ के वे वचन जिनके द्वारा वह (हैमलेट) स्त्री जाति की भर्त्सना करता है। अतः हमारे देखने में ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किमी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मनबहुलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम तमाशा ही होगा। पर डंटन साहब के अनुसार ऐसी मनोवृत्ति का चित्रण नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना का सब से उज्ज्वल उदाहरण होगा।” पृ. २३५

१२

और अब अन्त में शुक्लजी के नैतिक बल को परखें। उनकी इस शक्ति का रहस्य उनका अपना आत्मविश्वास है। उनके इस आत्मविश्वास का कारण उनका अपना ज्ञान है। यह मानी हुई बात है कि ज्ञान प्रकाश का सूचक है। किमी विषय के अन्तर्बहिष्कृत विश्लेषण की क्षमता, उस विषय के प्रति विश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। शुक्लजी का आत्मविश्वास इसीलिए अन्ध-विश्वास नहीं कहा जा सकता। ज्ञान के लिए सब से बड़ा आधार तथ्य होते हैं। तथ्यों पर दृष्टि रखना और तथ्यों की भीमासा करना तथ्य के भीतर निहित सत्य तक पहुंचने का प्रयास होता है। शुक्लजी की दृष्टि प्रारम्भ से ही तथ्यों पर रही है। इसीलिए उनके कथनों में (तथ्यों की ज्ञानमूलक भीमासा के कारण) विश्वास झलकता है। मनोविकारों का अध्ययन (विश्लेषण एवं मूल्यांकन) समाज-मनोवैज्ञानिक है। इस ज्ञान को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। रसेल ने लिखा है—“विज्ञान तत्त्वतः ज्ञान की व्यवस्थित खोज के अलावा और कुछ नहीं है। और ज्ञान अपने तात्त्विक रूप में मंगलमय ही है—कुछ बुरे लोग उसका चाहे जितना दुरुपयोग करें। ज्ञान पर ही विश्वास खो बैठना मनुष्य की सर्वोत्तम क्षमता पर विश्वास खो देना होगा, और इसलिए मैं निस्संकोच इस बात को दोहराता हूँ कि एक कम विकसित युग के बचकाना सन्तोषों की खोज करनेवाले भीरु लोगों की अपेक्षा दृढ़ तर्कवादी का विश्वास अधिक अच्छा है। उसका आशावाद अधिक पौरुषमय और दृढ़ है।”^१ रसेल की इन पक्तियों में शुक्लजी की शक्ति के (नैतिक शक्ति के) रहस्योद्घाटन का संकेत है। शुक्लजी का सन्तोष बचकाना नहीं है। वह दृढ़ है। इसीलिए विश्वास में आशावादी स्वर है और यह आशावाद पौरुषमय है।

१. वैज्ञानिक परिदृष्टि—बण्ट्रेड रसेल—(अनुवादक : गगारतन पाण्डेय)

पृ. १०३—१०४

शुक्लजी के विश्वस को तर्कवादी विश्वास कहा जा सकता है। जिस विश्वास के पीछे तर्क का बल हो, वह विश्वास जीवनी-शक्ति का शोरफ होता है। यह जीवनी-शक्ति शुक्लजी में है। यह शक्ति उमर गमग और दन्तवान मानी जा सकती है (तर्काश्रित विश्वास की क्षमता) अब विश्वास रखनेवाला (प्यक्वित्व) पक्ष-विपक्ष दोनों का दस्तुमूलक विवेचन (तर्कों के आधार पर) करने में समर्थ हो। अपने विश्वास के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के तर्क देने आने चाहिए। नकारना बहुत सरल है। किन्तु नकारने के स्थान पर सकारने वाली स्थितियों को निदान रूप में (विश्वास के साथ) प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। शुक्लजी के तर्कों में सकारने (विश्वास के समर्थन योग्य तर्क) और नकारने (विश्वास के विरोध में प्रवृत्त प्रवृत्तियों का खण्डन करने वाले तर्क) दोनों की अपूर्व शक्ति है। उनकी ही में और ना में अपूर्व बल है। शुक्लजी बीच की स्थिति (गंगा गए जगदन्, जयना गए जमनादान वाली स्थिति) का पमद नहीं करते। आज शुक्लजी को नकारा जा रहा है किन्तु सकारनेवाली स्थिति (नकार के जगदन् का पूज करनेवाली स्थिति) अब भी दिखाई नहीं देता। धूम-फिर कर हुए फिर शुक्लजी की शक्ति देवते है। उनका नैतिक बल आज भी हम लोगों का नैतिक बल प्रदान कर रहा है। शुक्लजी का महत्त्व केवल ऐतिहासिक नहीं है, (अपने समय में ही मृत्यु रखनेवाला महत्त्व) वह आज भी हमारे लिए उपयोगी है जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, शुक्लजी का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। शुक्ल के बल का पहचानकर ही हम शुक्ल की परम्परा को आज की स्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी कम-जोरियों का उद्घाटन तो हुआ है, किन्तु उन कमजोरियों के कारणों की नैतिक मीमांसा नहीं हुई है। यहाँ ऊपर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, वह इस दिशा में बहुत संक्षिप्त प्रयोग है। अन्त में कहना यह है कि शुक्लजी की शक्ति का रहस्य उनकी नैतिक मान्यताओं में निहित है। और इसी तरह उनकी कमजोरियाँ भी नैतिक मान्यताओं में निहित हैं। और नैतिक मान्यताएँ समाज-संस्कृति-सापेक्ष होती हैं, अतः यह विवेचन समाज-संस्कृति-सापेक्ष स्थितियों के सदर्भ में करने से ही नैतिक मान्यताओं का विवेचन वैज्ञानिक हो सकता है। इस दृष्टि से शुक्लजी अपने युग का समाज-संस्कृति-सापेक्ष स्थितियों का नैतिक मूल्यांकन करनेवाले हिन्दो के एकमात्र चिन्तक तथा मनीषी है। इस दृष्टि से उनका महत्त्व अपनी जगह सदैव बना रहेगा।

७. और अन्त में



७. और अन्त में

अब तक शुक्लजी के सम्बन्ध में (चिन्तमणी भाग १ के आधार पर) लिखे गए अध्यायों का यहाँ समाहार करते हुए, यह उपसंहार लिखना है। यद्यपि अब नया कुछ भी कहने के लिए नहीं है किन्तु इन अध्यायों के क्रम एवं उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक है। इसी तरह पुस्तक की योजना एवं उसकी सीमाओं को भी स्पष्ट करना है। इसी दृष्टि से यह उपसंहार लिखा जा रहा है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बहुत लिखा है। उनकी सब रचनाओं को ध्यान में रखकर उनकी साहित्यिक अमिश्चि, उनका आचार्यत्व, उनकी समीक्षाओं तथा उनकी नैतिक मान्यताओं आदि का विवेचन संभव है। पुस्तक में ऐसा नहीं किया गया है। (यद्यपि इन रचनाओं का अध्ययन लेखक ने किया है और लिखते समय अप्रत्यक्ष रूप से इनका उपयोग हुआ है।) इस

पुस्तक में ध्यान विशेष रूप से चिन्तामणि भाग १, के निबन्धों पर ही केन्द्रित किया गया है। सर्वत्र उदाहरण प्रायः चिन्तामणि भाग १, में ही दिए गए हैं। विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा नीमिन अध्ययन का व्यापक स्तर पर करने का यह प्रयास है। यह तो पुस्तक की बात हुई। निबन्धों का (अध्यायों का) चुनाव करते समय—शीर्षक देते समय—भी ध्यान प्रायः चुने हुए निबन्धों पर या निबन्ध विशेष पर रहा है। प्रयत्न उस बात का किया गया है कि कोई निबन्ध छूटने न पाए। इस दृष्टि से प्रत्येक अध्याय का दृष्टिकोण यथा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रथम अध्याय 'मनोविकारों का मूल्यांकन' है। इस अध्याय में भाव या मनोविकारों में लेकर क्रोध तक के १० निबन्धों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन है। 'कविता : प्रयोजन एवं आवश्यकता' अध्याय के अन्तर्गत 'कविता क्या है?' का विवेचन है। 'अभिरुचि और समीक्षा' के अन्तर्गत 'भारतेन्दु हरिश्चंद्र' 'तुलसी का भक्तिमार्ग' तथा 'मानस की धर्म-भूमि' इन तीनों का अध्ययन प्रस्तुत करना था किन्तु विस्तार के लिये 'भारतेन्दु हरिश्चंद्र' निबन्ध को ही मिला गया है। अन्य दोनों निबन्धों का उपयोग अन्यत्र भी होता रहा है। इसी तरह 'सिद्धान्त और व्यवहार' अध्याय के अन्तर्गत 'साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवाद' निबन्ध का विश्लेषण है। इस निबन्ध में अप्रत्यक्ष रूप से 'काल्य में लोकसंगल की साधनावस्था' का भी उपयोग हुआ है तथा तुलसी सम्बन्धी दोनों निबन्धों का भी। 'भाषा और शैली' वाले अध्याय में 'रसात्मक बोध के विविध-रूप' को ही विशेष रूप से आधार बनाया गया है। और अन्तिम 'नैतिक मान्यताएं' में पुस्तक के (चिन्तामणि भाग १) वाले निबन्धों का उपयोग है। इस तरह से प्रयत्न इस बात का किया गया है कि पुस्तक का कोई निबन्ध विवेचन की दृष्टि से छूटने न पाए। तुलसी की पुस्तक में केवल चिन्तामणि भाग १, और चिन्तामणि भाग १, में भी (किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए) किसी निबन्ध विशेष या चुने हुए निबन्धों को ही अध्यायों का आधार बनाया गया है। इन सीमाओं में बंधकर लिखने से संभव है कि विवेचन एवं विश्लेषण में पूर्णता न आ पाई हो। उदाहरण के लिए 'भाषा और शैली' का विवेचन 'रसात्मक बोध के विविध रूप' के आधार पर किया गया है। इस आधार पर और निबन्धों की भाषा और शैली का विवेचन, उसी रूप में संभव है। इसी तरह 'सिद्धान्त और व्यवहार' अध्याय में ध्यान प्रायः 'साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवाद' पर ही रहा है। किन्तु अन्यत्र भी वे प्रयुक्तियाँ मिल सकती हैं। कहना यह यह है कि पुस्तक के निबन्धों (अध्यायों को) को शीर्षक देते समय निबन्धों में विषय एवं प्रवृत्ति दोनों को ध्यान में रखा गया है। स्पष्ट तरह से देखने पर पहले दो निबन्धों के शीर्षक विषय ('मनोविकारों का मूल्यांकन

आचार्य शुक्ल के 'आचार्यत्व' पर विचार किया जायगा, तब सब से पहले हमारी दृष्टि चिन्तामणि भाग १, पर ही जायगी। जब कि मञ्चाई यह है कि शुक्लजी का लक्ष्य (उनके निवेदन को देखते हुए—पुस्तक के आरम्भ में दिया गए) आचार्य का नहीं रहा है। शुक्लजी की अन्तर्धाना के प्रदेश इन निबन्धों में है (शुक्लजी के शब्दों में निवेदन के) और यह याता उनकी बुद्धि कर रही है। उनकी बुद्धि ने साहित्यिक समस्याओं का चिन्तन किया है। चिन्तन का सहज परिणाम उनके निबन्धों में है। साहित्यिक समस्याओं का चिन्तन करने के नाते सैद्धांतिक रूप में कुछ कहना पडा है। यह कथन साहित्य की व्यावहारिकता के निदान के रूप में है। प्रधानतः शुक्लजी साहित्य की (काव्य की) भीमांसा ही करते रहते हैं। इस भीमांसा में उन्होंने सैद्धान्तिक रूप से प्राचीन आचार्यों के सिद्धांतों का समर्थन किया है और पाश्चात्य विचारकों (साहित्य शास्त्र सम्बन्धी विचारकों) का खण्डन किया है। इस समर्थन और विरोध में उन्होंने साहित्य की (काव्य की) व्यावहारिक कठिनाइयों को अपनी दृष्टि से, स्वानुभव के आधार पर परमा अतः समर्थन और विरोध में मौलिक रूप में उन्हें भी कुछ कहना पडा है। इस प्रकार के कथन को शक्यता ने ही उनको आचार्यत्व के पद पर आसीन होने में सक्षम बना दिया है। शुक्लजी का आचार्यत्व आनुपंगिक (by-product) है। वह उनका गौण लक्ष्य है।

चिन्तामणि के चिन्तन को जब साहित्यिक चिन्तन कहा जाता है, तो उसका एक कारण यह है कि साहित्य के प्रयोजन और आवश्यकता दोनों पर शुक्लजी विचार करते हैं। इस दृष्टि से 'कविता क्या है?' निबन्ध अच्छा है। यहाँ कहना यह है कि शुक्लजी 'साहित्य' का यन्त्रमूलक (objective) अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का प्रयास वैज्ञानिक प्रयास ही हो सकता है। अतः शुक्लजी के साहित्यिक चिन्तन को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। एक ओर जहाँ वे साहित्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं, वहाँ वे दूसरी ओर उनकी आवश्यकता पर भी बल देने हैं। उनका साहित्यिक-चिन्तन व्यावहारिक है। सिद्धान्तों की घोषणा करना एवं उनकी भीमांसा करना (मिथ्यान्त मात्र की) शुक्लजी का लक्ष्य नहीं है। उनके साहित्यिक-चिन्तन में प्रयोजन और आवश्यकता का विवेचन है।

और अन्त में इस साहित्यिक चिन्तन को नैतिक दायित्व से किया गया चिन्तन कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने कवि का बहुत ऊँचा स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल कवि को नैतिक-दायित्वों से मुक्त नहीं मानते उन्होंने भावयोग की साधना को कर्मयोग एवं ज्ञानयोग के समकक्ष स्थान दिया है। इस नाते शुक्लजी के साहित्यिक-चिन्तन में भारतीय विचारधारा को नई दीप्ति प्राप्त हुई है।